राजस्थान विधान सभा

१२ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक २१ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ४८ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न । चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १२५.

सन् १९५४-५५ में सरप्लस गजटेड अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ५४-५५ के वर्ष के आरम्भ में कितने गजटेड ऑफीसर सरप्लस में थे ?

(ख) उक्त वर्ष के दौरान में कितने अफसर सरप्लस में लिये गये ?

(ग) उक्त अफसरों के नाम क्या हैं ? वे किस स्थान पर काम करते थे ?

(घ) उक्त अफसरों को सरप्लस में लेने के क्या कारण हैं ?

(ङ) सरप्लस अफसरों में किन-किन को तनख्वाहें मिल रही हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—

(क) कोई नहीं ।

(ख-ग) दो; जिनके नाम हैं श्री भंवरलाल सनाढ्य, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग एवं श्री ताराचंद पांड्या, डिवीजनल पंचायत ऑफिसर, जोधपुर ।

Page No.2

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(घ) इन्टीग्रेटेड सेट अप में किसी भी पद पर चुनाव में नहीं आ सके।

(ड) किसी को नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरप्लस कर्मचारियों का कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रणजीतसिंह नाम के व्यक्ति ५३-५४ से पहले से ही सरप्लस हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह तो आप जानकारी दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके ही जवाब दिया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—सरप्लस कर्मचारियों का रेकर्ड कहां रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— अपॉइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट में।

श्री खेतसिंह—जिन कर्मचारियों के नाम बताये गये हैं, क्या उनको अयोग्यता के कारण नहीं रखा गया या और कोई वजह है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इन्टिग्रेटिंग सेट अप में इनका सिलेक्शन नहीं होने के कारण।

श्री चांदमल मेहता—इन सरप्लस कर्मचारियों का मामला कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इनमें से ज्यादातर आदमियों को यथा-संभव लगाने का प्रयत्न किया जायगा, नहीं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—जिन दो व्यक्तियों को सरप्लस बताया गया है, उनको रिटायर कर देने के बारे में कब तक आदेश जारी कर दिये जायंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां तक मुझे याद है, पहले व्यक्ति के बारे में तो मैं नहीं कह सकता किन्तु श्री ताराचंद के डिस्चार्ज होने के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ताराचन्द पांड्या की जगह जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, वह ताराचन्द से कम योग्य है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

Page No.3

श्री जवानसिंह—किसी अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा कितने अर्से तक सरप्लस रखा जा सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अवधि के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किन्तु यह जरूर होना चाहिये कि ज्यों ही किसी को सरप्लस डिक्लेअर किया जाय, उसको डिस्चार्ज करने का नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२६

राजस्थान निर्माण के पश्चात् बिना लोक-सेवा आयोग की स्वीकृति के नियुक्त गजटेड अधिकारी

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) राजस्थान में ऐसे कितने गजटेड ऑफिसर्स हैं जिनकी नियुक्तियाँ राजस्थान निर्माण के बाद की गई हैं, लेकिन अभी तक जिनका पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है ?

(ख) उक्त ऑफिसर्स के नाम व योग्यता क्या हैं व उनकी नियुक्तियां किस ओहदे पर, कब व कितने समय के लिये की गई थीं ?

(ग) उक्त अफसरों का अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्मेशन नहीं होने के क्या कारण हैं ?

मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री)—(क)२३

(ख) एवं (ग) नाम और योग्यता आदि की सूचना सदन की मेज पर रखे हुए नक्शे के स्तम्भ २,३,४,५,६ व७ में प्रत्येक ऑफिसर के नाम के सामने दी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—अधिक से अधिक कितने समय के लिए सरकार बिना पी०एस०सी० के कनफर्म किये हुए गजेटेड अफसरों को नियुक्त कर सकती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—६ महीने तक।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो लिस्ट दी हुई है उसमें ऐसे अफसर भी हैं जो पांच-पांच साल के करीब से काम कर रहे हैं और फिर भी कनफर्म नहीं हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां हैं कुछ और उनके मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनके मामले में यह कहा गया है कि वे वर्तमान सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, कुछ मामले जिनको टेम्परेरी बेसिस पर एप्रूव किया है वे विचाराधीन हैं कि आया. उस पोस्ट को कायम रक्खा जावे कि नहीं; अगर रक्खा जावे तो पी० एस० सी० को रेफर कर दिया जावेगा या उनकी वह पोस्ट नहीं रहती है, तो वे हटा दिये जावेंगे।

श्री चांदमल मेहता—सन् ५१ से ६ महीने के अन्दर फैसला कर देना चाहिये था उसका। पर अब तक इसको विचाराधीन रखने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—विचाराधीन रक्खे गये हैं, यही कारण है। इसको क्यों रक्खा गया, इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ६ महीने का कायदा है, उस ५१ से लगातार अब तक के मामले को विचाराधीन रखकर अवहेलना की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस मामले में काफी चर्चा चलाती रही, इस वजह से समय लगता गया। ऐसे मामले तीन व्यक्तियों के बारे में हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट मुकर्रर किया गया है तो उस नये व्यक्ति को मुकर्रर करके जो विभाग में काम करते आ रहे हैं पहले से और जो योग्यता और अनुभव में कहीं उससे अधिक ही हैं, उनको आगे तरक्की का मौका नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह डिपार्टमेन्ट से जानकारी करने के बाद जवाब दे सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों को लेक्चरार मुकर्रर किया गया है उनमें भी पुराने, अच्छी योग्यता और अनुभव वालों को छोड़कर नये व्यक्तियों को लेक्चरार क्यों मुकर्रर किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नये व्यक्तियों की योग्यता ज्यादा होगी इसलिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि नये व्यक्तियों से अधिक अनुभवी और योग्यता वाले व्यक्ति पहले से मौजूद हैं विभाग में, उनको अवसर न देकर नये व्यक्तियों को क्यों रक्खा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसे किन्हीं व्यक्ति विशेष के बारे में आपकी जानकारी है तो आप बतावें, जांच की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं और जो नये रक्खे गये हैं उनके मुकाबले में क्या और अधिक योग्य और अधिक अनुभवी आदमी सरकार की निगाहों में इस वक्त सर्विस में नहीं हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जनरली एजुकेशन विभाग में जो सर्विस में होते हैं और जिनकी सूची एजुकेशन डिपार्टमेन्ट की ओर से दी गई है उसमें से जो लेक्चरार की जगह पर नियुक्त किये गये हैं, उनमें कॉलेजेज़ में कम जगहें ही होतीं हैं और उनको सिलेक्शन के लिए कॉलेज के प्रिन्सिपल ही रिकमन्ड करते हैं। उनकी रिकमन्डेशन पर ही हम यहां से नियुक्ति करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो यह जानना चाहता हूं कि लेक्चरार के स्थान पर अनुभवी लोग कॉलेजेज़ में बहुत मौजूद हैं, पर उनको स्थान न देकर नये व्यक्तियों को नियुक्त करने में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अच्छा यह हो कि आप जिस व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हों, उसके बारे में नाम आदि बता दें तो मामला स्पष्ट तौर पर समझ में आ जावे कि कहां क्या हो रहा है ?

श्री चांदमल मेहता—मैं तो सभी नौ-दस व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा सब के बारे में सवाल है कि जब उनसे अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति पहले से विभाग में काम करते हुए उपलब्ध हो सकते हैं तो उनको तरक्की देकर लेक्चरार नियुक्त करने के स्थान पर बाहर से नये व्यक्तियों को क्यों नियुक्त किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका प्रोसीजर यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिये कॉलेज के प्रिन्सिपल रिकमन्ड करके नाम भेजते हैं और उनको फिर टेम्प्रेरी तौर पर नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइरेक्ट एजुकेशन डिपार्टमेन्ट ही नियुक्त कर देता है। तो वहां पर इनसे कोई बैटर व्यक्ति अवेलेबल हो तो यह बात प्रिन्सिपल के नोटिस में लाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई पर्टिकूलर व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कहना चाहते हों तो उनकी जानकारी हासिल करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—जो प्रोसिजर आप बता रहे हैं, क्या उसे सरकार ठीक मानती है कि जिससे पुराने अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को छोड़कर नये व्यक्तियों को लिया जाता रहे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं तो यह ठीक मानता हूं कि एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट सारे मामले पर कन्सीडर करके फिर मामला हमें रेफर करें।

श्री चांदमल मेहता—हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट जो रिकमन्डेशन करता है वह पुराने आदमियों

[श्री चांदमल मेहता]

की योग्यता और अनुभव को नहीं देखकर नये आदमियों की ही सिफारिश करे तो क्या सरकार इसे उचित मानती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, पुराने व्यक्ति भी नियुक्त किये गये हैं; ऐसा मेरी जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि पुराने रक्खे ही नहीं जाने चाहिए ।

श्री चांदमल मेहता—फिर नयों को रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस जगह पुराने अनुभवी और उपयुक्त योग्यता वाले आदमी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नयों की नियुक्ति की गई होगी।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यही समझा जावे कि पुरानों में कितने उपलब्ध थे, उन सबको लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर पर ऐसा ही समझा जाना चाहिये ।

श्री चांदमल मेहता—मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त इस मामले में क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जब तक दूसरे तथ्य सामने नहीं हों, तब तक मैं क्या कह सकता हूं । जिनके मामले में यह समझा जावे कि वे उपयुक्त हैं इस पोस्ट के लिए, उन पुराने आदमियों के नाम सम्बन्धित हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के पास देना चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या इसके लिए आधार केवल सिफारिश मात्र ही है, और कोई और आधार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह मुनासिब समझती है कि भविष्य में नई नियक्तियां करते समय ६ महीने में ही उनको पी० एस० सी० से कन्फर्म करा लिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुनासिब की बात नहीं : आप कोई हो तो इन्फॉर्मेशन दीजियेगा ।

श्री चांदमल मेहता—जो प्रोफेसर्स लेक्चरार नियुक्त किये गये हैं, उनका पी० एस० सी० से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें दो तरह के हैं। कुछ टेम्प्रेरी हैं, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स जो कहीं स्टेडी लीव पर गये हैं या कुछ और किसी काम से लीव पर गये हैं, उनके स्थान पर नियुक्त होते हैं। दूसरे परमानेन्ट पोस्ट पर नियुक्त होने वाले है। मैं आपको बताऊं कि शिक्षा-विभाग का जहां तक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
सम्बन्ध है—सब मामले पी०एस०सी० को रेफर कर दिये गये हैं और जो नियुक्तियां भी हुई हैं आम तौर से अगस्त ५४, सितम्बर ५४, या अक्टूबर ५४, में हुई हैं और इन सबको रेफर कर दिया गया है और बहुत समय गुजर जाने का सवाल इस पर लागू नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—जो नियुक्तियां जागीर-पुनर्ग्रहण के अन्तर्गत की गई हैं, क्या वे जागीरों के ही कर्मचारी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२७

चम्बल नदी पर बांध बनाने की शासकीय योजना तथा विद्युत्-उत्पादन

श्री जवानसिंह—क्या मन्त्री, योजना-विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(अ) चम्बल नदी पर कहां कहां कितने बांध बनाने की सरकार की वर्तमान योजना है और—शुरू की क्या योजना थी ?

(ब) बिजली कौन से बांध पर से तैयार की जायगी ?

(स) क्या इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर, पाली, सुमेरपुर और सिरोही को बिजली दी जाने की व्यवस्था है ?

(द) इस योजना से कितने जिलों को बिजली दी जा सकेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(अ) चम्बल की योजना में पहले एक बांध मध्य भारत में राजस्थान सीमा से कुछ ऊपर, दूसरा बांध (राणा प्रतापसागर) रावतभाटे में कोटा से अनुमानतः ३२ मील ऊपर और तीसरा बांध कोटा से ६ मील नीचे बनाये जाने का विचार था। वर्त्तमान योजना में मध्य भारत वाले बांध को दो मील नीचे हटाकर राजस्थान सीमा पर रक्खा गया है और तीसरे बांध को हटाकर गढमहल के सामने बनाया जा रहा है। राणा प्रतापसागर बांध रावत-भाटे पर ही रहेगा।

(ब) बिजली पहले गांधी-सागर से बनाई जावेगी और कुछ वर्ष पीछे रावतभाटे से।

(स) पाली को विद्युत्-शक्ति देना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। उदयपुर को बिजली देने के लिए चम्बल जल-शक्ति योजना के अन्तर्गत ट्रान्समिशन लाइन कहां-कहां खींची जाय, यह अभी केन्द्रीय जल एवं विद्युत्-आयोग के विचाराधीन है। सिरोही और सुमेरपुर को चम्बल जल-शक्ति योजना की प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत बिजली नहीं दी जावेगी।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(द) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत निम्न जिलों को विद्युत्-शक्ति दी जावेगी :—

उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, नागौर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर।

श्री जवानसिंह—उदयपुर शहर को बिजली चम्बल बांध से मिल सकेगी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, जरूर।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने कल-परसों इस सदन में जो स्टेटमेन्ट दिया था कि उदयपुर को चम्बल योजना से बिजली नहीं प्राप्त हो सकेगी, तो मुख्य मन्त्री के उस स्टेटमेन्ट को सही माना जाय या आप जो फरमा रहे हैं इसे सही माना जाय ? किसको सही माना जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)—मैंने यह कहा था कि अब तक जो योजना स्वीकृत की गई है, उसके अन्दर वह चीज़ नहीं आई है और अब भी अगर आप पूछें तो यही जवाब है कि यह नई योजना विचाराधीन है केन्द्र के। आप दोनों चीजों को आपस में न मिलावें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपको जवाब भी जो दिया गया था, वह जयपुर का दिया था।

श्री जवानसिंह—क्या रावतभाटा यानी राणा प्रताप सागर डेम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने मंजूर कर लिया है, उसको कन्स्ट्रक्ट करने के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, मंजूर कर लिया है। लेकिन टाइम का सवाल है कि अभी बनाया जाय या बाद में। ऐसा हुआ है कि गांधी सागर डेम की उन्होंने कुछ दीवार ऊंची कर ली है इसलिए वे कहते हैं कि अभी राणा प्रताप सागर डेम को नहीं बनाया जाय; लेकिन दुबारा राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को कहा है कि यह भी जल्दी बनना चाहिए; इसलिए वह दुबारा विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—अब तक की योजना में राणा प्रताप सागर डेम कब तक बनेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अभी इसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है।

श्री जवानसिंह—कौन-सा साल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपसे कहा है कि पहले दोनों डेम साथ-साथ बनाने को थे, लेकिन मध्यभारत गवर्नमेंट ने कहा कि गांधी सागर डेम की दीवार ऊंची बना दी है, इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि अभी राणा प्रताप सागर डेम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दुबारा लिखा गया है और वाटर-पॉवर कमीशन इस बात को जल्दी ही तय करने वाला है।

श्री जवानसिंह--क्या शुरू में जो चम्बल नदी-घाटी योजना थी, उसमें सुमेरपुर और पाली को भी बिजली देने की योजना थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जवानसिंह--क्या सरकार अपनी जानकारी को सुधारेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री खेतसिंह—क्या नागौर जिले में बिजली भाखरा-नांगल योजना से दी जायगी या चम्बल से दी जायगी या दोनों से दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—Order please ! Next.

प्रश्न संख्या १२८

राजस्थान के विभिन्न नगरों के लिये वाटर-वर्क्स बनाने की योजना

श्री जवानसिंह—क्या योजना-मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के कितने और किन-किन नगरों के लिये वाटर-वर्क्स बनाने की योजना है ? इस योजना पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—निम्नलिखित ६ नगरों की योजना है :—

अलवर, उदयपुर, पाली, भादरा, गंगानगर, भरतपुर, बालोतरा और चित्तौड़।

इन योजनाओं पर अब तक जो कार्यवाही हुई है, वह इस प्रकार है :—

अलवर में अनुमानित १०,५०,००० रुपया मार्च ५३ को मंजूर हुआ है। वहां काम चल रहा है।

उदयपुर में ३३ लाख रुपये की योजना है, जिसमें से सिर्फ १ लाख मार्च तक हो गये हैं, ३ लाख किशनगढ़ को दिये गये हैं और वहां रिज़र्वायर ठीक किये जा रहे हैं।

पाली की योजना २,३८,३५० रुपये की है। काम जारी है।

भादरा की स्कीम करीब सवा लाख की है और इसका काम अभी जारी किया गया है।

इसी तरह **गंगानगर** की स्कीम करीब ११ लाख रुपये की है और उसका काम जारी है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

भरतपुर की स्कीम भी १६ लाख रुपये की है और काम शुरू किया जा रहा है।

बालोतरा की स्कीम २,३५,००० रुपये की है और उसका काम जारी किया गया है।

चित्तौड़ में ४,४०,००० रुपये की स्कीम है। सामान मंगाया जा रहा है, उसमें काम जारी है।

श्री जवानसिंह—इस वाटर-वर्क्स के लिए खर्चा म्युनिसिपेलिटीज़ को करने के लिए कर्ज़े के रूप में दिया गया है या सरकार खुद वाटर-वर्क्स बना रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले ही एक सवाल के जवाब में कहा है कि सारा खर्चा म्युनिसिपेलिटीज़ को लोन के रूप में दिया जा रहा है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनको लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है।

श्री जवानसिंह—लोन का आधार क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिन म्युनिसिपेलिटीज़ की आर्थिक हालत अच्छी है और लोन रि पे कर सकती हैं, यह तो पहली बात। उसके बाद यह देखने की आवश्यकता है कि उन्हें आवश्यकता कितनी है और उसके मुताबिक़ कितना लोन दिया जाना चाहिए। ये सारी बातें देखकर दिया जाता है।

श्री जवानसिंह—क्या कर्जा चुकाने की हैसियत को ही सरकार खयाल में रखती है या यह भी देखती है कि वहां के लोगों को पानी की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी की आवश्यकता दूसरे शहरों की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दोनों बातें हैं, मगर जिन म्युनिसिपेलिटीज़ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे गवर्नमेंट का लोन रि-पे नहीं कर सकती हैं। वे पहले से ही डेफिसिट में रन कर रही हैं, उनको लोन देना वाजिब नहीं होगा। उनसे इन्ट्रेस्ट और वसूल किया जाता है।

श्री जवानसिंह—जिन म्युनिसिपेलिटीज़ की वर्तमान हैसियत कर्जा चुकाने की नहीं हैं, वहां सरकार की पानी के लिए क्या योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक स्थिति अच्छी करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १२६
कुछ गजटेड अधिकारियों को दो माह से अधिक समय का वेतन ३१ जनवरी, १६५५, तक नहीं मिलना

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री जवानसिंह]

(अ) ऐसे सरकारी गजटेड ऑफिसर कितने हैं, जिनको बिना उनकी गलती के २ महीने या उससे ज्यादा समय की तनख्वाह ता० ३१ जनवरी, ५५ तक नहीं मिल सकी है ?

(ब) उपरोक्त अफसरों में से ऐसे कितने हैं, जिनकी तैनाती हो गई है मगर वित्त-विभाग से मंजूरी नहीं होने से एकाउन्टेन्ट जनरल के एतराज़ पर तनख्वाह नहीं मिल पाई है ?

(स) उपरोक्त अफसरों को तनख्वाह न मिलने की सूरत में वे रोजमर्रा के खर्च को चलाने में समर्थ किस तरह हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री)—

(अ) ७०।

(ब) १५।

(स) ऑफिसरों को तनख्वाह न मिलने की सूरत में उनके रोजमर्रा के खर्च को चलाने की समर्थता उन ऑफिसरों पर खुद पर ही निर्भर है। सरकार ऐसे मामलों को शीघ्रातिशीघ्र तय करने की कोशिश करती है।

श्री जवानसिंह—यह समर्थता जो बतलाई गई है, क्या उसका यह अर्थ समझा जाय कि रिश्वत के लिए उनको खुली छूट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोई दूसरे जरिये भी हो सकते हैं, वे कर्ज भी ले सकते हैं या पहले की पूंजी से काम चला सकते हैं।

श्री जवानसिंह—सरकार यह उम्मीद रखती है कि सरकारी अफसर कर्जा लें। क्या सरकार इसको वाजिब मानती है ? इसमें "समय कम से कम" करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—वाजिब, ना-वाजिब का कोई सवाल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो और जल्दी से जल्दी ऐसे केसेज़ का निपटारा होना चाहिए, यह भी आवश्यक मानते हैं। मैं सूचनार्थ कहता हूं कि इनमें से पुलिस-विभाग के २५ अफसरों को फर्वरी, १९५५ तक का वेतन दिलाने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिये गये हैं। उसी तरह और भी ऑफिसर्स कई हैं, जिनको ३१-१-५५ के बाद वेतन मिलने के बारे में आदेश कर चुके हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि इससे ऑफिसरों के लिए दिक्कत हो सकती है। यह भी नहीं चाहते हैं कि कर्जा लेकर काम चलायें और न यह स्थिति चालू रखना चाहते हैं।

श्री जवानसिंह—सरकार भविष्य में ऐसी कोई सीमा निश्चित करेगी कि इतना समय गुजरने के बाद हर ऑफिसर को तनख्वाह आवश्यक रूप से मिल जाय।

Page No.12

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसके साथ-साथ सख्ती के साथ और ठीक तौर से लागू किये जायं, इस मामले में वे रूल्स वगैरह बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, उसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है; जिससे इस प्रकार की परेशानी नहीं हो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १३८

जयपुर कलेक्टर के पास सन् १९५४-५५ के सस्पेन्डेड कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र तथा उन पर निर्णय

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्व-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ५४-५५ के आरम्भ में जयपुर के कलेक्टर के पास कितने सस्पेन्डेड कर्मचारियों के रिप्रेजेन्टेशन विचाराधीन थे?

(२) चालू वर्ष में कितने कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये?

(३) १५ फरवरी, सन् १९५५ तक कुल कितने कर्मचारी बहाल किये गये?

(४) जो व्यक्ति बहाल किये गये उनके नाम क्या हैं; उनका सस्पेन्शन का कार्यकाल कितना है और किस-किस व्यक्ति को सस्पेन्शन के समय की तनख्वाह भी दिलाने का ऑर्डर दिया गया है!

(५) १५ फरवरी, १९५५ को जयपुर कलेक्टर के दफ्तर में किस-किस सस्पेन्डेड कर्मचारी का रिप्रेजेन्टेशन पेन्डिंग रहा और वह कितने समय से वहां पेन्डिंग है!

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) :—

(१) सन् १९५४-५५ के प्रारम्भ में जयपुर कलेक्टर के पास ८ सस्पेन्डेड कर्मचारियों के रिप्रेजेन्टेशन विचाराधीन थे।

(२) चालू वर्ष में चार कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये।

(३) १५ फरवरी, १९५५ तक कुल ७ कर्मचारी बहाल किये गये।

(४) उनका विवरण इस प्रकार है :—

नाम	सस्पेन्शन काल	रिमार्क
१. श्री देवीशंकर, ट्रान्सपोर्ट क्लर्क	१७ दिन	सस्पेन्शन काल की तनख्वाह नहीं दी गई।
२. श्री परमानन्द कैशियर, तहसील आमेर	२ साल ६ माह	पूरी तनख्वाह दी गई।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

३.	श्री कल्याणदास रीडर, तहसील बसवा	३ साल	पूरी तनख्वाह दी गई।
४.	श्री मोहनलाल रीडर, सरवाड़	१ साल	सस्पेन्शन-काल छुट्टी में शुमार।
५.	रामेश्वरलाल रीडर	२० दिन	पूरी तनख्वाह दी गई।
६.	श्री चम्पालाल	२ साल ३ माह ८ दिन	पूरी तनख्वाह दी गई।
७.	श्री सुखलाल भालचन्द नविसन्दा, आमेर	६ साल	पूरी तनख्वाह दी गई।

(५) १५ फरवरी, सन् १९५५ तक जयपुर कलेक्टरी में ५ सस्पेन्डेड कर्मचारियों के केस पेन्डिंग थे।

श्री चान्दमल मेहता—सस्पेन्शन-काल की कुल तनख्वाह का जोड़ कितना होता है साहब?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—६ साल, ६ साल, ३ साल और २ साल तक सस्पेन्ड रखकर फिर उन्हें बहाल किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनके खिलाफ एन्क्वायरीज़ चल रही थीं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार ६ साल तक एन्क्वायरी चालू रखकर सस्पेन्शन-काल की तनख्वाह दिलाये, इस तरह से सरकारी रुपये का दुरुपयोग करना उपयुक्त मानती है?

श्री अध्यक्ष—उपयुक्त-अनुपयुक्त का कोई सवाल नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूरी था एन्क्वायरी करना। एवीडेन्सेज़ वगैरह इकट्ठी करने में इतना वक्त लग गया।

श्री चान्दमल मेहता—यह इन्क्वायरी किस अधिकारी ने की है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि उनके खिलाफ जो चार्जेज़ थे, उनको दबाने की दृष्टि से इतने अर्से तक यह मामला पेन्डिंग रखा गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं।

Page No.14

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार आयन्दा ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि जिससे सस्पेन्शन केसेज़ तय हो जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य।

श्री चान्दमल मेहता—जो ५ केसेज़ पेन्डिंग हैं, उनमें सबसे अधिक पुराना कितने साल का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सूचना मेरे पास नहीं है पेन्डिंग केसेज़ के लिए।

श्री चान्दमल मेहता—यह पेन्डिंग केसेज़ कब तक फैसले किये जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १३१

जनवरी १९५५ तक जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि-ग्रहण

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) राजस्थान की कितनी जागीरें राजस्थान भूमि-सुधार तथा पुनर्ग्रहण कानून के तहत ता० ३१-१-५५ तक ग्रहण कर ली गई हैं ?

(ब) उपरोक्त जागीरों के स्वामियों में से कितनों को इंटेरिम मुआवजे की कुल रकम दी जा चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री)—

(अ) दिनांक ३१-१-५५ तक राजस्थान भूमि-सुधार तथा पुनर्ग्रहण एक्ट, १९५२ के अन्तर्गत हैं, ३३५३ जागीरें खालसा की जा चुकी हैं।

(ब) उपरोक्त जागीरों के स्वामियों में से ३२ ने इस प्रकार का मुआवज़ा देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये; जिनमें से १५ को अन्तर्कालीन मुआवजा, जिसकी कि कुल रक़म ३,८१,६३३ रुपये देने की स्वीकृति हो चुकी है।

श्री जवानसिंह—बाक़ी जागीरदारों को मुआवज़ा न देने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका मतलब इंटेरिम कंपेन्सेशन से है। वे केसेज़ तैयार हो रहे हैं और महीने-भर के अन्दर इंटेरिम मुआवज़ा देने का आॅर्डर हो जायगा।

श्री जवानसिंह—क्या उन में से ऐसे केसे भी हैं जिनमें कंपेन्सेशन बॉंड पहले भरे गये थे और जिन्होंने बॉंड पहले भरे उनको बाद में कंपेन्सेशन दिया गया और जिन्होंने बाद में भरे उनको पहले दे दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये उनके केसेज़ में देरी हो गई हो।

श्री भोपालसिंह—क्या ए० जी० कंपेन्सेशन देने के लिये इन्कार हो गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है।

श्री भोपालसिंह—क्या जानकारी प्राप्त करके जल्दी जवाब देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप मेरे पास आयेंगे तो जवाब देने का ही प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि रुपये दिलाने का भी प्रयत्न करूंगा।

श्री खेतसिंह—३३५३ जागीरें लेने के बाद कितनी जागीरें और रह गई हैं, जो खालसा करनी है ?

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा सवाल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह मुझे पता नहीं, लेकिन शेरगढ़ में तो अभी बहुत बाकी हैं।

प्रश्न संख्या १३२

सन् १९५३-५४ में चित्तौड़ जिले के विकास-कार्यों के लिये धन-राशि

श्री जगतसिंह झाला—क्या विकास-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५३-५४ में विकास-कार्य के लिये जिला चित्तौड़गढ़ को कितना रुपया दिया गया ?

(ख) यह रकम इस जिले की कौन-कौन सी तहसीलों में किस-किस कार्य में खर्च हुई ?

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी कपासन चुनाव-क्षेत्र में इस रकम में से दूसरी जगह के मुकाबले में बहुत ही कम खर्च किया गया ?

(घ) क्या भविष्य में सरकार इस प्रकार विकास-कार्यों में खर्च होने वाली रकम को जिले के हर एक तहसील में बराबर के अनुपात से खर्च कराने का आदेश देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री)—(क) सन् १९५३–५४ में स्थानीय विकास-कार्यों के लिये जिला चित्तौड़गढ़ को ४१,३५० रुपये दिये गये।

(ख-ग) तहसीलों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(घ) वाजिब आवश्यकता को देखते हुए विकास-कार्यों में व्यय की जाने वाली रकम की स्वीकृति दी जाती है। अतः प्रत्येक तहसील के लिये बराबर रकम खर्च करना संभव नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि दूसरे स्थानों को ज्यादा रकम दी गई है और बड़ी सादड़ी को कम दी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री जगतसिंह झाला—सरकार इसकी जांच करावे तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपको बताया कि उस आधार पर शायद वहां कार्य न हो तो कम दिया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १३३

बड़ी सादड़ी (जिला चित्तौड़) के लिए हाई स्कूल भवन का निर्माण

श्री जगतसिंह झाला—क्या शिक्षा-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ हाई स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

(ख) क्या स्कूल-भवन इन विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है?

(ग) क्या यह सच है कि वहां की जनता ने इस स्कूल के निर्माण के कार्य पर अब तक करीब १५ हजार रुपये खर्च किये हैं?

(घ) इस स्कूल को अब तक सरकारी सहायता भवन-निर्माण के लिये कितनी मिली है?

(ङ) इस जिले के दूसरे हाई स्कूलों के मुकाबले में इस भवन-निर्माण के कार्य में सहायता बिलकुल न मिलने का क्या कारण है?

(च) क्या सरकार भविष्य में इसे सहायता देने का विचार करती है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—(क) २१६।

(ख) जी नहीं।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) जनता ने खर्च किया है। कब कितना व्यय किया, इसका हिसाब विभाग को नहीं दिया गया।

(घ) ५००) रुपये।

(ङ) किसी अन्य हाई स्कूल को विशेष सहायता नहीं दी गई।

(च) अन्य ऐसे ही संस्थाओं के साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जायगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि बेगूं हाई स्कूल को ज्यादा दिया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं अर्ज कर चुका हूं कि सरकार का आधार यह होता है कि जितना खर्चा अब किया जाता है, उसी के आधार पर रुपये दिये जाते हैं। पहले कितना खर्चा किया गया, इसका हिसाब नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या १३४

बालिका-विद्यालय, शिवगंज में योग्य अध्यापिकाओं की व्यवस्था

श्री मोहबतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(a) What is the number of girls studying in the Girls School (class-wise) at Sheoganj and what is the total number of mistresses?

(b) What is the qualification of each mistress serving in this institution?

(c) How many girls students were there in August, 1954?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—

(अ) गर्ल्स स्कूल शिवगंज की कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या निम्न प्रकार है:—

कक्षा	संख्या	कक्षा	संख्या
१ ए	१६	२	३२
१ बी	१४	३	२१
१ सी	१०	४	८
		५	४

कुल टोटल १४६ है।

Page No.18

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ब) इस स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या ३ है और उनकी योग्यता हर एक के सामने नीचे लिखी गई है :—

(१) श्रीमती शान्ती देवी मैट्रिक

(२) श्रीमती ईलवाएरिवल मिडिल ट्रेन्ड

(३) श्रीमती एच० समसन मिडिल ट्रेन्ड

(स) माह अगस्त ५४ में इस स्कूल में बालिकाओं की संख्या ११८ थी।

श्री मोहब्बतसिंह—१५० बालिकाओं के लिये क्या ३ अध्यापिकाएं कम नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, संख्या बढाना मैं भी आवश्यक समझता हूं; अगले साल से संख्या बढ़ा दी जायगी।

प्रश्न संख्या १३५

५४-५५ के आरम्भ में औद्योगिक कारखानों में रॉयल्टी की बकाया रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) चालू वर्ष ५४-५५ के आरम्भ में किन किन औद्योगिक कारखानों में कितनी रकम रॉयल्टी की बकाया था ?

(२) चालू वर्ष में उक्त बकाया में से कितनी रकम वसूल की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग-मन्त्री)—दिनांक १-४-५४ को जिन-जिन कारखानों में जितनी-जितनी रॉयल्टी बकाया थी उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उसके अनुसार ५३-५४ की साल में ५२०६६७ रु० १ आना ६ पाई की रॉयल्टी बकाया थी।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

उपरोक्त बकाया में से चालू वर्ष में निम्न प्रकार से रकम वसूल हुई:—

(१) मेवाड़ शुगर मिल्स, भूपालसागर	८७२२ रु० १४ आ० ३ पा०
(२) मनोहर जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्री, भींडर	१०४० रु० ७ आ० ० पा०
योग	९७६३ रु० ५ आ० ३ पा०

श्री चांदमल मेहता—रॉयल्टी की इतनी रकम बकाया रहने का क्या करण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भिन्न-भिन्न उद्योग-संचालकों की ओर से चैलेंज किया गया है, इसलिये लॉ डिपार्टमेन्ट में भेजकर अलग-अलग कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—कितने ऐसे मामले हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन लोगों ने चैलेंज किया है कि उनकी जांच लॉ डिपार्टमेन्ट में हो रही है, उनके अलावा बाकी सब से 'पब्लिक डिमान्ड रिकवरी' एक्ट के मातहत कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—किन किन उद्योगों ने चैलेंज किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने सूची देखी होगी। दो को छोड़ कर सभी फैक्ट्रीज़ ने चैलेंज़ किया है।

श्री चान्दमल मेहता—किस आधार पर चैलेन्ज किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी का कहना यह है कि वह रॉयल्टी सरकार नहीं ले सकती। किसी का यह कहना है कि दूसरे किसी तरह के टेक्सेज़ पहले रॉयल्टी तय करते समय नहीं लगते थे और जब इकम-टेक्स आदि देना पड़ता है इसलिये रॉयल्टी सरकार वसूल नहीं कर सकती। ऐसी कई बातें हैं, जिन पर लम्बी-चौड़ी स्पीच हो सकती है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या चैलेन्ज करके कोर्ट में कार्यवाही की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, कोर्ट में कार्यवाही की गई है। उसके आधार पर सरकार विचार कर रही है। ऐसा न हो कि गवर्नमेन्ट कोर्ट में हार जावे।

श्री चान्दमल मेहता—क्या जिनिंग फेक्ट्रीज़ के अलावा टेक्सटाइल मिल्स भी ऐसी हैं, जिनमें लाखों रुपये रॉयल्टी के बकाया हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूं; जैसे कि पाली टेक्सटाइल मिल चैलेन्ज कर चुकी है और हाई कोर्ट में जा चुकी है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या मंत्रीजी की जानकारी में यह बात है कि मेरे गैर सरकारी प्रस्ताव के समय जवाब दिया था कि रॉयल्टी लेना कानूनन् वाजिब है और दूसरे प्रान्तों में भी ली जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वाकई सरकार ले सकती है। ये दूसरी तरह के मामले हैं। यदि आप चाहें तो काफी लम्बी-चौड़ी बहस करके आपको समझाया जा सकता है। पहले यह तय था कि इन फेक्ट्रीज़ से इन्कम-टेक्स नहीं लिया जायगा, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि इन्कम टेक्स तो लिया ही जायगा। इस तरह के कई झगड़े इसमें हैं।

Page No.20

श्री तेजमल बापना—क्या कुछ औद्योगिक कन्सर्न को सरकार स्टे ऑर्डर वास्तव में दे सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—जिन उद्योगों ने कोर्ट में चैलेन्ज किया है उन्हीं को स्टे ऑर्डर दिया गया है या जिन्होंने कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया है, उनको भी दे दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन्होंने कोर्ट में चैलेन्ज किया है उनको तो दिया ही गया है, इसके अलावा सरकार ने देखा कि जिनको स्टे ऑर्डर देना चाहिये उनको दे दिया जाय, वर्ना वे कोर्ट से ले आयेंगे !

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह का जनरल ऑर्डर देना सरकार वाजिब नहीं समझती।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। जिनको स्टे ऑर्डर देना आवश्यक मानती है, उनको दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—आप आवश्यकता का क्या आधार मानते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हमारे यहां लॉ डिपार्टमेन्ट है।

श्री तेजमल बापना—क्या हर किसी केस को कानूनी सलाह के लिये भेजा जाता है या महकमा ही स्टे ऑर्डर दे देता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिस किसी उद्योगपति की ओर से इस किस्म की मांग आती है उसकी लॉ डिपार्टमेन्ट की ओर से जांच कराई जाती है। यदि लॉ डिपार्टमेन्ट की राय स्टे आर्डर देने की होती है तो स्टे ऑर्डर दिया जाता है, नहीं तो रॉयल्टी वसूल करने की कार्यवाही की जाती है।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि सेठ माछूर जिसकी ८, १० फेक्ट्रीज़ हैं, उनको स्टे ऑर्डर दिया गया है और बाकी जो छोटी-छोटी फेक्ट्रीज़ हैं उनको पैसे जमा कराने के लिये कहगया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिनसे वसूल करना है, उनसे बराबर किया जाता है और जिसमें कानूनी कार्यवाही चल रही है उसमें जब फैसला हो जायगा, तब चाहे श्री माछूर हों या कोई हों, सबसे वसूल कर लिया जायगा।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि माछूरजी को डिपार्टमेन्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। उनकी तरफ से कोर्ट में कोई केस नहीं है फिर भी उनको स्टे ऑर्डर दिया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लॉ डिपार्टमेन्ट को पूछ कर दिया होगा। मुझे इस समय पूरी जानकारी नहीं है।

Page No.21

श्री तेजमल बापना—क्या इस सम्बन्ध में युनिफॉर्म पॉलिसी काम में लाने का सरकार का विचार नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या - सुना नहीं, क्या फरमाया ?

श्री तेजमल बापना--माछुरजी को स्टे ऑर्डर दिया है, उसी तरह से दूसरी फेक्ट्रीज़ को भी स्टे ऑर्डर देने का सरकार का विचार है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार के लिए एक तरह की पॉलिसी है, लेकिन अलग-अलग केसेज़ को देखकर जैसा करना उचित समझा जाता है, वैसा करना पड़ता है।

श्री तेजमल बापना—क्या जो लोग सरकार तक एप्रोच नहीं कर सकते, उनका मामला रुक जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे यह ठीक है कि जो पहुंचता है और कोशिश करता है, उसकी सुनवाई ठीक हो जाती है।

श्री तेजमल बापना—केस लाने के बाद या कैश लाने के बाद ?

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि भेंट लेने के बाद काम जल्दी बनता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य के अनुभव में ऐसी बात है तो बतावें, जरूर कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या १३६

जिला सिरोही के कुछ ग्रामों में माध्यमिक तथा प्राथमिक पाठशालाओं का प्रबंध

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state:—

Whether the Government is contemplating to start Girls Middle Shcool at Sirohi proper and Girls Primary School at Mandar, Rohira, Pindwara in Sirohi District from July, 1955 ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—सिरोही बालिका स्कूल को मिडिल स्कूल तक बढ़ाने का और अन्य स्थानों पर बालिकाओं के लिये प्राइमरी स्कूल चालू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि अगले वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाय।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या इस वक्त आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी से नहीं।

प्रश्न संख्या १३७

राजस्थान राज्य के प्रत्येक डिविजन से जागीर के मुआवजे के फॉर्म भरे जाना

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान के हर एक डिविजन से अब तक कुल कितने जागीर के मुआवज़े के फॉर्म पेश किये गये ?

(आ) क्या यह सच है कि जिन फॉर्मों को पेश किये चार माह से भी ज्यादा समय हो गया है, अब तक उनके तस्दीक की कार्यवाही नहीं हो सकी है ?

(इ) क्या यह सच है कि इस देरी के कारण सैकड़ों लोगों ने फॉर्म भरने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश किये हैं ?

(ई) इस प्रकार से रिट पेश करने वालों की संख्या कुल कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—

(अ) राजस्थान के हर डिविजन में मुआवज़े के फॉर्म इस प्रकार प्राप्त हुए हैं:—

जयपुर	२६७
जोधपुर	१००
बीकानेर	१०४
उदयपुर	१३६२
कोटा	४३६
मीज़ान	२,२६६

(आ) मुआवज़े के दावों की तस्दीक शीघ्रता से करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस कार्य में थोड़ा समय लगना आवश्यक है क्योंकि जागीर की आमदनी की तस्दीक के अतिरिक्त सरकारी कर्ज व बकाया, उनसे गुजारा-भत्ता पाने वाले व उनके पांतिदारों की तस्दीक भी साथ२ की जायेगी।

(इ) जी नहीं।

(ई) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगतसिंह झाला—बड़ी सादड़ी में मेन्युअल अभी तक नहीं पहुंची है, इस वजह से वे फार्म वैसे ही पड़े हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडियां—मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, आपने दी है तो इस पर मैं पता चलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १३८

राजस्थान में शरणार्थियों के लिए सेवाएं सुरक्षित रखने की योजना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान सरकार शरणार्थियों के लिये सेवाएं सुरक्षित (Resarvetion of Services) रखने के लिये तैयार है?

(ख) यदि तैयार है, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस प्रश्न का उत्तर रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर द्वारा उनकी टर्न पर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या १३९

पदमपुर तहसील में अधिक हाई स्कूलों की व्यवस्था

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या शिक्षा-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पदमपुर तहसील की कितनी आबादी है और उसमें सरकार की ओर से कितने हाई स्कूल हैं?

(ख) क्या सरकार इस तहसील में अगले साल से तामकोट और पदमपुर में हाई स्कूल खोलने के लिये तैयार है?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मंत्री)--

(क) जनसंख्या ५८,६२९ है और कोई सरकारी हाई स्कूल नहीं है।

(ख) इस संबन्ध में आवेदन किये जाने पर इन स्थानों की उपयुक्तता एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार विचार करेगी।

Page No.24

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह विचार सरकार कब तक कर लेगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप और हम इस पर जल्दी से बात करेंगे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इतनी जनसंख्या होते हुए भी अब तक वहां हाईस्कूल नहीं खोले गये, इसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसे कई स्थान हैं जहां हाई स्कूल खुलने आवश्यक हैं, परन्तु अभी तक नहीं खुले हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वहां खोला जाना बहुत आवश्यक नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आवश्यक तो बहुत जगह है, पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए और साधनों के सीमित होने के कारण, ऐसी कई आवश्यक जगहों पर हाई स्कूल नहीं खोले गये हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में है कि पदमपुर तहसील में सबसे ज्यादा मिडिल स्कूलें हैं और वहां हाई स्कूल का होना बहुत जरूरी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने कहा है, इन बातों की मैं जानकारी करूंगा; केवल आपके कहने से ही तो अभी मैं नहीं मान सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४०

सन् ५४-५५ में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्व विभाग में जुनियर क्लर्कों को सीनियर क्लर्क बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ५४-५५ के वर्ष में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्व-विभाग के कितने एल० डी० सीज़० को यु० डी० सी० बनाया गया?

(२) उक्त व्यक्तियों के नाम, योग्यताएं व लैंग्थ ऑफ सर्विस कितनी कितनी हैं और यु०डी०सी० बनाने के पूर्व उन्हें क्या-क्या तनख्वाहें मिल रही थीं?

(३) उक्त व्यक्तियों को यु० डी० सी० बनाते वक्त क्या आधार रखा गया था?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—

(१–२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सिविल सर्विस रूल्स का आधार अपनाया गया था।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना पड़ता है कि मंत्रियों की ओर से सदन की मेज पर स्टेटमेंट जो रखे जाने वाले होते हैं, वे नहीं रखे जाते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने तो मेज पर रख दिया है।

श्री चांदमल मेहता—धन्यवाद, आप भी मंत्रियों में शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष, ये स्टेटमेंट सदन की मेज पर नहीं रखने के कारण जो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस हक से हमें महरूम रहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—यह सवाल कल ले लिया जाय, कल रख देंगे।

प्रश्न संख्या १४१

राष्ट्रीय विकास-खण्ड, तहसील करनपुर की समिति के सदस्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या योजना-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राष्ट्रीय विकास-खण्ड, तहसील करनपुर की एडवाइजरी कमेटी के कितने मेम्बर हैं ?

(ख) उनमें से शहर और देहात के कितने-कितने हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर शहर के मेम्बर होने के कारण खण्ड का रुपया शहरों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है ?

(घ) क्या सरकार यह बतलायेगी कि आज तक जो रुपया खर्च किया जा चुका है, उसमें से शहरों में कितना हुआ है और देहातों में कितना ?

(ङ) शहरों में ज्यादा खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—इसका उत्तर माननीय गृह-मन्त्रीजी, उनकी टर्न पर देंगे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह समझा जाय कि इसका उत्तर फिर दिया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका उत्तर मैं दूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४२

गंगानगर में प्राथमिक पाठशालाएँ

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या शिक्षा-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले ८ महीनों से गंगानगर जिले में तहसीलवार कितने प्राइमरी स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई और उनमें से कितने खोले गये ?

(ख) पूरे न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा-मन्त्री)—

(क) गंगानगर जिले में पिछले ८ माह में निम्नलिखित तहसीलवार प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हुए व खोले गये :—

तहसील	मंजूर हुए	खोले गए
१. गंगानगर	६	६
२. करनपुर	४	४
३. पदमपुर	४	४
४. हनुमानगढ़	६	६
५. रायसिंहनगर	३	३
६. सूरतगढ़	३	३
७. अनूपगढ़	१	१
८. नोहर	५	५
६. भादरा	४	४
	३६	३६

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह बतलाया जा सकता है कि पदमपुर तहसील में किस किस जगह खोले गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सूचना आपने पूछी नहीं थी, इसलिये इस समय जबाव नहीं दिया जा सकता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्योंकि वहां स्कूल खुले नहीं हैं, इसलिये पूछा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने कहा है तो जांच की जायगी।

प्रश्न संख्या १४३

कोटा डिवीजन में बालिकाओं के लिये हाईस्कूल

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या शिक्षा-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा डिवीजन में कितने लड़कियों के हाई स्कूल हैं; जिलावार बतलाने की कृपा करें!

(२) हर एक हाई स्कूल में कितनी कितनी लड़कियां हैं?

(३) पिछले तीन सालों में कितने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल बनाये गये हैं!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य एवं शिक्षा-मंत्री)—

(१) कोटा डिवीजन में जहां केवल लड़कियों के लिये हाई स्कूल की पढ़ाई होती है; ऐसी दो संस्थाएं हैं। जिला कोटा में महारानी इन्टर कॉलेज, कोटा व जिला झालावाड़ में गर्ल्स हाई स्कूल, झालावाड़।

(२) गर्ल्स हाई स्कूल, झालावाड़ में छात्राओं की संख्या ३७६ है व महारानी इन्टर कॉलेज, कोटा की हाई स्कूल की कक्षाओं में छात्राओं की संख्या १७४ है।

(३) पिछले तीन वर्षों में केवल गर्ल्स मिडिल स्कूल, झालावाड़ को ही हाई स्कूल बनाया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि बूंदी की मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया गया? अब कब बनाया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब आगे कहां बनाया जायगा, इस बारे में बताया जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—लड़कियों की तादाद के आधार पर हाई स्कूल बनाया जाता है या जैसी मर्जी हो वैसे ही?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जैसे मर्जी आये वैसे ही बनाने का तो प्रश्न नहीं। जहां आवश्यकता होती है, वहां बनाया जाता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—तो क्या सरकार ने बूंदी में इसकी आवश्यकता नहीं समझी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि विचार किया जायगा। आप कहते हैं तो जरूर बूंदी की आवश्यकता माननी होगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरे कहने का सवाल नहीं, अब तो बूंदी के मंत्रीजी हो गये हैं; इसलिये जरूर बनाई जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप नाराज़ हों तो न करें।

महाराज श्री केसरीसिंह—नहीं नाराज़ होने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न संख्या १४४

चालू वर्ष में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए शासकीय योजनायें

श्री चान्दमल मेहता—क्या उद्योग-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में चालू वर्ष में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या योजनायें चालू की गई हैं ?

(२) उक्त योजनाओं से कुटीर उद्योगों के विकास में किस हद तक सफलता मिली है ?

(३) पिछले वर्ष के मुकाबिले में इस वर्ष कुटीर उद्योगों की क्या स्थिति रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय-मंत्री)—

(१) राजस्थान के चालू वर्ष में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें चालू की गई :—

१. सूत व ऊन की कताई व बुनाई
२. कपड़े की रंगाई व छपाई
३. कपड़े की सिलाई
४. लोहे के कार्य
५. सुई के विना वस्त्र बनाने का कार्य
६. पीतल के बर्तनों पर वार्निश करना
७. नम्दा, दरी व निवार बनाना

Page No.29

८. चमड़े का कार्य

९. तेल घानी

१०. खजूर से गुड़ बनाना

११. पशु पालना

१२. भेड़ पालना

१३. साबुन बनाना

१४. प्रदर्शन समूह

१५. क्रय-विक्रय व्यवस्था

१६. शहद उद्योग

(२) उक्त योजनाओं में अब तक करीब-करीब ६४० विद्यार्थियों को आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जा चुकी है। ये विद्यार्थी उक्त कार्य को सरलतापूर्वक कर रहे हैं और इस प्रकार उनके उत्पादन तथा आय दोनों में वृद्धि हुई है। जनता का ध्यान उक्त योजनाओं की ओर अब आकर्षित हुआ है और आशा की जाती है कि अब स्थिति दिन-प्रतिदिन अच्छी होगी।

(३) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुटीर उद्योगों को अधिक सफलता मिली है और कार्य भी अधिक संतोषजनक रहा है। इस वर्ष निम्नलिखित स्थानों पर शिक्षण-केन्द्र खोले गये हैं, जिनमें विद्यार्थियों को आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जाती है। प्रजा अब इस ओर अग्रसर हो रही है :

१. किशनगढ़ वास

२. रायसिंह नगर

३. डूंगरपुर

४. राजसमंद

५. सुमेरपुर

६. हिन्डोन

७. बारां

श्री चांदमल मेहता—यह मैंने अपने प्रश्न के पहले खंड में पूछा था कि चालू वर्ष में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें चालू की गई हैं ? यहां जिन

[श्री चांदमल मेहता]

उद्योगों के नाम दिये गये हैं, क्या इससे यह समझा जावे कि ये योजनाएं सरकार द्वारा चालू हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, इन योजनाओं पर काम होता है और जो विषय बताये गये हैं उन पर योजनाएं हैं और सरकार द्वारा कार्य सिखाया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—इसमें कितने आदमी लगे हुए हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैं बता चुका हूं कि ६४० विद्यार्थियों को उक्त योजनाओं के अनुसार आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जा चुकी है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने ट्रेनिंग के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि सरकार ने किन-किन उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दिया और यह भी जानना चाहता हूं कि योजना क्या है और क्या सरकार इन उद्योग धन्धों को स्वयं चला रही है या दूसरे चला रहे हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने १६ नाम बताये, ये १६ तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को सरकार चलाती नहीं है। सरकार, जो चलाना चाहते हैं, उनको शिक्षा देती है ताकि वे अपने उद्योगों को योग्यता से चला सकें और उनका माल अच्छी तरह से बिक सके।

श्री चांदमल मेहता—इस शिक्षा देने के अलावा कौन-सी ऐसी योजना है जिसके जरिये से माननीय मंत्री यह कहने की स्थिति में हैं कि सरकार उनको सहायता दे रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक सहायता दी गई है। जो छोटे उद्योग-धन्धे चला रहे हैं और उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता हुई तो उनको आर्थिक सहायता दी गई। मध्य और बड़े उद्योगों के लिये भी आर्थिक सहायता दी जाती है?

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार ने चमड़े के सम्बन्ध में क्या योजना रखी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये। चमड़े की ट्रेनिंग के लिये स्कूलें खोली हैं और उनमें अनुभवी आदमियों रखे जा रहे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार इस चमड़े के उद्योग-धन्धे को इतना छोटा समझती है कि उसको कोई महत्व नहीं देती?

भोगीलाल पंड्या—सरकार इसका महत्व समझती है तभी तो इसके लिये एक कमेटी कायम की है। आपने इसमें अच्छी ट्रेनिंग ली है, यह मालूम है।

श्री तेजपाल—क्या सरकार बतलाएगी कि ये चर्म-उद्योग कहां-कहां खोले गये हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक धौलपुर और अन्य स्थानों में।

श्री तेजपाल—धौलपुर में खोला गया, उसमें कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जायगा। यह प्रश्न नही पूछा गया कि कितने लड़के हैं।

श्री तेजपाल—क्या यह सही है कि पहले यह भरतपुर में खोला गया था।

एक सदस्य—क्या चर्म-उद्योग के लिये विशेषज्ञ हमारे यहां एम० एल० ए० मौजूद हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—हरिजन कोई भी हो सकता है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—जिस तरह से ऊन के सिल-सिले में खास तरह की योजना है उसी तरह से अन्य सरकारों ने चमड़े के सम्बन्ध में भी योजनाएं बनाई हैं, क्या इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार भी इस सम्बन्ध में योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—योजना का विचार रखती है तभी तो कल इस सम्बन्ध में बात-चीत हुई थी। आप भी इसमें जानकार हैं, आपको भी योजना में शामिल रखा गया है क्योंकि आप भी इसके विशेषज्ञ हैं।

श्री जवानसिंह—पुराने कुटीर उद्योगों और नये कुटीर उद्योगों को घाटे की हालत में बन्द होने से रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पुराने उद्योग जितने बन्द हुए हैं, उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करके उन पर विचार करेंगी। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो ठीक तरह से शुरू नहीं किये गये और उसके कारण बन्द हुए और कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक कारण से बन्द हुए। जो आर्थिक कारणों से बन्द हुए हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है और नयों के लिये जहां पर उपयुक्त स्थान होगा; शुरू किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या १४५

बालेसर हाई स्कूल के अध्यापकों की स्ट्रेंग्थ

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बालेसर हाई स्कूल में कितने अध्यापकों की स्ट्रेंग्थ है और फिलहाल कितने अध्यापकों से स्कूल चलाई जा रही है ?

[श्री खेतसिंह]

(ख) उपरोक्त हाई स्कूल को फर्नीचर के लिये कितनी रकम सन् १६५४–५५ में दी गई ? यदि नहीं दी गई तो क्यों नहीं ?

(ग) उपरोक्त हाई स्कूल में विज्ञान, वाणिज्य व कृषि की कक्षायें अभी तक क्यों नहीं खोली गई हैं ? अब कब तक खोली जायेंगीं ?

(घ) क्या उपरोक्त हाई स्कूल में क्लर्कों व फर्राशों की संख्या एक हाई स्कूल में होनी चाहिये उतनी है या कम ? यदि कम है तो क्यों ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य एवं शिक्षा-मंत्री)—

(क) स्ट्रेंग्थ १३ अध्यापकों की है और इस समय १० अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(ख) १७००) रुपये की।

(ग) हाई स्कूल इसी वर्ष खोला गया है। अन्य और विषय खोलना विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर है। अगले वर्ष इस विषय पर विचार किया जावेगा।

(घ) सभी हाई स्कूलों में क्लर्कों एवं फर्राशों की संख्या एक-सी नहीं हो सकती। यह छात्रों की संख्या पर निर्भर है। इस स्कूल में क्लर्कों एवं फर्राशों की संख्या छात्रों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है।

श्री **खेतसिंह**—क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां पर वास्तव में कार्य सिर्फ ८ ही मास्टर करते हैं और बाकी डिप्टी डाइरेक्टर के ऑफिस में काम कर रहे हैं और नाम उनका हाई स्कूल में चल रहा है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—ऐसी जानकारी अब आपसे प्राप्त हुई है। आप दे रहे है, जांच की जावेगी।

श्री **खेतसिंह**—क्या सरकार वहां पर मास्टरों के कोटा को पूरा करेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—वहां की आवश्यकतानुसार कोटा पूरा किया जावेगा।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—(अश्रव्य)

श्री **अध्यक्ष**—यह बिलकुल नया प्रश्न है।

प्रश्न संख्या १४६

सन् १९५५-५६ में प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की योजना

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १९५५-५६ में राजस्थान में कितनी प्राइमरी स्कूलें खोलने की योजना है ?

(ख) तहसील शेरगढ़ में कितनी प्राइमरी स्कूलें खोली जायेंगी ?

(ग) क्या सरकार प्राइमरी स्कूलें खोलते वक्त अध्यापकों के साथ कुछ जरूरी फर्नीचर भी भेजती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) शेरगढ़ तहसील में ऐसी कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं जो गत वर्ष खोली गई थीं, लेकिन अध्यापक अभी तक नहीं भेजे गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा-मन्त्री)—

(क) सन् १९५५-५६ में राजस्थान में १०५० नई स्कूलें खोलने की योजना है।

(ख) यह अभी नहीं कहा जा सकता कि कितनी स्कूलें कब और कहां खोली जावेंगी। नई स्कूलें जनसंख्या के आधार पर खोली जायेंगीं। नई स्कूलों की स्वीकृति प्राप्त होने पर शेरगढ़ में भी नई स्कूलें खोलने के प्रश्न पर जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अवश्य विचार किया जायेगा।

(ग) हां, प्राइमरी स्कूलें खोलते समय अध्यापकों के साथ जरूरी फर्नीचर भेजा जाता है।

(घ) शेरगढ़ तहसील में ऐसी कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जो गत वर्ष खोली गई हो और अध्यापक अभी तक न भेजे गये हों।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार शेरगढ़ के इलाके की रेगिस्तानी हालत को देखते हुए, वहां की जनसंख्या अधिक नहीं होते हुए भी वहां कम जनसंख्या पर स्कूल खोलने पर विचार करेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह भी एक विचार करने का आधार है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४७

जागीरदारों को अन्तरिम मुआवजा

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री खेतसिंह]

क्या जागीरदारान को इंटेरिम कम्पेन्सेशन भी सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां तो कहां-कहां के किन-किन जागीरदारान को और कितना-कितना मुआवजा फिलहाल दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—फरवरी के अन्त तक अन्तर्कालीन मुआवज़े के लिये जागीर विभाग में ३२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से १५ को अन्तर्कालीन मुआवजा देने की स्वीकृति दी जा चुकी है और शेष प्रार्थना-पत्रों पर भी शीघ्र ही आदेश दिये जावेंगे। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४८

गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की पडाई

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उद्योग-मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर शुगर मिल द्वारा कितने गन्ने की पडाई (Crushing) होती है ?

(ख) उनमें से कारखाने के दरवाजे पर कितना गन्ना लिया जाता है और बाहर स्टेशनों से स्टेशनवार कितना लिया जाता है ?

(ग) कारखाने के दरवाजे पर ज्यादा गन्ना लेने का क्या कारण है ?

(घ) क्या सरकार बाहर बसने वाले किसानों कोई लाभ नहीं पहुँचाना चाहती है ?

(ङ) क्या सरकार गन्ना पैदा करने वालों के हित-साधन के लिये एक कमेटी बनाने के लिये तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय-मन्त्री)—

(क) रोजाना करीबन १२ से १४ हजार मन गन्ना इस फैक्ट्री में पेला जाता है।

(ख) इसमें से करीब आधा वजन फैक्टरी के दरवाजे पर लिया जाता है और शेष रेल द्वारा बाहर के स्टेशनों से आता है। स्टेशनवार वजन देना इस समय संभव नहीं है क्योंकि यह परिमाण कमी-बेशी होता रहता है। जब सीजन खत्म हो जावेगा तब किस-किस स्टेशन से कितना-कितना गन्ना आया, उसके अंक बताये जा सकते हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) दरवाजे पर जो गन्ना लिया जाता है वह ताजा होता है और उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है। जो गन्ना बाहर से आता है वह ताजा नहीं होता है और उसमें सूखापन आकर शक्कर की मात्रा कम हो जाती है।

(घ) यह सत्य नहीं है। शक्कर की मात्रा में कमी होते हुए भी बाहर के स्टेशनों का गन्ना फैक्टरी को आवश्यकतानुसार दिया जाता है।

(ङ) यह फैक्टरी सिर्फ दो साल के लिये सरकार ने लीज़ पर ली थी जिसकी अवधि इस वर्ष खतम हो जायगी। आगे फैक्टरी कैसे चलेगी, यह प्रश्न भी विचाराधीन है। इसलिये इस सुझाव का विचार करना संभव नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सरकार गेट पर ज्यादा गन्ना क्यों लेती है और क्या यह समझती है कि वहां पर लेने से शुगर ज्यादा पैदा होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूं कि ताजा गन्ना गेट पर मिलता है और उसमें शुगर ज्यादा होती है। गांवों में गन्ना पड़ा-पड़ा सूख जाता है और उसमें कम शुगर होती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ने किसी एक्सपर्ट के मार्फत यह जानने की कोशिश की कि जो गन्ना सूख जाता है उसमें ज्यादा शुगर मिलती है या ताजे गन्ने में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो सूख जाता है उसको गीला करना होगा। जो शुगर बनाते हैं वे जानते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार बाहर के किसानों को सुविधा नहीं देना चाहती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसानों को सुविधा देने के लिये तो यह खतरा उठाया है, लेकिन उसके लिये एक मात्रा होती है। जितना वे पेल सकते हैं उतना ही ले सकते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार को यह मालूम है कि गंगानगर की बनिस्बत दूसरी जगहों से ज्यादा गन्ना लिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ज्यादा गन्ना जहां पैदा होता है वहां से मंगाया जाता है और जितनी जरूरत हो उतना लिया जाता है, चाहे गंगानगर हो या और कोई दूसरी जगह हो।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किसी एक तहसील से आधा लेकर और दूसरी तसहील से आधा गन्ना लेने का क्या अर्थ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को जितनी जरूरत होती है उतना ही लेती है। यह पहला ही वर्ष है कि काफी गन्ना आ रहा है। पहले बहुत कम गन्ना आता था, क्योंकि गुड़ का भाव पहले ठीक था। सरकार सबका गन्ना लेने का प्रयत्न करती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गन्ना जितना भी लिया जाता है, सब तहसीलों का परसेन्टेज बराबर क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गेट पर लिया जाता है।

श्री गुरुदलालसिंह सन्धु—इसका यह मतलब समझना चाहिये कि गेट पर ज़्यादा गोलमाल होता है, ज्यादा गन्ना लिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गोलमाल होता है या नहीं, आपको मालूम होगा। ज्यादा लेते हैं या कम, यह आप जानते हैं ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये तैयार है कि गेट पर ज़्यादा गन्ना तोला जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे मालूम नहीं। इस सम्बन्ध में पहले एक बार आपने शिकायत की थी और उसकी जांच भी की गई थी। उसके बाद कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं आई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इस बात का पता लगाएगी कि कितने गन्ने की कीमत उनको दी जाती है ? जितना गन्ना उनसे लिया जाता है, उससे ज्यादा क्या खर्च होता है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं जांच करा सकता हूं क्योंकि आप यह सूचना देते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री जयसिंह (डि० नं० ४६) ने दिनांक १४ मार्च, १९५५ से दिनांक १७ मार्च, १९५५, तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि इनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद (क्रम में)

श्री अध्यक्ष—बजट पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री रामकिशोर व्यास।

श्री तेजपाल—मैंने कई दिनों से बोलने के लिये इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। मैं बोलने के लिए परसों भी तीन-चार बार खड़ा हुआ पर इजजात नहीं मिली।

Page No.37

श्री एच० के व्यास के ग्राम-पंचायत चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव पर श्री गृह-मंत्री का वक्तव्य

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह-मन्त्री)

श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर वाद-विवाद के समय मि० एच० के० व्यास ने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा था और उसके लिये माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस पर बाद में स्टेटमेन्ट दे दिया जाय।

ग्राम पंचायत चंडावल के चुनाव २५ फर्वरी सन् ५५ को हुए थे, जिसमें दो दलों ने चुनाव लड़ा था। एक पार्टी कांग्रेस वालों की थी और एक पार्टी कॉम्युनिस्ट लोगों की थी। इन दोनों में चुनाव हुए और १५ पंच चुने गये, जिनमें से १० पंच कांग्रेस के थे और पांच कॉम्युनिस्टों के थे। ये चुनाव अच्छी तरह से हो गये और कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ। इसके बाद इन दोनों पार्टियों में से एक कांग्रेस की ओर से दूसरा कॉम्युनिस्टों की ओर से सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हुए। उसमें कुछ लोग झगड़ा करना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने लाठी वगैरह नहीं ले जाने दी, लेकिन फिर भी बांस की बाउन्ड्री बनी हुई थी उसमें से खोल करके आपस में मारा-मारी करने लगे गये, झगड़ने लग गये, परन्तु पुलिस की दस्तन्दाजी से वे उसमें सफल न हुए और पुलिस ने उनको वक्त पर सम्हाल लिया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद (पूर्व क्रम से)

अब में बजट के सम्बन्ध में आता हूं। सबसे पहले में न्याय-विभाग के प्रति अर्ज कर दूं। उसके बाद दूसरे विभागों के लिए अर्ज करूंगा।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने बहुत जोरों के साथ एक बड़ा भारी आरोप न्याय-विभाग के ऊपर लगाया। यह आरोप निराधार है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और न्याय-विभाग के दरमियान एक टसल चल रही है, चीफ जस्टिस पर पोलिटिकल प्रेशर लाया जा रहा है, बड़ा पोलिटिकल प्रेशर यूज़ किया कि गंगानगर के जज को मजबूर किया कि वह छुट्टी ले। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस तरह की ये बातें कही गई हैं, वे बिल्कुल सफेद झूंठ है। वे (विरोधी पक्ष के नेता) आज यहां हैं नहीं और अगर होते तो अच्छा होता। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि जो कुछ बातें उन्होंने इस सम्बन्ध में यहां कही हैं, उनको प्रमाणित करें। किसी तरह का प्रेशर हाईकोर्ट पर नहीं लाया गया और न काम में ला सकते हैं। न लॉ सेक्रेटरी और न चीफ मिनिस्टर ही किसी प्रकार की बातें इस विषय में हाईकोर्ट से कर सकते हैं। उन्होंने किसी अफसर को फिक्स करने या न करने की बात नहीं की और न कोई पोलिटिकल प्रेशर ही किसी तरह का डाला है।

फेक्ट्स ये हैं कि गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज छुट्टी पर गये चूरू के सिविल जज को उनकी एवज में भेजा गया। उनका छुट्टी का पीरियड खत्म होने वाला ही था कि आर० जे० एस० की सिनियोरिटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने भेज दी और लिखा कि वक्त लगे तो नये प्रोपोज़ल्स न भेजें। जो जज चूरू से आये थे वे सिनियोरिटी में ऊंचे थे, उनको चेन्ज करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह लिखा था कि वक्त लगे तो नये प्रोपोजल्स न भेज दें; इसलिये लॉ डिपार्टमेंन्ट ने लिखा कि वक्त लगने जैसी कोई बात नहीं है, तो हाईकोर्ट ने नये प्रोपोजल्स भेज दिये।

[श्री रामकिशोर व्यास]

उनको वहां फिक्स कर दिया। इसलिए गवर्नमेन्ट ने यह नहीं कहा कि फलां को फिक्स नहीं करिये। जैसे हाईकोर्ट प्रोपोजल्स भेजे वैसा हो गया। आने में दस-पांच दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो सिविल जज साहब ने छुट्टी एक्स्टेन्ड कर ली। तो यह पोलिटिकल प्रेशर किस प्रकार से हुआ ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि कोई बात फर्मावें तो पहले उसकी जांच कर लें कि यह सही है या नहीं। बगैर किसी आधार के यह कहा गया कि ज्यादती हो रही है, पोलिटिकल प्रेशर डाला गया, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और वह भी विरोधी पक्ष के नेता की ओर से।

एक बात और कही गई है किशनगढ़ सिविल जज के कागज़ात गवर्नमेन्ट ने पटक रखे हैं, कागज़ात गवर्नमेन्ट ने दबा दिये हैं। मैं उसके लिये भी अर्ज कर दूं कि उन कागज़ात को निकले हुए काफी अर्सा हो गया है। हाईकोर्ट ने ही ऑर्डर्स नहीं किये होंगे।

अब मैं पुलिस के सम्बन्ध में जो कुछ एतराज हुए हैं, उसके सम्बन्ध में कहूंगा। एक एतराज में यह कहा गया कि जयगढ़ फोर्ट में बजट में मिलिट्री गार्ड के लिए खर्चा दिखाया गया है वह अनुपयुक्त है। इस विषय में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार और हिज़ हाईनेस, जयपुर के दरमियान कवेनेन्ट हुआ था; उसमें एक टर्म है। उनसे वह मुआहिदा हुआ था कि जयगढ़ फोर्ट पर जो मिलिट्री रखी थी, अब भी वह वैसी रखी जायगी। अतः उसके तहत मिलिट्री रखी जाती है। दूसरी बात मेवाड़ भीलकोर के सम्बन्ध में कही गई थी कि यह भी गैर जरूरी है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मेवाड़ भीलकोर का इतिहास पुराना चला आता है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के लोगों से बातचीत हुई थी और राजस्थान केबिनेट में भी इस पर विचार हुआ था। यह निश्चय हुआ कि इसको चलने देना चाहिए क्योंकि इसका इतिहास ऐसा ही है। उसके लिए दूसरे प्रोपोज़ल्स आये हैं कि उसका क्या उपयोग हो सकता है। वे गवर्नमेन्ट के विचाराधीन हैं और उन पर गौर किया जायगा।

एक बात-डी० एस० पी० एम्बेज़लमेन्ट है, उसके बारे में कहा गया है कि उसको सब-इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग पास होने पर भी रख छोड़ा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि ये सीकर ठिकाने से आये थे और इन्टिग्रेशन के वक्त जो कमेटी गवर्नमेन्ट ने बिठायी थी, उनको एज़ इन्स्पेक्टर, कमेटी ने नियुक्त किया था। इन्होंने सीकर में ट्रेनिंग पायी थी, और ये काफी सीनियर थे, इसलिये इनको डी० एस० पी० बनाया और ये ढाई साल से चले आ रहे हैं। इनकी कोई शिकायत नहीं।

एक नामजद एतराज किया गया कि कुन्दनलाल जो डी० वाई० एस० पी० थे उनको एस० पी० बना दिया। प्रोपोज़ल्स गवर्नमेन्ट के सामने जरूर थे। उसके लिये निवेदन करूं कि इनका आर०पी०एस० की जो बी लिस्ट है उसमें सीनियर मोस्ट नाम है। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी वे आते हैं। उसके हिसाब से यह किया गया था। कोई भी बे-जाब्तगी नहीं हुई। लिस्ट में इनको रिकमन्ड भी किया था।

एक यह एतराज़ किया गया कि गये पांच महीनों में पुलिस में उदयपुर के ज्यादा लोगों को प्रोमोशन्स दिये गये हैं। इसको भी मैंने देखा। गये चार महीनों में कुल ११ सब-इन्स्पेक्टर्स ऑफ पुलिस इन्स्पेक्टर्स बनाये गये, जिनमें से एक उदयपुर का है और ६ इन्स्पेक्टरों को डिप्टी

[श्री रामकिशोर व्यास]

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस बनाया, जिनमें से दो उदयपुर के हैं। इस पर मैं कमेन्ट नहीं करना चाहता कि कितना परसेन्ट उदयपुर वालों को दिया है।

एक एतराज खेतड़ी के बारे में किया गया-वहां के एक व्यक्ति को एस० एच० ओ० द्वारा पीटा गया और बाद में उसका नाम हॉस्पिटल में लिखाया गया और वहां से यह साबित करने की कोशिश की गई कि यह व्यक्ति हार्टफेल्योर के कारण मरा है। इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में फेक्ट्स इस तरह के हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ बरगलरीज़ का केस था। उस सम्बन्ध में झुंझुनू को पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जब वह गिरफ्तारी की हालत में था, उस समय एस० एच० ओ० ने इस बारे में कम्पलेन्ट की कि वह शख्स बीमार है इसलिये इसको हॉस्पिटल की दवा दिलाई जाय। उसको हॉस्पिटल की दवा दी गई किन्तु उस दवा से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया और उस हालत में उसका इन्तकाल हो गया। जब इस शख्स के बारे में उसके घर वालों ने शिकायत की कि यह पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण मरा है तो उसके बारे में मजिस्ट्रेट अपॉइन्ट किया गया, और मजिस्ट्रेट के सामने डॉक्टर के बयान भी लिये गये और एस० एच० ओ० के भी बयान लिये गये, उसके बाद मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई में वह हार्टफेल्योर का मरीज था और उसकी मृत्यु का कारण भी हार्टफेल्योर ही था। जुडिशियल इन्क्वायरी के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पुलिस ने उसको मारा-पीटा नहीं, न उसके जिस्म पर कोई घाव ही थे। यह जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यह जुडिशियल इन्क्वायरी के फाइन्डिंग्ज़ हैं। इसके बाद भी बराबर यह कहना कि पुलिस ने मारा-पीटा, यह प्रोपर नहीं। ऐसा किसी को ख्याल भी नहीं करना चाहिए कि पुलिस कोई खराब काम करे और हम एक्शन न लें। जो भी पुलिस द्वारा खराब काम किया जायगा उसके नोटिस में आने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा और लिया गया है।

श्री भोपालसिंह—क्या डॉक्टर के रजिस्टर में कुछ कांट-छांट मिली है?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके बारे में डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, किन्तु जो जुडिशियल इन्क्वायरी हुई और जो जुडिशियल फाइन्डिंग्ज़ हमारे सामने आये, वही मैंने निवेदन किया है।

श्री वेदपाल त्यागी—जिन माननीय सदस्य ने इस बारे में फेक्ट्स रखे, उनमें यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट पर डी० आई० जी० ने अपना इन्फ्लुएन्स इस्तेमाल किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री रामकिशोर व्यास—यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर पर इन्फ्लुएन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट पर इन्फ्लुएन्स इस्तेमाल किया जाता है, यह कतई ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने पर डॉक्टर के रजिस्टर में कांटा-छांटी की कोई बात मिली या नहीं?

श्री खेतसिंह—माननीय सदस्य ने जो कल यह था कि डी० आई० जी० के इन्फ्लुएन्स का नाम नहीं लिया; उन्होंने आई० जी का नाम लिया था।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने जो आपके सामने बात रखी है, वह जुडिशियल फाइन्डिंग्ज़ के आधार पर रखी है। जुडिशियल इन्क्वायरी के बाद ऐसी बातों का कोई ताल्लुक नहीं रहता।

दूसरा जो केस बताया गया उसमें तथ्य जरूर है। वह बीकानेर का केस था। वह इस प्रकार का था। वहां एक चोरी के मामले के सिलसिले में एक आदमी को अरेस्ट किया गया। वह बीकानेर सिटी के थाने में था; वह वहां रहा, उसके बाद वह मर गया। उसके बारे में मालूम हुआ कि उसको हैड कान्स्टेबल ने मारा। इस बात की तहकीकात की गई, उससे पता चला कि वाकई उसको पीटा गया था। इसके बाद हमने उस आदमी को जिसने पीटा था उसको सस्पेन्ड किया, लाश को हॉस्पिटल भेजा गया। उसका पोस्ट-मार्टम कराया गया, जिससे पता चला वाकई उस शख्स के जिस्म पर घाव थे। उस आदमी को सस्पेन्ड किया गया और उसके खिलाफ ३०२ दफा में मुकदमा रजिस्टर किया गया। ऐसी बात नहीं कि अगर किसी कि पुलिस ने मारपीट की हो और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया हो; उस व्यक्ति के खिलाफ ३०२ में चालान किया। उसके लिये जितनी भी बातें आवश्यक थीं, सब कराई गईं। लिहाजा यह कहना कि मारपीट की वारदात होती है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता; गलत है। एक्शन बराबर लिया जाता है।

एक शंकरलाल पुष्करणा के बारे में भी कुछ कहा गया। उसके बारे में पहली मिनिस्टरी के वक्त कुछ रिमार्क था, अब कुछ कर दिया गया। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बात जिस दिन कही गई, उस दिन सेटरडे था। अतः मैं उनका रेकार्ड मंगाकर देख नहीं सका। वह रेकॉर्ड देखने के बाद फिर इसके बारे में अर्ज कर दूंगा।

हमारे सदन के एक सदस्य के बारे में भी एतराज उठाया गया कि वे किसी की औरत को भगाकर ले आये हैं। जब कि यह केस सब-जुडिस है तो इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहिये। मैं इस विषय में कुछ कह दूं। जिन सदस्य के बारे में कहा गया है उन्होंने उस औरत से दस साल पहले शादी कर ली थी, यह सन् ४५ की बात है। आज उस औरत से उनके चार बच्चे भी मौजूद हैं। उसके बारे में एतराज किया जा रहा है। इसके बारे में क्या हुआ कि किसी ने हैन्ड-बिल निकाल दिया तो इन्होंने उसके खिलाफ नालिश कर दी। नालिश पेन्डिंग है। इसके बारे में ज्यादा कहना भी ठीक नहीं होगा।

करप्शन के बारे में भी दो तीन महानुभावों ने जिक्र किया। मैं भी इस बारे में यह निवेदन कर दूं कि करप्शन है। इसमें मैं यह भी मानता हूं, इससे इन्कार नहीं करता लेकिन जो प्रगति इसको रोकने में हम कर रहे हैं उससे हमें सन्तोष नहीं, लेकिन इस समय मैं इस संबन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसको रोकने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। हम इसकी कन्डीशन इस प्रकार इम्प्रूव करने की कोशिश में हैं कि करप्शन में कमी हो। इसके रिज़ल्ट्स आपको आयन्दा सेशन में मालूम हो सकेंगे कि हम क्या एचीव करने जा रहे हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के तौर पर मैं यह बात भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो यह कहा गया कि जयपुर में ऑक्ट्रोय के लिये जो कमेटी कायम हुई थी उसकी रिपोर्ट-चीप पॉपुलेरिटी के कारण उस कमेटी ने नहीं दी। उसको जल्दी से रिपोर्ट देनी चाहिये। ऐसी कई किस्म की बातें कही गईं। इस कमेटी का मैं भी एक मेम्बर था। इस सिलसिले में मैं इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट-जिन्होंने इस बारे में एतराज किया है जब वे मुख्य मंत्री थे उसी जमाने में सबमिट कर चुकी थी। चेयरमेन ने रिपोर्ट अपनी अलग दी और उसके बाद में मैंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी, वह रिपोर्ट उस समय करीब तीन महीने तक सेक्रेटेरिएट में पड़ी रही। उसको पब्लिश नहीं किया गया। उसके बाद सरकार बदल गई तो जब ऑक्ट्रोय के बारे में प्रश्न आया तो उस कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट लिखी और वह दूसरी रिपोर्ट भी गवर्नमेन्ट के सामने सबमिट कर दी है। जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, उसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के सामने रख दी। उसनें अपना फर्ज अदा कर दिया। हम लोगों का रिपोर्ट सबमिट करने का फर्ज था। जहां तक उस कमेटी के मेम्बर होने का ताल्लुक है, उसमें चीप पॉपुलेरिटी गेन करने का कोई ख्याल नहीं रखा गया।

इसके अलावा मुझे और कोई बात निवेदन नहीं करनी है, जो कुछ भी एतराज़ात उठाये गये उनका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, चार दिनों से लगातार इस बजट पर भाषण होते रहे हैं। मैं समझता था कि इस बारे में कुछ तथ्यपूर्ण आलोचनायें होंगी। कुछ सही और विस्तृत रूप से आंकड़ों के बारे में विचार किया जायगा ताकि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, सदन को मिलेगा और स्पष्टीकरण भी करने को मिलेगा। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बजट पर तथ्यपूर्ण आलोचनाएं करने के बजाय सरमन्स की झड़ी लगा दी। इस संबन्ध में हमें कुछ सरमन्स सुनने को मिले और बहुत पिंचिंग भी हुआ। मुझे इस पिंचिंग के बारे में इतना ही कहना है कि जो कुछ भी बातें कहीं गई, जो कुछ भी सुझाव दिये गये और जितनी भी बातें उसूलों पर कहीं गई, उनका मैं आदर करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि हम आगे भी इसी प्रकार की कोशिश करेंगे ताकि इन चीजों का समावेश इस बजट में रहे, गवर्नमेन्ट के खर्चे में इन चीजों का समावेश रहे। मैं आपको इतना ही इस संबन्ध में विश्वास दिलाना चाहता हूं।

फाइनेन्स का काम यह देखना है कि खर्चा उचित रूप से हो, जो कुछ किया जाय ठीक तरह से किया जाय। इस बारे में कभी भी किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए कि यह खर्चा किया गया, वह उचित रूप से नहीं किया गया। जो कुछ भी खर्च हो, उचित तरीके से हो।

इसमें सरमन्स के साथ साथ जो कुछ बातें कही गई उनमें ज्यादातर व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तियों के बारे में कही गई। जिसका जवाब हमारे मुख्य मंत्री महोदय अपने भाषण में दे चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो आलोचनाएं की जाती हैं; वे उसी ढंग की हैं जो हमेशा से की जाती रही हैं और हमेशा ही इसी तरह की आलोचनाएं हमें सुनने को मिलती हैं,

[श्री बृजसुन्दर शर्म्मा]

आलोचकों से मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्हें आलोचना करने से पहले अपने मुंह को दर्पण में देख लेना चाहिये और उसके बाद जो कुछ भी बात हो; कहनी चाहिये। छोटी छोटी बातों को लेकर इस सदन का वक्त खराब करना ठीक नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—Is it a Counter Sermon ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब तथ्य पर आऊंगा। हमारे कई माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से आलोचनाएं की हैं। जहां सदन का १५-२० मिनट का समय एक तहसीलदार के लिए खर्च किया जा सकता है, तो वहां हमारे मित्रों ने यह कहा था कि फाइनेन्स मिनिस्टर को इस बारे में कोताई नहीं करनी चाहिये कि सदन १५ दिन और चले। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं; अगर सही माने में क्रिटिसाइज हों, सुझाव हों और इसके लिए सदन का समय १५ दिन के लिए था और भी अधिक समय के लिए बढ़ा दिया जाय, चाहे इसमें फिर प्राइवेट वर्क हो, सरकारी हो, बहस हो, वाद-विवाद हो, लेकिन एक छोटी सी बात पर २५ मिनट तक बहस करके सदन का समय बेकार खर्च करें, इससे सान्त्वना होती नहीं है वास्तव में।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध लोगों की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन लोगों का असन्तोष उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, यह होता जा रहा है और वह होता जा रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें करें कि कांग्रेस बहुत अनपॉपुलर हो गई है, यह हो गई है, वह हो गई है ; उनको तो इससे खुशी होनी चाहिये, क्योंकि वे तो कांग्रेस से निकाल दिये गये हैं। पर मैं निवेदन करूं कि वे अपनी हालत अपने यहां अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में देखें, जिसकी तरफ से आये हैं, वहां उनका हाल क्या है ?

श्री वेदपाल त्यागी—साथ चलने को तैयार हैं क्या आप ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—और भी कई बातें कही गई हैं। जैसा मैंने अपने भाषण में कहा कि हमारा उद्देश्य समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के ऊपर कल्याणकारी राज्य कायम करना है और इसके लिए मैं तो यही कह सकता हूं कि हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और हमें रहना चाहिये। यह ठीक है कि एक दिन में यह समाजवादी अर्थ-व्यवस्था पर आधारित कल्याणकारी राज्य कायम नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। लेकिन हमारा प्रयत्न, हमारे व्यवस्थित प्रयत्न इस ओर होने चाहिये और इसके लिए सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि किसी भी अविकसित राज्य के लिए डेफिसिट बजट हो, डेफिसिट फाइनेन्स के आधार पर काम करें, तभी जाकर वह आगे बढ़ सकता है। हमें आज अपने राज्य में पूंजी का निर्माण करना है, पूंजी पैदा करनी है और इसलिये हमारा सारा जोर, जैसा अपने बजट भाषण में मैंने कहा था, डेवलपमेन्ट के प्रोग्राम की तरफ हो और इसके जरिये हम पूंजी का निर्माण करेंगे। अगर हम यह निर्माण कर सके और इसके आधार पर चल सके तो आगे चलकर एक दिन हम अपने यहां सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के आधार पर कल्याणकारी राज्य कायम करने में सफल हो

[श्री बृजसुन्दर शर्म्मा]

सकेंगे और अगर इस आधार पर हम काम नहीं करेंगे तो वह सामाजिक व्यवस्था कायम होनी बहुत कठिन हो जावेगी और इसलिये हम ज्यादा जोर इस विकास-कार्य पर दे रहे हैं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि सरकार की यह मौजूदा अर्थ-व्यवस्था है, इसके ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं है, तो यह भी हमारे पक्ष में है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत में कम से कम यह भावना तो पैदा हुई कि जो जमाना, कमी का जमाना था, वह आज दूर हो गया है और प्लैन्टी का जमाना आया और हम समझने लग गये कि अन्न और वस्त्र काफी उत्पन्न हो रहा है। कम से कम इस माने में हमारे कन्ज्यूमर्स और आम जनता को काफी सान्त्वना मिली है कि आज ये जनोपयोगी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और फिर ज्यों ही हमारी पैदावार ज्यादा बढ़ेगी और जो कच्चा माल आज अधिक मात्रा में हम पैदा करने लगे हैं, वह हम ज्यादा से ज्यादा बाहर भेज सकेंगे, हमारे बेलेन्सेज़ को ठीक कर सकेंगे और इससे हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।

कुछ अनाज के भावों में गिरावट के बारे में कहा गया। उसके बारे में यह बात जरूर है कि कुछ गिरावट आई है, पर इसके बारे में जैसा माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि मैं खुद इस बारे में चिन्तित नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार के आदेश पर हमने कई स्थानों पर अनाज खरीदना शुरू कर दिया है और उचित मूल्यों में किसी तरह गिरावट नहीं आने दी जावेगी, इस बारे में राज्य सरकार पूरी सतर्क है।

हमारे माननीय सदस्यों ने इसके बाद एक आंकड़े को कहीं से लिया, दूसरे को कहीं से और उनकी बिना पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आलोचना करनी शुरू की। मैं इस बारे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में चार डॉक्युमेन्ट्स थे। पहले में वोल्यूम नम्बर १ है। इसमें हमारी रिसीट और एक्सपेन्डीचर का वर्णन संक्षेप रूप में है। दूसरे वोल्यूम में डिटेल्ड एक्सपेन्डीचर है, यह पुराने खर्चे के आधार पर है जिसको हम रनिंग एक्सपेन्डीचर कहते हैं और तीसरी वोल्यूम है जिसमें हमने दिखाये हैं अपने नये आइटम्स, इसमें नया खर्चा सम्मिलित किया गया है और चौथा वोल्यूम है मेमोरेण्डम का; जिस पर तीनों वोल्यूमों पर प्रकाश डाला गया है। कई माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के बारे में एतराज़ किये हैं। वे अगर इन तीनों वोल्यूमों को और चौथे वोल्यूम-मेमोरेन्डम को ठीक तरह से पढ़ लेते तो उनको सारी बातें समझ में आ जातीं।

जैसा कहा गया है कि यह तो जगलरी ऑफ फिगर्स है। यह जगलरी उन्हीं को मालूम पड़ती है जो अन्दर डिटेल में जाना नहीं चाहते। पर जो वास्तविक रूप में समझ कर विचार करना चाहते हैं, उनको जगलरी ऑफ फिगर्स मालूम नहीं हो सकती और स्पष्टीकरण अगर खुद देख लें मेमोरेन्डम में तो जगलरी ऑफ फिगर्स का जो वहम उनको हो गया है वह दूर हो सकता है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, जगलरी ऑफ फिगर्स और साथ ही यह भी कहा कि यह तो विन्डो-ड्रेसिंग है; यह सजा करके रक्खी गई है दुकान जिसमें यह दिखाया गया है कि सब

[श्री बृजसुन्दर शर्म्मा]

अच्छा ही अच्छा है। लेकिन जिसको अच्छे और बुरे की पहचान है, वह तो पहचान लेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जिसको अच्छे-बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की हरेक बात को बुरा ही बुरा कहता है, उसको अच्छा दीख ही नहीं सकता, उसको सब बुरा ही बुरा दीखेगा। अच्छा भी है तो अच्छी बात नहीं कह सकता, हमेशा उसे बुरा ही बतावेगा, जो उनकी आदत रही है। जो सदन के सामने एक बड़े जोर-शोर से कुछ फिगर्स को यहां से लिया, कुछ को वहां से लिया और तोड़-मरोड़ करके सदन में एक प्रकार का वातावरण पैदा करने की ही जिसकी आदत है, वे अपनी उस आदत से मजबूर हैं तो इस सब मामले में भी उन्होंने वैसा ही किया है और यह तो मैं अपने आगे के कट मोशन के वक्त के भाषण में बताऊंगा और जवाब देते वक्त बताऊंगा कि किस-किस जगह उन्होंने सदन को गलतफ़हमी में डालने की कोशिश की है।

अगर रनिंग एक्सपेन्डीचर के साथ-साथ फिगर्स वोल्यूम नम्बर ३ में से लिये जाते तो गड़बड़ और गलत भावना पैदा नहीं हो सकती थी; जैसी कि आम तौर पर हुई है।

अब मैं उन एतराज़ों पर बोलूंगा जो हमारे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं और उनको मैं हरेक आइटमवार लेता जाऊंगा और उनमें उन सबके जवाब का समावेश होगा।

मैं सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेन्ट की पोजीशन पर आता हूं। यह कहा गया है कि हमारी सरकार का लाखों रुपयों का ऐसा इन्वेस्टमेन्ट है, जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता और न इसकी जानकारी हमें कराने की कोशिश करते हैं और न इस बात पर तथ्य सदन के सामने लाते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी फर्में हैं, जिसमें रुपया लगा है और रुपया लगा है तो उसका कितना और क्या-क्या रिटर्न मिलता है। तो मैं सबसे पहले यह तो निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितना इन्वेस्टमेन्ट है सिवाय कुछ रुपयों के, बाकी सब पुरानी रियासतों के वक्त का है और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों ने—उस वक्त की रियासती सरकारों ने यह सब इन्वेस्ट भिन्न-भिन्न जगहों पर किया है। फिर भी मौजूदा स्थिति में सारे के सारे ही इन्वेस्टमेन्ट का रिटर्न नहीं मिलता, जितना भी इण्डस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है उसका नफा नहीं मिलता, नुकसान ही नुकसान हो रहा है और इस तरह सरकार को इससे बड़ा भारी कोई नुकसान है, यह बात नहीं है।

यह भी कहा जाता रहा है कि इनकी जांच कभी नहीं की जाती है। उसमें जो रुपया लगा हुआ है, वह रुपया काम में आता है या नहीं आता है। सवाई माधोपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में कहा गया है कि इसमें ७५ लाख रुपया लगा हुआ है और वह उन कन्डीशन्स और शर्तों पर लगा हुआ है जो कि उस समय में थीं। फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ एतराज़ उन्होंने उठाया है तो मैं निवेदन करूंगा कि वही एतराज़ मैंने भी उठाया था। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि खुद मैंने ही इस बात को आगे लाकर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त की है कि वह, जहां-जहां हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन फेक्ट्रीज़ में जाकर देखें और जो कुछ भी पोजीशन हो, वह सरकार के सामने लाये।

मैं, जो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन है, उसको सदन के सामने प्रस्तुत करना

Page No.45

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

चाहता हूं। हमारा कुल रुपया जो कि इन पर लगा हुआ है, १,८०,१५,२५३ रुपये हैं। इसमें से जिन कन्सर्न से प्रॉफिट आ रहा है उनकी संख्या १६ है और उनमें इन्वेस्टमेन्ट १,५१,८३,६१७ रुपया है।

श्री वेदपाल त्यागी—यह प्रॉफिट है या क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं। १६ कन्सर्न्स हैं, जिनमें कि प्रॉफिट है और जिनमें एमाउन्ट इन्वेस्टेड जो है वह १,५१,८३,६१७ रुपया है। ऐसी कन्सर्न्स जिनमें लॉस आता है उनकी संख्या १० है और जिनमें जो इन्वेस्टमेन्ट हो रहा है, उसकी तादाद १७,८५,००० रुपया है। जो कन्सर्न वर्क नहीं कर रही हैं, उनकी संख्या ५ है और उनमें हमारा २,४५,००० रुपया लगा हुआ है, जो कन्सर्न्स लिक्विडेशन में हैं उनकी संख्या है और उनपर ५,३६,४०० रुपया लगा हुआ है। जो कन्सर्न्स नेशनेलाइज्ड कर ली गई हैं और जिसमें रुपया हमारा लगा हुआ है, उसकी संख्या १ है और इसमें एक लाख रुपया लगा हुआ है। जिन कन्सर्न्स के डिटेल्स अन्डर इन्क्वायरी हैं उसकी संख्या १ है और उसमें ६४,८८३ रुपया लगा हुआ है। एक गवर्नमेन्ट कन्सर्न है जिसको हम चला रहे हैं, उसकी संख्या १ है, लेकिन उसमें हमारा १ लाख रुपया लगा हुआ है। इस तरह से सदन के सामने इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया...

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आप प्रॉफिट कितना आया है, यह भी बता सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्रॉफिट कितना आया है ,यह तो आपको उसमें मिल जायेगा। आमदनी के आंकड़े हैं।

श्री चन्दनमल वैद—सवाई माधोपुर वाली कन्सर्न कौन सी केटेगरी में है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सवाई माधोपुर वाली ने अभी डिबिडेन्ड डिक्लेयर किया है उससे प्रॉफिट मिलता है। सवाई माधोपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कन्सर्न कुछ ही दिनों पहले शुरू हुआ है और उसमें जहां हमारे ७५ लाख रुपये लगे हुए हैं, वहां इस कन्सर्न वाले ३ करोड़ रुपये के करीब रुपया लगाया है। वह कन्सर्न दिनों-दिन उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। चाहे उसमें ७५ लाख रुपया हो उस इन्वेस्टमेन्ट पर जो कुछ इन्ट्रेस्ट मिलेगा, वह मिलेगा। उसके अलावा जो कुछ वह फायदा या मुनाफा कितना कमाते हैं, उसके बारे में जानकारी करूंगा। लेकिन इस कन्सर्न से नुकसान नहीं होगा।...

श्री चन्दनमल वैद—सवाई माधोपुर उद्योग लिमिटेड में क्युमुलेटिव शेयर हैं हमारे, तो क्या सारा मुनाफा इस साल मिल जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह नहीं कह सकता हूं। अभी यह कन्सर्न शुरू हुआ है जिसकी कुछ मशीनरी आई है, कुछ मशीनरी आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो कन्सर्न काम करेगा; उसमें हमें हमारा हिस्सा उचित रूप से मिलता रहेगा।...

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर शुगर मिल में कोई फायदा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं, साहब, आ रहा हूं।

हमारे माननीय सदस्यों ने श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के समय और बजट भाषण के समय इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन की चर्चाएं की हैं और मैं समझता हूं कि गंगानगर शुगर फैक्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। जहां तक मेरे अपने विचार हैं फाइनेन्स प्वाइन्ट ऑफ व्यू से उस चीज को देखता हूं कि जिस चीज को हमने लिया है, उस चीज से हमें कितना मुनाफा आ रहा है। वह आगे घाटे में रन कर रही है, लाभ हुआ है या नहीं, इस बात में नहीं पड़ना चाहिए। जब किसी चीज में मुनाफा आता है तो क्यों नहीं लेते ? गंगानगर की जैसी हालत है कि शक्कर वहां के काश्तकार बनाते नहीं थे, गन्ना खराब होता था। इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने शुगर फैक्ट्री को लेने का फैसला किया। उस शुगर फैक्ट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट इस तरह से है :—

डिबेन्चर्स	१५,००,००० रु० के
प्रिफरेन्स शेयर्स	१,५०,००० रु० के
ऑर्डीनरी शेयर्स	२,५०,००० रु० के

इस तरह से १६ लाख रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट उस शुगर फैक्ट्री में है और उसको हमने १,२०,००० रु० सालाना के लीज पर ली है। इस १,२०,००० रु० में से ६,७५,००० रु० तो डिबेन्चर्स के इन्ट्रेस्ट के रूप में मिल जाता है, ३१,४४५ रु० हमें प्रिफरेन्स शेयर्स के इन्ट्रेस्ट रूप में मिल जाता है। इस तरह से करीब ९९ हजार रुपये तो हमको उसमें जो हमारा इन्वेस्टेटमेंट है उसके ब्याज का मिल जाता है। बाकी २१,००० रु० में से डेप्रिसियेशन के ११,००० रु० कट जाते हैं और १०,००० रु० ऑफिस एक्सपेन्सेज के उसमें से जाते हैं। पहले २४,००० रु० मैनेजिंग एजेन्ट्स को कमीशन मिलता था और २४,००० रु० ऑफिस एक्सपेन्सेज के लिए लेते थे, लेकिन मेनेजिंग एजेन्ट्स ने, हमारे लीज लेने के बाद जो मैनेजिंग एजेन्ट्स का शेयर है, उसको उन्होंने फोरगो किया है। ऑफिस एक्सपेन्डीचर का जो २४,०००) होता था उसमें से आधा रुपया लेना स्वीकार किया। इस तरह से इस कन्सर्न में बहुत काफी मुनाफा है और इस साल के मुनाफे के फिगर्स अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस साल में हमने इस कन्सर्न से १,४०,४०३ रु० का मुनाफा कमाया है। यह सबजेक्ट टू ऑडिट है और इसमें १०-५ हजार का फर्क हो सकता है, लेकिन यह तथ्य है कि १,२०,००० रु० लीज देकर कमाया है और अगले साल इस बजट में हमने इस कन्सर्न के ऊपर जहां ३२ लाख का खर्चा रखा है, वहां हमें ३६ लाख की आमदनी की उम्मीद है मिलने की। इस तरह से अगले साल ४,००,००० का प्रॉफिट का अन्दाजा इस कन्सर्न से लगाया जा रहा है। तो इसके लीज लेने से न सरकार के इन्वेस्टमेंट खराब हो रहे हैं और न सरकार को और दूसरी तरह का नुकसान हुआ। डिबेन्चर पर इन्ट्रेस्ट, प्रिफरेन्स शेयर्स पर इन्ट्रेस्ट और मुनाफे की चीज मिलने लगी है। तो इससे बिल्कुल यह साफ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने किये हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमको किसी तरह भी अफसोस नहीं है और उससे हमको आमदनी हो रही है।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इन्डस्ट्री के मामलों को लेकर और कई एतराज उठाये गये हैं और खास तौर से हमारे माननीय मित्र, अपोजिशन के लीडर, का मुख्य एतराज यह रहा है कि साहब, हम तो अपनी सरकार का रुपया दान कर देना चाहते हैं, लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, और हमने इस तरह से बहुत रुपया बरबाद किया है, और इससे हमको कोई भी इस तरह का फायदा जो होना चाहिये था, वह नहीं मिल रहा है। मेरे माननीय मित्र ने एतराज़ किया है कि बीकानेर का पॉवर हाउस, जिसके लिये कोयला हम लिगनाइट वहां से लेते थे, पलाना कोलयरी से उसकी वृद्धि हम अपने यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। हमें बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है। मेरे माननीय मित्र बहुत जिम्मेदार आदमी रहे हुए हूं और हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि कानून-कायदे का पालन करना हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, और यदि हम उनका पालन करते हैं और उसमें कुछ नुकसान रहता है तो भुगतना पड़ता है। हमारे पास पुराने अधिकारी काम कर रहे थे। जो वहां काम करने के लिए ऑफिसर थे वे चाहे कितना ही अच्छा काम करते हों, लेकिन उनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम २५ हजार टन से ज्यादा कोयला साल भर में नहीं निकाल सकते। नतीजा यह है कि २५,००० टन निकालना शुरू कर दिया, बाकी बाहर से जरूर मंगाना पड़ा। लेकिन इस बात का बराबर प्रयत्न किया जाता रहा है कि अच्छा सा ऑफिसर वहां की कोयले की खान के लिए मिले, लेकिन आज-कल, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आदमियों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। दो-तीन दफा कोशिश की, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अच्छे अधिकारी को छांट लिया है और कुछ ही दिनों में वह ज्वॉइन करने वाले हैं, अपने पद पर पहुँच जायेंगे और हमारी यह दिक्कत दूर हो जायगी, और दिक्कत दूर हो जाने पर बीकानेर पॅावर हाउस के लिए लिगनाइट कोल मिल सकेगा, और हम बीकानेर के पॉवर हाउस के लोस को कुछ कम कर सकेंगे, क्योंकि बाहर से कोयला मंगाने से नुकसान भुगतना पड़ रहा है, कोयले के मामले में ऐसी स्थिति आ जायगी तो फायदा उठाने की आशा कर सकते हैं। जो कुछ नुकसान हमें कोयले में हो रहा है उसकी पूर्ति इस तरह से हो सकेगी। इस विषय में सरकार की तरफ से कोई कमी रखी गई हो, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार को जोरदार शब्दों में हमारी तरफ से कहा गया है। इस चीज की जांच करने के लिए एक जर्मन एक्सपर्ट मिस्टर कूपर को भी बुलाकर दिखाया गया और उनकी सलाह ली गई।

इसके बाद हमारे माननीय मित्र ने फुलर्स-अर्थ के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा कि फुलर्स-अर्थ का पुराने जमाने में २७ रु० टन के हिसाब से ठेका दिया जाता था, वहां इस सरकार ने १ रु० १० आ० टन के हिसाब से ठेका दिया है। लेकिन मेरे माननीय मित्र यह भूल गये कि फुलर्स अर्थ मिनरल कंसेशन रूल्स के अंतर्गत मेजर मिनरल्स में ले लिया गया था और उसकी कट वेल्यु पर ५ प्रतिशत रॉयल्टी मिल सकती थी। इस वजह से हमको काफी नुकसान रहा था। सरकार ने इस बारे में बहुत कोशिश की और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से इस बारे में काफी बहस-मुबाहसा हुआ। सदन को अब यह जानकर खुशी होगी कि मुलतानी मिट्टी को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने माइनर मिनरल में शुमार कर लिया है और अभी-अभी जो इसका कांट्रेक्ट दिया गया है या कॉन्ट्रेक्ट देने की जो बातें हुई हैं, उसके आधार पर इस बात को तय किया है कि यह २७ रुपये पर टन के हिसाब

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

से ठेके दी जायगी और डेडरेन्ट ६४,००० रुपये होंगे। इस तरह से जिस आमदनी को आगे बढ़ाने की हम आशा करते थे वह आगे बढ़ेगी और दो जगह से हमको ६४००० रु० मिलेंगे, या २७ रुपये पर टन के हिसाब से इसकी रॉयल्टी मिलेगी। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि अब भी ५ हजार टन के लिए १ रु० १० आ० पर टन के हिसाब से इजाजत दी गई है। इस बारे में मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि वास्तव में वह पुराना स्टॉक है। जो ठेका कांट्रेक्टर को १ रु० १० आ० के हिसाब से दिया गया था उसमें का स्टॉक वहां पर पड़ा था, इसलिये उससे हम ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि वह स्टॉक पहले निकाला जा चुका था और वहां स्टोर किया हुआ था, इसलिये हमें उसके लिये मजबूरी है।

इसी तरह से हमारे माननीय मित्र ने बताया कि सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ का रुपया वापस दे दिया गया। मैं उम्मीद करता था कि माननीय सदस्य यहां होते तो अच्छा रहता, स्पष्टीकरण उनको सुनने को मिल जाता, फिर भी मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहूंगा। सुपर एड-मिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ के बारे में उन्होंने बताया कि बीकानेर के क्लॉथ एसोशियेसन को डेढ़ लाख रुपयों का दान कर दिया और वह रकम उनको दे दी, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उन लोगों ने मांग की थी कि सुपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ इल्लीगल हैं, इसलिए लौटा देना चाहिये। लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और कोई रकम नहीं लौटाई गई है, फिर भी माननीय सदस्य कहते हैं कि यह रकम लौटा दी गई है, दान कर दी गई है। ऐसी ही और भी कई बातें उन्होंने कहीं थीं। मैं कहूंगा कि रिक़वरीज के मामले में हम पूरा विचार कर रहे हैं। माइन्स और इन्डस्ट्रीज़ में बहुत से रुपये बाकी हैं, लेकिन वे सब झगड़े-भरी चीजें हैं। नये-नये कानून बनने से और पुराने एग्रीमेन्ट्स पर आधारित होने और पुराने एग्रीमेन्ट्स और मिनरल रूल्स के कारण कानूनी आपत्तियां आ गई हैं, इसी कारण से रिक़वरीज रुकी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला होगा और यदि हक में होगा, तो कई लाख रुपयों की रिक़वरी होगी।

इसके बाद यह भी कहा गया कि पॉवर हाउस या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट के बहुत सारे रुपये लोगों में बाकी हैं और अब तक कोई भी रिक़वरी नहीं हो रही है। यह तथ्य है कि रुपये बाकी हैं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि किस-किस में कितने-कितने रुपये बाकी हैं, ताकि सदन को जानकारी रहे। इस मद में तीन छोटे मद हैं, जिनमें रुपये बकाया हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रूलर्स से १५,७३,६३६ रु० ६ आ० ६ पा०, वर्क-शॉप के २५,७४३ रु० ६ आ० ५ पा० और वाटर सप्लाई के २,१५,२२६ रु० १३ आ० रूलर्स में बकाया है।

म्युनिसिपेलिटीज में १०,१४,६६० रु० १४ आ० ६ पा० इलेक्ट्रिसिटी के, ५,६२४ रु० २ आ० ६ पा० वर्क-शॉप के और ४७,७१,२४७ रु० २ आ० ६ पा० वाटर सप्लाई के बकाया है।

गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स में ८,६२,२२४ रु० ५ आ० ६ पा० इलेक्ट्रिसिटी के, १०,३६६ रु० वर्क शॉप के और ४,०८,६८२ रु० १ आ० २ पाई वाटर सप्लाई के बाकी हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से ५,६३,५२६ रु० ६ आ० इलेक्ट्रिसिटी के, ३३,१०६ रु० ४ आ० वर्क-शॉप के और ३६,०१७ रु० १३ आ० वाटर सप्लाई के बकाया हैं।

प्राइवेट पार्टीज़ में इलेक्ट्रिसिटी के १६,३१,१६० रु० २ आ० ३ पा०, वर्क-शॉप के ७४,२५४ रु० ५ आ० और वाटर सप्लाई के १,३०,३०४ रु० ११ आ० ६ पा० है।

जहां तक जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के रूलर्स का सवाल है, यह खर्चा उनके प्रिवि-पर्स में फ्री अलाउन्स के तरीके पर उनके लिये रखा गया था उनके रेजिडेन्शियल पर्पज़ के लिये। दूसरे रूलर्स का जहां तक ताल्लुक है, वहां तक भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनसे रिकवरीज की जायं और पार्शियल रिकवरीज़ हुई भी हैं और जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अब पॉवर हाउसेज़ को सब जगह हिदायत कर दी गई है कि रिकवरी जल्दी से जल्दी की जाय और कोई डिले करे या न दे तो उनके हम कनेक्शन्स काटने की कार्यवाही करेंगे और जो भी कदम उठाया जा सकेगा उठाने का प्रयत्न करेंगे। ये जितनी भी रिकवरीज हैं वे सब बहुत से अर्से से बकाया है और बकाया चली आ रही है। मौजूदा सूरत में उनमें से करीब ८ लाख रुपयों के प्राइवेट पार्टीज़ में बकाया है। श्री जे० पी० श्रीवास्तव से झगड़ा चल रहा है। उनके लोग फैसला करने के लिये आये भी थे। हम बहुत जल्दी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पॉवर हाउसेज़ में जो घाटा दिखता है, वह नहीं रहेगा। कोयले का ठीक तरह से इन्तजाम होगा, मशीनरी ठीक लग जाती है तो अच्छी तरह से रन करने लगेंगी।

श्री वेदपाल त्यागी—जिन रूलर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, उनके किन-किन हाउसेज़ में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिया गया है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनके रेज़िडेन्शियल हाउस के लिये दिया गया है।

श्री वेदपाल त्यागी—उनके बहुत से हाउसेज़ में दी जा रही है।

श्री बृसुन्दर शर्मा—इसकी जांच करके तय करेंगे कि किस-किस हाउस में दी जाय।

भोपालसिंह—उन......

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन अवर शुरू हो गया है क्या?

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पीठासीन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(भाषण जारी रखते हुए) हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बात बताने की कोशिश की कि कल्याणकारी राज्य क्या है? कहने को कहते हैं कि एज्युकेशन में ४ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जितने पहले कभी नहीं हुए, लेकिन प्राइमरी एज्युकेशन के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़े पूरे देखे नहीं होंगे। उन्होंने बजट एब्सट्रेक्ट्स पढ़कर ही यह बताने की कोशिश की है।

Page No.50

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्स्ट्रेक्ट के साथ ही डेवलपमेंट स्कीम को पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के आदेश हैं कि इस पैसे को अलग दिखाया जाय और प्राइमरी एज्युकेशन पर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की ग्रान्ट का खर्चा है उसका खर्चा डेवलपमेंट स्कीम के नीचे आता है और जो खर्चा नई मदों पर होता है इन तीनों को मिला कर आंका जाय तो पता चलेगा कि प्राइमरी शिक्षा पर जैसा कि पहले कभी खर्चा नहीं किया गया, उतना खर्च होता है।

मैं थोड़े से आंकडे इस सदन के सम्मुख पेश करूंगा, उनकी डिटेल्स इस तरह से हैं:—

बॉयेज स्कूल्स: उस वक्त नम्बर ऑफ टीचर्स के बारे में भी एतराज किया, लेकिन ब्रेक अप होने से कम दिखता है, वैसे वास्तव में टीचर्स की संख्या पहले से बढ़ी है।

१९५४-५५ के बजट में ८५०४ टीचर्स थे और प्रोविजन था ६९,८९,००० रु०। ५४-५५ का रिवाइज़्ड एस्टीमेट ६९,८९,४११ रु० का था। इस साल टीचर्स १०२८४ है और प्रोविजन था ८७,३८,०७७ रुपया जो ५४-५५ में प्रोविजन ६९ लाख का था, वहां इस साल ८७ लाख से ऊपर का है।

इसी तरह गर्ल्स स्कूलों के लिए ६,९०,००० रु० की रकम थी। रिवाइज्ड एस्टीमेट ६,५८,००० रु० का था। वह अब इस साल ११,४६,३६५ रु० का है।

एक प्रोग्राम और चलता है: फाइनेन्स कमीशन ग्रान्ट फॉर एज्युकेशनल प्रोग्राम रिलीव एज्युकेटेड अनएम्प्लायमेंट ८,८७,५०० रु० की लास्ट ईयर थी। रिवाइज्ड एस्टीमेंट १३,२८,६६० रु० का हुआ और अब १७,२५,६१३ रुपये का हुआ। इस तरह से कुल जहां १०४३५ टीचर्स थे, वहां इस साल १३,२१९ टीचर्स हैं और जहां ५४-५५ के वर्ष में प्राइमरी एज्युकेशन के लिए कुल रकम ८८,९६,००० रु० थी वहां इस साल १,१९,२५,९८५ रु० की रकम प्राइमरी एज्युकेशन के लिये रखी है।

इन आंकड़ों से सदन को पता चल जायगा कि हमने ज्यादा रुपया प्राइमरी एज्युकेशन पर खर्च किया है। यदि माननीय सदस्य इन तीनों डॉक्युमेंट्स को देखते तो समझ में आ जाता, लेकिन देखने की तकलीफ नहीं की जाती, समझने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि इसमें समय लगता है, और यहां आकर सदन में आंकड़े बताते हैं। मेरे माननीय मित्र यहां नहीं हैं, शायद चले गये हैं। अब भी देख लें तो पता चलेगा कि प्राइमरी एज्युकेशन पर इस साल खर्चा बढ़ा है।

इसी तरह कई माननीय सदस्यों ने एतराज किया कि सिस्टम ऑफ एज्युकेशन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। वे माननीय सदस्य अगर गौर से देखते तो उन्हें पता चलता कि हमने २५ मल्टी पर्पज हाई स्कूल्स और बेसिक स्कूल्स खोलने का प्रोविजन रखा है। वह इसमें इसलिये रखा है कि हम सेकेन्डरी एज्युकेशन कमिशन की सिफारिशें मान कर शिक्षा के ढंग में तब्दीली करना चाहते हैं। जो हमने २५ मल्टी पर्पज स्कूलें और बेसिक स्कूलें रखी हैं, वे इसी लिये रखी हैं। हमारे

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

माननीय मित्र इस बात को मानेंगे कि अब हम किसी हाई स्कूल को इन्टर कॉलेज और किपी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाने जा रहे हैं। ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है, वह इसीलिये कि यह शिक्षा का तरीका बदले और शिक्षा के रूप में परिवर्तन होकर हम लोग अच्छी शिक्षा रखें।

हमारे माननीय मित्र ,जो नगर से आने वाले हैं—उन्होंने कहा कि फीस के जरिये सरकार की शिक्षा से आमदनी बढ़ी है। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई फीस नहीं बढ़ाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से जो भी ग्रान्ट आती है, उनके आदेश के मुआफिक यह आमदनी इसमें दिखाई गई है। ८० लाख की आमदनी इसमें दिखाई गई है, वह हमें बढ़ोतरी दिखानी पड़ती है इस हैड में। इस हैड के साथ-साथ मेमोरेंडम को अगर देख लेते तो स्पष्ट हो जाता कि फ़ीस से आमदनी नहीं बढ़ी है, पर इस ग्रान्ट को इसमें दिखा देने से बढ़ी है। इसी तरह कई हैड्स हैं उनके डिटेल में जाने की माननीय सदस्यों ने कोशिश नहीं की।

इसी तरह से हमारे माननीय मित्रों मेडिकल को लेकर कहा है कि मेडिकल में न तो इस बात का खर्चा दिखाया गया है कि दवाइयों में ज्यादा खर्चा किया जायगा और न मरीज़ों के लिए ज्यादा प्रोविजन दिया है और अस्पतालों में इन्स्ट्रूमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में गौर किया है। नये अस्पताल हैं; नये आइटम को देखते तो पता चलता। वॉल्यूम नं० २ है जिसमें रनिंग एक्सपेन्डीचर को देखते, मेडिकल हैड को देखते, तो पता चलता कि रनिंग एक्सपेन्डीचर में खर्चा बढ़ा है। लेकिन इसके साथ-साथ नई मद में इस तरह की रकम का प्रोविजन किया है। अगर हिन्दी वॉल्यूम के पेज २७ और अंग्रेजी के पेज ७८ को देखते, जैसा कि मैं सदन को बताऊंगा, देखिये हिन्दी मेमोरेंडम पेज २७, कि—

	१९५४–५५	१९५५–५६
भेषज तथा औषधियां	१७. ४९	१९. ७७ लाख
कपड़े तथा बिस्तर	१. २४	१. २९ लाख
नवीन व्यय	......	५. ९५ लाख

केपिटल एक्सपेन्डीचर में जो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्ज़ वगैरह का खर्चा है, वह इसमें शामिल नहीं है। यह केवल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, इन्स्ट्रूमेंट्स और रोगियों के लिये अधिक लिया है। तो इस तरह से मेडिकल में भी पहले से बहुत अधिक रुपया खर्च किया है।

इसके बाद हमारे एक माननीय सदस्य जो कि इस सदन के उधर बैठने वाले सदस्यों के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने यह एतराज किया है कि लेन्ड रेवेन्यू में आप हर वक्त बढ़ोतरी दिखाते हैं और रुपया इकठा नहीं हो पाता। जागीरों से जो आमदनी दिखाई जाती है वह रिएलाइज नहीं हो पाती। इसके कारणों का मैंने पता लगाया। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण हमारे कर्मचारियों की शिथिलता अवश्य है, इसलिये वसूली में कमी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मैं

Page No.52

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

सदन से यह निवेदन करूंगा कि जागीरें हमने ले ली हैं और उनको लेने में जरूर विलम्ब हुआ है। उसमें एक फसल की आमदनी रखी है वह करीब १० लाख रखी है और वह एक फसल की उनमें कमी हुई है वह इसलिये कि जागीरों का कम्पेन्सेशन दिया गया है। इसके अलावा हमने रुपया रखा है वह इसलिये कि जितना जल्दी जागीरों का पुनःग्रहण करेंगे उनके कम्पेन्शेसन का हम प्रबन्ध करेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि जितना कम्पेन्सेशन लोगों को दिया जाना चाहिये, दे दिया जावे। हमने अभी भी जितने कम्पेन्सेशन के फॉर्म पेश हुए और जिनके निर्णय हो चुके हैं उनको कम्पेन्सेशन दे दिया और हम यह भी चाहते हैं कि जो फॉर्म बचे हैं, उनका भी जल्दी हो निर्णय हो और हम उनको भी ३० मार्च से पहले पहले कम्पेन्सेशन देकर सफाया करदें ताकि हमको अगले बजट में उनके लिए रकम रखनी नहीं पड़े। हमने अगले बजट में भी रखा था। अब भी हम उसको रखना पसंद नहीं करते क्योंकि हमने जो पंत फॉरमूला है, उस पर चलने का निश्चय किया है और उसमें किसी प्रकार की कोताई नहीं आने देंगे।

इसके बाद हमारे माननीय मित्र ने कहा कि बहुत खर्चा कारों के मद में होता है, मिनिस्टरों और उनके टूर में अधिक खर्चा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक टूरिस्ट ऑफिसर भी मुकर्रर किया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर वे इस बजट को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि जितने सरकिट हाउसेज़ हैं उनके लिये मरम्मत का प्रॉविजन था, वह हमने किया है। सरकिट हाउसेज़ में टूरिस्ट आकर ठहरते हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि टूरिस्ट से हमारे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिलता है और हमारी नामवरी भी होती है। इस दृष्टि से हमने टूरिस्ट ऑफिसर रखा है और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से हम सरकिट हाउसेज को चलावें और इसके लिये हमने बजट में प्रोविजन रखा है।

मिनिस्टरों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खर्चे किये जाते हैं। एस्टीमेट कमेटी के बारे में भी कहा जाता है। मैंने इस बात को गौर से देखा कि वास्तव में यह चीज़ क्या है। मुझे मालूम हुआ कि एक तो एकाउन्टिग में कुछ गड़बड़ है। एकाउन्ट इस प्रकार रखा जाता है, जिसमें कई कारें ऐसी हैं जिनकी मशीनरी इतनी पुरानी है कि वे १०-२० या ५० मील आगे जाकर टूट जाती हैं उनकी रिपेअर्स पर जितना खर्चा होता है, वह भी सब इसी एकाउन्ट में लिखा जाता है। इसके अलावा बड़ी-बड़ी कारें हैं जो ६ या ७ मील में एक गेलन एवरेज देती हैं, इसके अलावा जितना भी खर्चा उनके मेन्टीनेन्स और रिपेअर्स में होता है वह भी इसी में जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो खर्चा माइलेज़ में आता है, वह भी इसी में दिखाया जाता है। इसलिये वह खर्चा बहुत ज्यादा दिखता है। वास्तव में जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, उससे मेन्टीनेन्स ऑफ कार का गेरेज़ में अलग हिसाब रहेगा। जो लोग प्राइवेट कार से टूर करेंगे उनको ८ आना प्रति मील के हिसाब से दिया जावेगा और जितना खर्चा आया उसका हिसाब अलग रख दिया जावेगा और अगर मेन्टीनेन्स ऑफ कार इस खर्चे से किया जावे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि खर्चा ज्यादा होगा और इसीलिये यह खर्चा ज्यादा दिखता है। दूसरी चीज हम कम करने जा रहे हैं—वह यह है कि शहरों में मिनिस्टरों की कारों के लिये कुल

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

६० गेलन प्रति माह दिया जावे और अगर इससे ज्यादा उनको जरूरत हो तो वे अपने खुद का पेट्रोल खर्च करें। इससे खर्च में बहुत कमी आ जावेगी। इसके साथ-साथ शहर के लिये नई गाड़ियां दी गई हैं। टूर के लिये पुराने खटाले हैं उनको अलग . . . .

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उनको बेच क्यों नहीं देते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— बेचने के लिये, जब नई गाड़ियां आवेंगी विचार करेंगे। हमने इसके लिये एक लाख रुपया रखा है और दूसरी गाड़ियों के लिये ऑर्डर दिये हुए हैं। ज्यों ही टूर के लिये दूसरी गाड़ियां आ जावेंगी तो यह दुःख भी दूर हो जावेगा।

हमारे यहां बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं। उनमें मिनिस्टर रहते हैं। अगर उनको मेन्टेन करते हैं तो खर्च होता है और चूंकि मिनिस्टर रहते हैं तो एक बंगले में बहुत बड़ा बगीचा होता है, उसमें पानी का खर्चा होता है, वह भी उसी पर पड़ेगा। बड़े-बड़े बंगलों में जितना खर्चा होता है, वह तो सभी जानते हैं और पहले भी वही पड़ता था। लेकिन पहले का बजट सदन के सामने नहीं आता था। चूंकि अब बजट सदन के सामने यहां पेश होने लगा है जिसमें उनका भी हिसाब पेश होने लगा है तो लोगों को दिखने लगा है कि इतना खर्चा इसमें पोछ होने लगा है।

इसके अलावा अपोज़िशन के लीडर ने एक और प्रश्न उठाया और उन्होंने पेन्शन के बारे में कहा कि सरकार ने इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया। लोगों को रिटायर हुए ५-५ साल हो गये, मगर अब तक उनकी पेन्शन का निपटारा नहीं हुआ। माननीय सदस्य ने अखबारों में पढ़ा है। उनकी जानकारी के लिये मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि पेन्शन के बारे में अलग-अलग रियासतों में पेन्शन रूल बने हुए थे। कई जगह रेकॉर्ड पूरी तरह से रखा जाता था और कई जगह नहीं रखा जाता था और पेन्शन के लिये वेरीफिकेशन ऑफ सर्विसेज़ का होना बहुत जरूरी था। इस हिसाब से वेरीफिकेशन होना मुश्किल था और उनके बगैर एकाउन्टेन्ट जनरल पेन्शन नहीं देता है। इस वजह से बड़ी मुश्किल थी। ऑडिटर जनरल जब यहां आये तो उनसे बात-चीत की और उनको सारी स्थिति बतलाई। उन्होंने स्थिति को महसूस किया। बात-चीत करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि २५ रु० तक पेन्शन पाने वालों के लिये अगर वेरीफिकेशन नहीं मिले तो उसके लिये यह रखा गया था कि सरकार उनके वेरीफिकेशन ऑफ रेकॉर्ड से या किन्हीं दो गवाहों को लेकर या जो नौकरी करता था, उसका हल्फनामा लेकर, अगर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को तसल्ली हो जावे तो वह एक सर्टीफिकेट उसके लिये दे दे और ए० जी० उसको मान लेंगे। क्योंकि २५ रुपये से ज्यादा पेन्शन के केसेज़ बहुत कम होते हैं और ज्यादा २५ रुपये तक के केसेज़ होते हैं। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के सर्टीफिकेट देने पर पेन्शन के ऑर्डर निकाल दिये जावें और ए० जी० उसे मान लेगा। इससे आशा है कि बहुत से पेन्शन के केसेज़ का निपटारा हो सकेगा। मौजूदा स्थिति पेन्शन की है, उसको मैं सदन के सामने रखूंगा।

टोटल केसेज़ जो पेन्शन के हैं, उनकी संख्या २,६३३ है। २५ रुपये से अधिक की पेन्शन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

पाने वाले हैं उनकी संख्या ४७८ है। २५ रुपये से कम की पेन्शन पाने वालों की संख्या २,१८० है। इसमें से मरजर के पहले के १६४ केसेज हैं :

१९४९	३८८
१९५०	२२०
१९५१	४४६
१९५२	५८८
१९५३	४०७
१९५४	४२०.
१९५५	२५ केसेज हैं।

यह संख्या दिसम्बर तक की है। दिसम्बर के बाद ३०० केसेज़ का निपटारा हुआ है। इसके बारे में जो ऑर्डर्स पास कर दिये हैं, वे गजट में शाया भी हो चुके हैं। सरकार ने इस बारे में एक बुकलेट का भी प्रकाशन किया है, जिसमें सब सर्क्युलर्स शामिल हैं जो अब तक पेन्शन के बारे में इश्यू किये गये हैं ताकि पेन्शन पाने वाले को यह सहूलियत हो सके कि आखिर उसको किस तरह से फॉर्म भरना है और कहां-कहां जाना चाहिये, किस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिये? इन सब बातों की सहूलियत के लिये इस बुकलेट का प्रकाशन किया है। इससे इन केसों के निपटारे में सहूलियत हो सकेगी।

विरोधी दल के नेता ने एक बात यह भी कही कि हमारे बीकानेर में कुछ व्यक्तियों को दाना-पानी का खर्चा मिलता था; इसके बारे में सरकार ने आर्डर्स निकाल दिये है, उन ऑर्डर्स के बावजूद भी अब तक उनको खर्चा नहीं मिला। इस बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर्स निकल जाने के बाद भी कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। जब यह मामले ए० जी० के आफिस में पहुँचे, वहां से एतराज़ हो गया। जो एतराज़ वहां से खड़ा हुआ उसको निपटाने में समय लगेगा। ऑर्डर्स निकलने के बाद हमने खाना-पीना जिनको मिलता था, उनकी हमने संख्या लिख दी थी। ए० जी० ने कहा कि हम नामों का वेरीफिकेशन चाहते हैं। नाम वगैरह मंगाने के लिये और भी सारी जानकारी के लिये हमने बीकानेर के कलक्टर को लिख दिया है। उन नामों का विवरण आ जाने के बाद ए० जी० को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा और तब उनको दाना-पानी का खर्चा मिलने लग जायगा।

इसके बाद माननीय विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा था कि एक्साइज़ की आमदनी बढ़ रही है। इससे यह पता चलता है कि इससे सरकार काफी मुनाफा कमा रही है। मैं यह समझता हूं कि इसका जवाब हमारे एक माननीय सदस्य ने दे दिया था, लेकिन मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

हूं कि यह निश्चय है कि इसकी आमदनी बढ़ी है और आगे भी इससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इन चीजों पर ज्यादा टेक्स कर रहे हैं और ज्यों-ज्यों ज्यादा टेक्स होगा इसकी आमदनी भी ज्यादा होगी, ज्यादा टेक्स लगाने का यह मक़सद है कि कम से कम आदमी इसका प्रयोग करें। इसका असर गरीबों पर नहीं पड़ता। अगर ज्यादा से ज्यादा आमदनी इससे होती है तो यह ज्यादा टेक्स लगाने के कारण ही होती है। हमारा यह मानना है कि जो चीज ज्यादा महंगी होगी, उसको कम इस्तेमाल करेंगे और अपने आप इसकी खपत कम हो जायगी और लोग अपने आप छोड़ देंगे।

श्री भोपालसिंह—क्या कभी माननीय मन्त्री ने ठेकों पर जाकर देखा है कि गरीब आदमी ज्यादा पीते हैं या अमीर ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(जारी रखते हुए) महंगा मिलेगा तो कम पीयेंगे। इसके बाद विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा कि इल्लिसिट डिस्टीलेशन भी होता है; बहुत-सी जगह शराब नाज़ायज तौर पर निकाली जाती है। जिस समय माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा उसी समय मेरा यह कहने का इरादा था कि यह तो अवेटमेन्ट का केस प्रमाणित हो सकता है या नहीं ? यह जो आमदनी बढ़ी है वह इसलिये कि हमने जो नाज़ायज शराब बनाते हैं, उनकी इस हरकत को बन्द करने के लिये ज्यादा चेक रखा है, इसलिये यह आमदनी बढ़ी है। हम इस चेक को ज्यादा तीव्र करना चाहते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़े।

मैं समझता हूं कि जो-जो एतराज़ विरोधी दल के नेता ने उठाये उन सबों का करीब-करीब मैं जवाब दे चुका हूं।

एक दूसरे सदस्य जो जोधपुर से आये हैं, उन्होंने भी इस सदन को गलत तरीके से कुछ बातें रखकर समझाने की कोशिश की। मेडिकल का जहां तक ताल्लुक़ था, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी रकम नहीं बढ़ाई है। मेरा यह कहना है कि मेडिकल के लिये हमने काफी रकम बढ़ाई है। दूसरे उन्होंने बजट के २८४ पेज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि दो कामों में बिलकुल बराबर रुपया रखा गया है ; एस्टेब्लिशमेन्ट के लिये और कार्य के लिये। पहले साल में जितना रुपया था, उतना ही रुपया इस साल भी रखा गया है। अगले साल के आंकड़ों से ऐसा मालूम होता है कि काम बराबर हुआ। दोनों के लिये समान रकम कैसे रखी गई है। इसके लिये यह कह सकता हूं कि जितना रुपया एक काम के लिये खर्च होगा, उतना ही दूसरे काम पर खर्च हो सकता है। इसमें जो प्रोवाइड किया गया है वह तो अनुमानित खर्चा है, एक्चुअल कितना होगा यह तो आगे आंकड़े जब आयेंगे तब पता चलेगा। पर्सेन्टेज़ के हिसाब से ही एस्टेब्लिशमेन्ट होता है। मालूमी तौर पर जैसे चीफ इन्जीनियर, इन्जीनियर्स हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेन्ट में हैं परटीक्युलर काम के लिहाज़ से अलग रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा होगा वह स्पेशल खर्चा होगा।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि आपने कस्टम बन्द कर दिया। यह तो आपको करना ही था, आप तो यह बताइये कि अब तक आपने क्यों नहीं किया ! मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि कस्टम ऐसी चीज थी, जिससे हमारे राज्य को काफी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

आमदनी होती रही है और यह मानी हुई बात है कि कोई आमदनी को छोड़ना एकदम पसन्द नहीं करता। माननीय मित्र ने यह तो कह दिया कि आपने कस्टम को क्यों नहीं छोड़ा ? उनको यह भी बताना चाहिये था कि इससे जो आमदनी घट जायगी, उसके अनुसार क्या-क्या टेक्स लगाये जाने चाहिये, ताकि हमारा खर्च पूरा हो सके। किन्तु यह तो वे बताना नहीं चाहते। वे तो यह चाहते हैं कि अब तक आपने कस्टम बन्द क्यों नहीं किया ? माननीय सदस्य होते तो मैं उनको बताता कि हमने इस कस्टम के हटाने से पहले भी कई मदों में कस्टम की कमी की है और कई मदों में कस्टम की छूट भी दी है। हमने उसी नीति का पालन किया, जो फेडरल फाइनेन्स इंटिग्रेशन के वक्त गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने कहा था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने ऑइल सीड्स पर कस्टम कम किया, बाद में जो थे उनको कस्टम ड्यूटी के मुक्त किया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—ऑइल सीड्स पर तो कस्टम कम नहीं; ऑइल पर कम किया हो, ऐसा हो सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं, जो भी बात मैं सदन के सामने रखता हूं, वह सही आधार पर रखता हूं, यह मेरी आदत रही है। ऑइल पर ७ रुपये मन से ३॥ रुपया मन किया गया।

सरसों ऑइल ३ रुपये से २ रुपये किया गया।

ऑइल केक्स १ रुपये से ८ आना किया है।

रिफाइन्ड कोकोनट ऑइल ४ रुपये से २ रुपया किया गया।

श्री भोपालसिंह—यह रेट्स किस गजट में शाया हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मैं इस समय तो नहीं बता सकता कि कब और किस में शाया हुए हैं।

इसी तरह से बिजली, रिफाइन्ड और अनरिफाइन्ड कोकोनट ऑइल एण्ड ग्राउन्ड नट ऑइल, ऑइल सीड्स, रफ स्टोन्स, जिसको खड़ी कहते हैं, रीअल-सिन्थेटिक स्टोन, एविएशन पेट्रोल, राइस विथ हस्क और पेट्रोल और पॉवर अलकोहल इन पर जो हैं, हमने ड्यूटी एबोलिश की है। तो यह कहना बिलकुल तथ्यपूर्ण नहीं कि हमने किसी तरह से इसको कम नहीं किया।

इसके बाद कहा कि हम आमदनी बढ़ावेंगे तो जमीन बेचकर बढ़ावेंगे, भाखरा की जमीन बेचेंगे उससे हमको केपिटल इन्कम होगी। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि एक नहीं, कई दफा इस बारे में बातें की जा चुकी हैं कि इसमें नीलाम करके जमीन को बेचा जावेगा और आमदनी होगी। यह भी ठीक है, पर इसके लिए एक सिद्धान्त बन चुका है, कानून-कायदा बन चुका है। इसी हिसाब से जमीन की बिक्री होगी और इससे जो आमदनी होगी वह केपिटल एक्सपेन्डीचर की तहत में रहेगी।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

हमारे एक माननीय सदस्य, जो भीलवाड़ा में आये हैं-उन्होंने माइका लेबर के बारे में, लेबर के बारे में, टाउन रोड्स के बारे में और पी०डब्ल्यू के रोड्स के बारे में, निवेदन किया। मैं कहूंगा कि टाउन रोड्स के बारे में प्रोविजन हमारे इस बजट में है और लेबर के बारे में जो हमारे सामने खर्चे सम्बन्धी योजनाएं हैं, वे फाइनल नहीं हुई हैं अभी। इसलिये जहां तक लेबर सेन्टर का ताल्लुक है, वैलफेअर सेन्टरों में बढ़ोतरी की गयी है और जहां तक और और सुविधाओं का सवाल है, उस दृष्टि से अफसरों की नियुक्ति करने के लिहाज से असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर और स्पेशल लेबर ऑफिसर रखने का प्रोविजन किया गया है। लेबर के लिए हाउसिंग के बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से लिखा-पढ़ी हुई है और करीब करीब स्कीम तैयार है। स्कीम करीब-करीब मन्जूर कर ली गई है जो हमने इस सम्बन्ध में तैयार की थी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने से कागजों की लौटा-फेरी थोड़ी है, पर हमें पूरी आशा है कि इण्डस्ट्रियल हाउस की स्कीम हमारी मन्जूर होने वाली है।

इन्श्योरेन्स ऑफ एम्प्लाईज के बारे में जो स्कीम है, उसको भी करने का विचार चल रहा है। जून महीने के अन्त तक यह स्कीम भी लागू हो जावेगी, जिससे भी मजदूरों को काफी फायदा मिल सकेगा।

हमारे परबतसर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने सर्विसेज़ के बारे में जिक्र किया कि कल्याणकारी बजट हम जरूर बनाते हैं, पर सर्विसेज़ की तनख्वाह में इस कदर फर्क है कि सौ-सौ गुना फर्क हमारे यहां नजर आता है, जहां और देशों में इतना नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे यहां पर नीचे के दर्जे के कर्मचारियों में और ऊपर के दर्जे के कर्मचारियों की तनख्वाह में बहुत अन्तर है और इस पर हम स्वयं भी विचार कर रहे हैं। कुछ थोड़ा विचार किया भी है। पर मैं यह सदन को बताना चाहूंगा कि यह केवल एक-दो दिन में काम होने वाला नहीं है, और इस पर हम जब तक फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स को जानकर फैसला नहीं करें, तब तक समय लगने की सम्भावना हो सकती है। इसके बाद जो भी घोषणा होगी, अगले वक्त में कर दी जा सकती है। यह विचार जरूर है हमारा कि छोटे कर्मचारियों के बारे में, और हमारे जो निम्न स्तर के मुलाजिमान हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में वृद्धि की जावे और एक जो बात उन्होंने कही है, उसका करीब करीब दूसरे माननीय मित्र ने जवाब दिया है, करप्शन के बारे में। फॉरेस्ट के बारे में जरूर कहा था कि ऑर्डर की तामील नहीं होती है। इसका जवाब भी एक प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है, और इस पर उनका कट मोशन भी शायद है; उस पर और आगे निवेदन कर दूंगा।

लेबर के बारे में उन्होंने कहा कि गोपीलाल जी साहब मित्तल हैं, उनको लेबर कमेटी में रख दिया गया है। मेरा तो इम्प्रेशन यह था कि गोपीलालजी मित्तल पुराने मजदूर नेता हैं। पहले मजदूरों की हड़ताल हुई और कुछ हुआ तो उन्होंने उसमें बड़ा हिस्सा लिया था और अब मालूम पड़ता है कि वे तो किसी के यहां मैनेजर हो गये हैं। तो इस पर भी गौर करेंगे, अगर ऐसा हो गया है तो। मैं स्वयं यह पसन्द नहीं करूंगा कि एम्प्लॉयर होकर कोई मजदूरों की श्रेणी में आ जावे। तो मेरे इस उत्तर से मेरे उन मित्र को सन्तोष होना चाहिए। मैंने भी मजदूरों में काम किया है। मैं इसको खुद भी देख सकता हूं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

सर्विसेज़ के बारे में और ट्रान्सफरों के बारे में भी कहा गया है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमन्त्री ने काफी इसका जवाब दे दिया है। सर्विसेज़ में आम तौर पर ट्रान्सफर होते रहते हैं। इसको हम खुद चैक करना चाहते हैं। तहसीलदार को लेकर-ट्रान्सफर कर दिया गया। वह कर दिया, यह कर दिया और इस ट्रान्सफर को लेकर सदन के १५-२० मिनट का समय बर्बाद हुआ, पर यह भी स्पष्ट है कि जहां एक तहसीलदार के बारे में इतना जोर लगाया गया वहां उनको यह भी कहना चाहिए था कि एक ही कस्बे में दो दो सड़कें भी बनी हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस पर हमारा भी ध्यान है, हम भी चाहते हैं कि ये जितने कम हों अच्छा है और कोशिश हमारी जारी है, पर आपको भी इस एक मामले के कहने में इतना समय नहीं चाहिये था।

हमारे एक बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्होंने मडिकल के बारे में कहा कि फीसें नहीं होनी चाहिए और इस सरकार को उन्होंने अपने ही शब्दों में कुछ बताया, उसके लिए; वे बुजुर्ग हैं, हम क्या इसका जवाब दें उनको। हम नौजवान लोग हैं; इसने उनको मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह के लोग हैं और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, वह तो सदन ही देखेगा। वे यहां हैं भी नहीं, होते तो खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हम क्या हैं।

मेडिकल की जो मैंने तरक्की बताई पांच लाख और कितने ही हजार की; इसके बारे में यह स्पष्ट है कि जो कुछ औषधालय नये खोलने हम जा रहे हैं उसमें आयुर्वेद के ७० अस्तपताल हैं। तरक्की भी इस तरह से है; कि दो लाख रुपया हॉस्पिटल के इक्विपमेन्ट्स में बढ़ाये गये हैं और ४,७०० रिकन्स्ट्रक्शन।

१७ हजार आयुर्वेद की मेडिसिन पर।

२५ हजार आयुर्वेदिक कॉलेज पर।

मलेरिया पर १,३० हजार।

ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स पर ४० हजार।

मशीनरी पर ५० हजार।

बरमियों पर २० हजार।

एक लाख ग्राम मेडिसिन पर।

१,१८० दाइयों की ट्रेनिंग पर।

इसके बाद मैं सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इसमें बहुत काफी प्रगति की है।

एक मेरे माननीय सदस्य ने संस्कृत के बारे में कहा—संस्कृत की शिक्षा, स्कूलों के बारे में,

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरा इस पर यह निवेदन करना है कि संस्कृत भाषा भी हमारी यद्यपि बहुत पुरानी भाषा है पर जिस प्रकार हमारे माननीय मित्र की उम्र ज्यादा बढ़कर बाल पक गये हैं, उसी तरह से अब इस संस्कृत भाषा की उम्र भी पक आई है। अब तो नई नई भाषा और शिक्षा के तरीके आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह पुरानी परिपाटी जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो मौजूद है और जो हमारी नई चीज और नई कल्पना हमारी शिक्षा के बारे में है, उसको लेकर हम शुरूआत करें। आज के युग में शिक्षा का परिवर्तन हम करना चाहते हैं। जहां बेसिक और सेकन्डरी स्कूलों में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, वहां हम पीछे जाना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री जवानसिंह--संस्कृत के लिए आपके ऐसे विचार !

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे एक माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ी चीज यहां पर बताई और बड़ी उनको खुशी हुई जबकि सदन में इस चीज को उन्होंने बताया। बजट में से एक ऐसा आइटम ५४ ए में से छांटा और छांटकर इस तरह से सदन में बताने की कोशिश की कि सदन में गलतफ़हमी फैल जावे और यह मालूम पड़े कि कोई पक्षपात सरकार ने किया है। अगर वे मेरे छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य उपस्थित होते और उसका स्पष्टीकरण सुनते तो बड़ा अच्छा होता। मैं चाहता हूं कि सदन के सामने इस सारी चीज का स्पष्टीकरण कर दिया जावे।

वह है—एक गफूरनजी पासवान करोली के बारे में। अखबार में भी इस का बड़ा प्रचार किया गया और बहुत कुछ कहा गया। मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा इस सारी चीज का। मैं सदन के सम्मुख १७ अक्टोबर ५० का आर्डर पढ़कर सुनाता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यह किसका आर्डर है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गवर्नमेन्ट ऑर्डर है, जो इस प्रकार है-

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
Political Department.

Order.

No. F. 3-M/4 (Pol-C)/50. Dated the 17th October, 1950.

Mst. Gafooran, a Marzidan of His late Highness Maharaja Bhopal Singh of Karauli, was in the enjoyment of an allowance of Rs. 100/- per mensem and free supply of 450 maunds of hay from the Forest Department. This is understood to have been stopped from the time of the merger of Karauli into the Matsya Union.

Government have been pleased to order that the above allowance and free supply of hay should be continued with effect from the date from which

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

it was stopped, for the life-time of Mst. Gafooran. If there is any difficulty in giving hay in the present circumstances, the price of hay assessed at the current rate may be paid to her instead of hay. All arrears should be immediately paid to her and for the future, the allowance should be paid to her every month.

The above orders of Government are also in accordance with the directives of the Ministry of States.

(Sd.) K. P. U. Menon,
Deputy Secretary to the Government of Rajasthan."

यह ऑर्डर पास किया गया है हमारी वेंकटाचार सरकार के जमाने में और इस पर वेंकटाचार साहब के दस्तखत हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—१७ अक्टूबर, १९५० को वेंकटाचार की सरकार नहीं थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वेंकटाचार के ही ऑर्डर हुए हैं, उसी आधार पर यह इश्यु किये गये हैं। ओरीजिनल ऑर्डर जो हुए हैं फाइल पर, जिस पर कि ऑर्डर बेस्ड हैं, उस पर वेंकटाचार जी के ही दस्तखत हैं स्वयं के।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—१७ अक्टूबर, १९५० में उस वक्त वेंकटाचार सरकार नहीं थी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा होता है कि मिनिस्टर के ऑर्डर्स फाइल पर जारी होते हैं, उस पर से यह ऑर्डर्स जारी होते हैं। तो यह १७ अक्टूबर, १९५० को जारी हुए हैं, उस वक्त वेंकटाचार थे। ओरीजिनल ऑर्डर्स उन्हीं के हैं। वेंकटाचार साहब के ही ऑर्डर्स हैं। मेरे पास फाइल है, मैंने देख लिया है। यह ६-१० का है:—

"I agree, especially in view of the directions of the States Ministry quoted on previous page for the purposes for which this case seems to be a deserving one."

उसके ऊपर जो दूसरे मिनिस्टर हैं उनके दस्तखत हैं।

यह सवाल जब फिर दुबारा आया कि जो ४५० मन दिया जाता है, वह कहां से कलेक्ट होता है, कहां से किस तरह से होता है और यह सवाल उठा तो हमारे माननीय पहले के नेता ने ऑर्डर किया कि:—

"This year she may get at Rs. 3-8- per maund as the Forest Department is satisfied of this rate. In future she may get grass in kind or we may convert it at a fixed rate. 25-2"

श्री गोपीलाल यादव—दस्तखत किन के हैं

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्री जयनारायण व्यास।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कौन से इयर का है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह शायद ५३ का है।

यह सवाल उठा कि जो मिलता रहा घास वह किस तरह से दें। ३ रु० ८ आ० की जो उसकी प्राइस हो सकती थी, उसको लेकर लगाया जायगा। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से यह चलता रहा कि यह कैसा किस्सा है। घास व बीड़ की जो कुछ आमदनी थी वह नहीं होती है तो १०० रु० फिक्स्ड एलाउन्स मिलता रहे। यह क्यों, कब रहा, क्या दिया जाय, यह पता नहीं था। लेटेस्ट पोजीशन इस तरह की है। ओ० एस० डी० फाइनेन्स ने इस पोजीशन पर विचार किया और विचार करने पर उनके जो विचार थे, वे इस प्रकार हैं :—

"Connected record of this case shows that Shrimati Gafooranji Marzidan of His late Highness of Karauli was in enjoyment of the following from the former Karauli State before formation of the Matsya Union :—

(i) Village Bindapura in Tehsil Karauli assessed at Rs. 1414/12/- granted as a gift for special services under Ijlas Khas Order dated the 30th March, 1929 vide Vernacular file No. 112 dated the 6th April 1929 (P.1/F.N.J/R48 R. D. Karauli.)

(ii) 10 Biswas of plot for burial ground and 8 Bighas and 1o Biswas of plot assessed at Rs. 62/3/- for lay out of a garden granted to her in Muafi under Ijlas Khas Order dated the 29th July, 1933 (P. 10/CF/No.J/R 48)

(iii) 252 Bighas of land in Muafi for supply of fodder for the garden bullocks and her other animals under Ijlas Khas Order dated 13-10-1934 vide vernacular file No. 1872 dated 30-11-34 subsequently resumed and converted by the State into supply of fixed quantity of 50 mds. of hay p. m. for 9 months in a year or 450 mds. in all in a year by the Bagar Deppt. of the State chargeable to the Deodhiyat Budget of the State by adjustment under Iylas Khas Order dated 8-9-1940 (vide file ibid page 18.)

(iv) Cash allowance of Rs. 100/- p. m. from 1-4-1947 fixed in lieu of stoppage of all her easement of free boarding etc. from the privy purse of His late Highness possibly as consequence of the demise of the Late Ruler, under Ijlas Khas Order dated the 15th September, 1947, vide vernacular file No 6 dated 6-10-1947.

It will be observed that the above allowance and grants include 450 maunds of hay in a year to be supplied by the State. Last time she was paid in cash at Rs. 3/8/- per maund. But as decided by C. M. this grant in kind was

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

required to be converted in cash at a fixed rate vide minutes at para 115/N. the Forest Department has suggested rate of grass at Rs. 3/-per maund i. e. Rs. 1350/- per annum. Perusal of the letter from the D. F. O. to the Conservator of Forest at page 31 would show that the Government realise an annual income from hay Reserve (which was resumed by the State and a fixed supply of 450 mds. of hay was allowed instad) of about Rs 400/- p. a. only. The quantity of 450 mds. was fixed at a time when she was maintaining a garden of 8 bighas and a number of bullocks and other animals, as is clear from the notes dated the 30th July. 1948 of the Under Secretary, Matsya (Protion side line page 9/F.No.J/R 48). Such easements in the case of other allowance holders even in the case of Ruler's brothers and relations and Majis, have been withdrawn."

And the question was :—

"In the present case it is, therefore, for consideration whether these easements should be continued to be paid to her in view of the old age of the lady as suggested by the Forest Department......"

उसके बाद लिखा है कि :—

"What ever amount is required to be paid should be met from Budget Number 54B-Privy Purses to Indian Rulers."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ग्रान्ट यदि बजट में स्पेसिफाई नहीं करें और उस समय एडहॉक दी जाती रहे और बजट में प्रोविजन नहीं करें और अब १०० रु० इस साल इस में बजट हैड ५४ बी, प्रिवी-पर्सेज़ एन्ड एलाउन्सेज़ ऑफ इन्डियन रूलर्स एन्ड देअर फेमिली, में स्पेसीफाई करके दिये जायं तथा जो रकम पहले से मिलती चली आ रही है, वह बजट में प्रोवाइड करते हैं, तो कहा जाता है कि नई रकम कर दी है। माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी बन्दर को सौंठ का गांठिया मिल गया तो वह उचकता फिरे, उसी तरह माननीय सदस्यों को यह बात मालूम होने पर उसकी जानकारी किसी से भी करने की कोशिश न करके उसको लेकर यहां आ गये और अखबारों में भी आ गया कि यह उनके रिश्तेदार हैं या कुछ हैं......।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, यह उदाहरण अशिष्ट है और इस सदन की मान व प्रतिष्ठा के विरुद्ध है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं नहीं समझता कि मैंने कोई अशिष्ट बात कही।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—जो कहता है, वह नहीं समझता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर उसको आप अशिष्ट समझते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री जवानसिंह—एक माननीय सदस्य को बन्दर बताना अशिष्ट नहीं है ?

श्री सभापति—ऑर्डर ! आर्डर !!

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) मैंने आपसे कहा कि हमारे फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने जो राय दी है, वह इस तरह की है कि जो कुछ भी पहले से मिलता रहा है; इतने गांवों से मिलता था तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की है, उसकी आमदनी से ४५० मन घास जिस जमीन में पहले होता था; वह गांव था या बीड़ था। ४५० मन घास बून्दीपुर से आता था तो हमारी राय यह है कि उनकी आमदनी को, उस हिसाब से इस तरह फिक्स की जाय कि उनको जो मैन्टेनेन्स मिलता है उसके अलावा जो रिज़म्शन के पहले जो आमदनी बैठती थी उसके आधार पर यह फिक्स हो। वह मामला अन्डर कन्सीडिरेशन है। हे (hey) वाला मामला अन्डर कन्सीडरेशन है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। जो १००) मासिक वाला मामला चूंकि हैड बतलाया गया है, जिस हैड में वह किया करते थे वह स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो माननीय सदस्य कहने लगे हैं कि यह इस वजह से किया गया है कि वे उनके रिश्तेदार हैं; बड़ा पक्षपात किया गया है।

मैं समझता हूं कि मेरे इस कथन के आधार पर जो कि इस केस की फाइल पर आधारित है सदन को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिये कि किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया है; कोई नई रकम नहीं दी गई है, बल्कि हैड स्पेसिफाई किया गया है।

श्री गोपीलाल यादव—घास बन्द होगया है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह ५४/बी...

नहीं साहब, यह विचाराधीन है। जो कुछ हमारा विचार था वह यह है कि जो कुछ भी जागीर से आमदनी हो रही है, जो कि रिज्यूम की गई है, उससे अधिक नहीं दिया जाना चाहिये। यह फाइनेन्स के विचार थे। जो कुछ भी इस पर डिसीजन होगा वह अभी तक जेर गौर है।

इसके बाद, माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे माननीय सदस्य इस चार्ट को देखें, ग्रेफिकल स्टेटमेन्ट्स को देखें जो मेमोरेन्डम के साथ लगे हुए हैं। उन ग्रेफिकल स्टेटमेन्ट्स को यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने कितनी तरक्की की है। उनमें आप पायेंगे राजस्थान के बजट के बारे में जो सारे फिगर्स हैं; उनका सारा निचोड़। पहला चार्ट सन् ५० से ५६ तक की आमदनी और खर्चा बताता है। उसमें आप देखेंगे कि हमारी आमदनी और खर्चा बढ़ा है। आमदनी ज्यादा होती जा रही है और खर्चा भी ज्यादा होता जा रहा है। दूसरे चार्ट में आप पायेंगे आमदनी का ब्यौरा। तीसरे में पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्रमबद्ध विकास दिखाया गया है। चौथे चार्ट में विकास विभाग पर होने वाला व्यय दिया गया है और इस तरह से मालूम होगा कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि पंचवर्षीय योजना में आप इतना खर्चा नहीं बढ़ा सकेंगे और अब तक कुछ खर्चा इस मद में नहीं हुआ है और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यदि वे पिछले साल का आंकड़ा देखें तो आपको विदित हो जायगा कि वास्तव में यह बात सही नहीं है। हमारा पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से खर्चा बढ़ा है, वह इस प्रकार है:—

सन् ५१–५२	२०६.६० लाख
५२–५३	२२३.४ लाख
५३–५४	३४१.२० लाख
५४–५५	६७८.४६ लाख

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

५३-५४ में ३४१.२० लाख था वहां ५४-५५ में बढ़ाकर ६७८.४६ कर दिया गया और वही ५१-५२ में २०६.६० लाख था और चार साल में वह ६७८.४६ तक पहुंच गया। तो हमें आशा है कि इस साल जो हमने ६८१ लाख का प्रोविजन रखा है उसको हम खर्च कर सकेंगे। पंचवर्षीय योजना का यह आखरी साल है और हमें उम्मीद है कि हम इसे खर्च कर पायेंगे। हमने अपनी सारी शक्ति इस खर्चे के साथ लगा रखी है। इस तरह मैं माननीय सदस्यों को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि अब तक हमने जितने रुपये खर्च किये हैं, उनमें केपिटल एक्सपेन्डिचर हमारा ५०-५१ के बाद से अब तक २३ करोड़ ३१ लाख रुपये का होता है। उसमें १० करोड़ रुपये का कर्जा हमने भारत सरकार से लिया है और ५ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट चलता है। जो कुछ केपिटल एक्सपेन्डिचर में बाकी की रकम अपने पास से आमदनी में से खर्च की है, मैं उसको बहुत ठीक मानता हूं। हमने जो ओवर ड्राफ्ट की रकम खर्च की है उससे हमने ब्याज की बचत की है। ओवर ड्राफ्ट के बारे में ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं कि आपने ओवर ड्राफ्ट करके १२॥ करोड़ रुपये की सीक्योरिटीज़ गिरवे रख दी हैं और आपके पास अब १ करोड़ रुपया बच गया, ओवर ड्राफ्ट से हम १०॥ करोड़ रुपये ले सकते हैं। पहले हमें ४ परसेन्ट ब्याज देना पड़ता था लेकिन अब केवल उस पर सवा तीन परसेन्ट ब्याज देना पड़ेगा। कर्जा लेने के बजाय ओवर ड्राफ्ट लेना हमने ज्यादा अच्छा समझा। आखिर तो भारत सरकार से एडजस्टमेन्ट होता है। प्लानिंग और डेवलपमेन्ट में एक्सपेन्डिचर के लिए हमने अपनी कोशिश से खर्चा बचाया है हमें उस पर केवल सवा तीन परसेन्ट ब्याज देना पड़ता है। और और रकम पर किसी पर ४॥ परसेन्ट और किसी पर ४॥। परसेन्ट देना पड़ता है तो जितना ब्याज बच सकता है उतना ब्याज बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे सवा तीन परसेन्ट ही लगता है। तो हम चाहते हैं कि ब्याज बचावें और आखिर में भारत सरकार से जो रकम आवेगी उससे एडजस्टमेन्ट हो जायगा।

अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारा खर्चा जो ३६ करोड़ रुपयों का इस साल रखा गया है, उसमें से डेवलपमेन्ट, सोश्यल वेलफेअर और पब्लिक युटीलिटी का खर्चा २,४६,४६३ लाख रुपया है। एक्सपेन्डिचर ओन पब्लिक युटिलिटी एण्ड वेलफेअर २४६.४ लाख रुपया है। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ३८,७६६ हजार रुपये हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर ५३१.६६ और मिसलेनियस पर १५८ लाख ८६ हजार रुपये और कमर्शियल डिपार्टमेन्ट पर ५२१.१२ रुपये। इस तरह, माननीय चैयरमेन, हमारा ज्यादा खर्चा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर न होकर हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है हमारे सोश्यल वेलफेअर और डेवलपमेन्ट पर। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पर खर्चा अनुपात से बहुत कम है और यह मैं कह सकता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं सोश्यल वेलफेअर और डेवलपमेन्ट की ओर। खर्चे की व्यवस्था ठीक है और इसके साथ ही हम समाज-कल्याणकारी कार्य में ज्यादा रुपया खर्च कर सकेंगे और अब भी कर रहे हैं। हमारा अनुपात बढ़ता जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि हम अपने उद्देश्य में सफल होकर आगे बढ़ते जा रहे है और हमारा उद्देश्य कल्याणकारी राज्य है। मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना कहकर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम खामख्वाह की बहस में न पड़कर अपना ध्यान राज्य के विकास-कार्यों में लगावें। यदि हम अपनी दिलचस्पी इसमें रखेंगे तो हम अपना, अपने देश का और राजस्थान का कल्याण कर सकेंगे। जय हिन्द! (करतल-ध्वनि)

अनुदानों की मांगों पर मत-दान

(मांग संख्या ६—सामान्य प्रशासन)

श्री सभापति—बजट के ऊपर वाद-विवाद समाप्त हो चुका है, अब डिमान्ड फॉर ग्रान्ट्स ली जायेंगी। श्री मोहनलालजी सुखाड़िया मांग संख्या ६ प्रस्तुत करेंगे। वे यहां नहीं हैं, उनके बजाय श्री भोगीलाल पंड्या प्रस्तुत करेंगे।

श्री भोगीलालजी पंड्या—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या ६, मेजर हेड २५ सामान्य प्रशासन उपशीर्षक का, घा और जा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४०,०४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री जवानसिंह अपना कट मोशन प्रस्तुत करें।

श्री जवानसिंह—Mr. Chairmam, Sir, I beg to move—

"That the Demand for Grant No. IX for a sum of Rs. 27,17,000 in reepect of Major Head No. 25 General Administration, Sub-Head D be reduced by Rs. 100/-(to discuss the delay in disposal of work in the Secretariat.)"

माननीय चेयरमेन महोदय, केवल इस साल के इस बजट अधिवेशन के भाषणों के ऊपर से मुझे ऐसा आभास मिल रहा था कि वास्तव में हम लोग जनहित के कार्यों की तरफ इस सदन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर मुझे इस बात के लिये जरा शक था कि आया इस समय बोलने वाले माननीय सदस्यों ने ऐसे भाषण जनहित का खयाल रखते हुए दिये थे या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये दिये थे। पर मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं कि वे जनहित के लिये अकारण ही हो गये। उस ओर बैठने वाले उस असन्तुष्ट दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने ३ साल बाद हमने जो बार-बार इस सदन में कहा था कि सरकार सुस्त है, ठीक कार्यवाही नहीं कर रही है, इस बात की पुष्टि की। इस बार इस बजट अधिवेशन के मौके पर हमारे उन मित्रों ने, हमें खुशी है, उन सच्चाइयों को सदन के सामने रखा।

मैं सदन का ध्यान उन्होंने जो सिविल सेक्रेटरिएट की तरफ इशारा किया था, उस ओर दिलाऊंगा। इस वक्त—जैसा कि वे कह रहे हैं कि सिविल ऑफिसर्स स्वतन्त्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, इस वजह से डिस्पोज़ल नहीं हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि ऐसी कार्यवाहियों को कम से कम हम और राजस्थान की जनता तो हमेशा से—जब से कि यह सरकार कायम हुई देखते आये हैं। माना कि उस वक्त सरकार में दूसरे व्यक्ति थे और इस वक्त दूसरे व्यक्ति हैं, पर उस वक्त भी एक विशेष संस्था सरकार में थी और आज भी वही संस्था सरकार में है। तो यह कहना है कि २ साल पहले कोई

[श्री जवानसिंह]

काम खराब नहीं हुआ, सिविल सेक्रेटेरियेट पर कोई दबाव नहीं पड़ा; मैं तो यह कहूंगा कि २ साल पहले भी ऐसे काम हुए; जिनसे अफसरों और सेक्रेटरियों पर दबाव पड़ने से कई तरह की गड़बड़ियां हुईं। बिजली-विभाग में एक श्री भार्गव हैं, उनका पहले जब सिलेक्शन हुआ तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर के रूप में ही रखा, परन्तु बाद में जो माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज थे, उन्होंनें उन्हें एग्जीक्युटिव इन्जीनियर में सिलेक्ट करवाया और तमाशा यह है कि जब से वे असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिलेक्ट हुए थे उस वक्त से सीनियोरिटी लिस्ट में एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर सरकार की ओर से स्वीकार किये गये। तो यह नहीं कि इस तरह के केसेज़ आज हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे, यह गलत है। पहले हमेशा से ऐसी चीजें हो रही हैं और पहले भी कई केसेज़ सदन के सामने आये थे।

तो इस प्रकार की परेशानियां हम हमेशा से देखते आये थे। हम तो चाहते हैं कि सरकार जागरूक होकर इन गलतियों को सुधारते हुए अब अवश्य ज्यादा ईमानदारी से काम करे।

आज सदन के सामने कुछ ऐसे केसेज़ आये थे, जिनसे देखने को मिला कि राजस्थान में ऐसे कई अफसर हैं, गजटेड अफसर हैं जिनको ५-६ महीनों से अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। मैं कैसे उम्मीद करूं कि इन अफसरों से राजस्थान की जनता, यह सदन किस प्रकार उम्मीद करे कि वे जिन्हें पांच-पांच, छः-छः महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, किस प्रकार रोजमर्रा के जीवन को बिताते हैं, किस प्रकार उनके खाने-पीने का खर्चा चलता है, किस प्रकार वे अपने कुटुम्ब का, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चलाते हैं। यह तमाम की तमाम परेशानियां इस खयाल से नहीं होनी चाहिए कि हजारों सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से ५-७ को समय पर तनख्वाह नहीं मिली तो क्या। एक भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक भी सरकारी कर्मचारी को एक महीने से ज्यादा अर्से के बाद तनख्वाह नहीं मिले। सबको भूख लगती है, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हों, उसे भूख लगती है। उस भूख को मिटाने का एकमात्र साधन सरकारी कर्मचारी के पास उसकी तनख्वाह है। यह खयाल नहीं करना चाहिए कि वह और भी दूसरे तरीकों से अपनी भूख मिटा सकता है।

इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो २७ केसेज़ ऐसे बताये हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी ओर सरकार ध्यान देगी और इसी माह में उनको तनख्वाह दे दी जायगी। तभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं सेक्रेटेरियेट के अफसरों से कि वे वाकई में पुरानी रूढ़ि को छोड़ कर काम करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं।

(११. ३६ पर लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहीं तो हम समझेंगे कि ३ साल पहले से जो पुरानी रूढ़ियां हम देखते आये हैं, उन्हीं के आधार पर अब भी सरकार का काम चल रहा है।

सिविल सर्विसेज़ में किस तरह से काम चलता आ रहा है, इस ओर माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश

[श्री अवानसिंह]

हो चुकी है, उसमें बताया गया है कि सिविल सर्विसेज़ किस तरह से काम करती हैं और विधान सभा बनने के बाद सिविल सर्विसेज़ में किस तरह की कार्यवाहियां हुई, इस बारे में एस्टीमेट्स कमेटी के डिपार्टमेंट्स के रेकार्ड से जांच की है, ऑफिसर्स को एग्ज़ामिन किया है और अपनी रिपोर्ट में उन तथ्यों के बारे में लिखा है। वह रिपोर्ट सरकार के पास पहुँच चुकी है, परन्तु अफ़सोस इस बात का है कि सरकार ने अभी तक उन पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है कि जिनका इस बजट में खास ध्यान रखना चाहिए था।

सेक्रेटरीज की संख्या आज भी उतनी ही है, जिनका स्वामीनाथन् ने एतराज़ करते हुए कहा था कि सेक्रेटरीज की संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए। ओ० एस० डी०, जो कि सरकार में काम करते आये हैं, उन्हें कोई खास सूरतों में किन्हीं कारणों से ही एपॉइन्ट करना चाहिए; परन्तु इस सदन के कायम होने के बाद से हर साल हर बार देखते आये हैं कि हर साल तीन चार ओ० एस० डी० रखे जाते हैं और सेक्रेटरीज के बजाय नाम ओ० एस० डी० रख देते हैं। पर वस्तु स्थिति यह है कि वहां पूरा खर्चा उतना ही है, जितना कि पहले था और जिसके लिये स्वामीनाथन् ने अपनी रिपोर्ट में एतराज किया था। १० से ज्यादा सेक्रेटरीज की संख्या है और डिप्टी सेक्रेटरीज की संख्या के लिये निश्चित मत दे दिया था कि डिप्टी सेक्रेटरीज की संख्या २० से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

लेकिन आज हम जो संख्या देखते हैं वह बहुत ज्यादा है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अलग, इन्क्वायरी ऑफिसर अलग इत्यादि; इस तरह से अलग-अलग ऑफिसर नजर आते हैं। इसलिये मैं यह मानने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं कि राजस्थान सरकार कुछ दिनों में खर्चा कम करेगी और इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान एस्टीमेट कमेटी की उस रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करूंगा, जहां पर उन्होंने एट पेज २ पार्ट २ पेरा ३० :—

> "We noted with regret that certain very seninor officers have been placed on Special Duty, where a junior officer could have sufficed."

And thereafter at the end :—

> "The Committee agrees with Mr. Swaminathan that 10 Secretaries are sufficient. There does not appear to be any justification for appointing O. S. Ds. This practice, in our opinion, should sparingly be resorted to."

तो सरकार विशेष रूप से इस बात का अब ध्यान रखेगी कि जिस तरह सेक्रेट्रीज़ की संख्या ज्यादा रखी गई है, अब आयन्दा उस रूढ़ि पर नहीं चलेगी और हमें विश्वास दिलायेगी कि ऐसी वे कार्यवाही अब नहीं करेंगे और न कोई इस प्रकार का काम करेंगे।

हमारे यहां एस्टीमेट कमेटी ने भी इस बात की जांच की है और उसने अपना निर्णय दिया कि जो भी हमारे क्लर्क्स हैं उनका ठीक तरह से इन्टिग्रेशन नहीं हुआ और जो इन्टिग्रेशन एक दफा हुआ उसे ठीक तरह कार्य रूप में रखने की कोशिश नहीं की। आज हम देखते हैं कि बहुत से क्लर्क हैं, जिनको न तो किसी केटेगरी में नियुक्त किया है और न उन्हें सेक्रेटरिएट में ही रखा। पता नहीं

[श्री जवानसिंह]

वे ऊपर हैं या नीचे हैं। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि उन आदमियों को जिन्हें सेक्रेटरिएट में लिया है, उनको उन्हीं केटेगरीज़ में रखना चाहिये। तभी हम यह विश्वास रख सकते हैं कि वे ईमानदारी से पूरे समय के लिये काम कर सकेंगे। अगर सर्विसेज़ में असंतोष रहा तो हम उनसे पूरे काम की आशा नहीं कर सकते और असंतोष का एक कारण यह हो सकता है–नतीजा यह होता है कि हम रोज़मर्रा की शिकायत पाते हैं। जब कोई फाइल सेक्रेटरिएट में जाती है तो यह कहा जाता है कि कहीं सही हो जावेगी; इसलिए इसको नीचे रखते हैं, हवा ज्यादा आ जावेगी, इसलिये कागज कहीं उड़ न जावें इसलिये हमने इसको नीचे दबा रखा है और कभी-कभी तो यहां तक नौबत आ जाती है कि फाइल की फाइल गायब हो जाती है। यह बहुत पुरानी बात है। हमें इस सम्बन्ध में कदम उठाना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो। शासन को चलाने के लिए सेक्रेटेरिएट एक सबसे ऊंची जगह है। यदि इस स्थान से पेपर और फाइल गायब हो जावें तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे विश्वास है कि इस तरफ खास तौर से ध्यान दिया जावेगा।

अब एक विषय की ओर मुझे ध्यान और आकर्षित करना है, माननीय उपाध्यक्ष, और वह है एपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट। एपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट सिविल सेक्रेटेरिएट का एक बहुत जरूरी भाग है और इसको बहुत ही जागरूक होकर हर एक काम को करना चाहिये। इसके साथ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का कोऑर्डीनेशन होना आवश्यक है। जहां तक इनका आपस में कोऑपरेशन नहीं हो, केसेज़ डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकते। लोगों को इसी वजह से तनख्वाहें नहीं मिल रही है। इस सम्बन्ध में मुझे खास तौर से बतलाना है। ऐसे केसेज़ बहुत हुए हैं कि जिनमें एपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेंट से हुक्म निकल जाता है कि फलां आदमी को फलां जगह मुकर्रर किया। मैं आपको इन्सटांन्सेज़ देकर बतलाता हूं। सिरोही के मौजूदा असिस्टेन्ट इंजीनियर का तबादला हुआ, इसी प्रकार जालोर, मालपुरा, करनपुर और दूसरी जगह अफसरों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुकर्रर किया, जिनके मैं आपको दृष्टान्त दे रहा हूं और जिनको तनख्वाह आज ५ महीनों से ज्यादा अर्सा हो गया नहीं मिली है। एक जगह के हुक्म मिल जाता है और उस हुक्म की तामील में वह ऑफिसर वहां पहुंच जाता है; लेकिन पोस्ट के क्रिएट न होने से एकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर में इस हुक्म की कोई मंजूरी नहीं पहुंचती और जब तक फाइनेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत उनको नहीं मिलती, तब तक तनख्वाह नहीं मिल सकती। जब ए० जी० से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि जिसने तुमको एपॉन्इट किया, उनको कहो और वास्तव में उनका कहना दुरुस्त है। जब कोई पोस्ट ही नहीं है तो फिर किस तरह से ए० जी० पैसा दिलावे। इसलिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन इस सम्बन्ध में इस विभाग से होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डीनेशन होने से जैसे ही एक आदमी को एपॉइन्ट किया या पोस्ट किया तो फौरन ही फाइनेन्स डिपार्टमेंट की सेंक्शन हो जावे, जिससे कोई बात इस तरह की पैदा नहीं होवे और न कोई ऑब्जेक्शन पैदा करे। इस तरफ खास तौर से हमारी सरकार ध्यान देगी और इस बात का विश्वास दिलाएगी। ऐसा मैंने अपने कटौती प्रस्ताव को पेश कर इच्छा जाहिर करने की कोशिश की है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं अपने तीनों कट मोशनों को मूव कर देता हूं और फिर हर एक कट मोशन पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

मेरा पहला कट मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. IX Major Head 25—General Administration be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of giving allowances to the Maharajpramukh and the Uprajpramukh and the payments made for the Secretariat of the Maharajpramukh.)"

मेरा दूसरा कट मोशन यह है :—

"That the Demand for Grant No. IX. Major Head 25—General Administration, sub-head C-Ministers, be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of increasing expenditure on the Ministers.)"

मेरा तीसरा कट मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. X Major Head 25—General Administration .....

श्री उपाध्यक्ष—तीसरा कट मोशन एलाउ नहीं किया गया।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें है। यह तो वोटएबल है। जो लिस्ट सर्कुलेट की गई, उसमें तो यह कट-मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास तो नहीं है, आपको शायद इसके लिए अलाउ नहीं किया गया है।

(कुछ परस्पर विमर्श के पश्चात्)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो है, और यह तो वोटएबल ग्रान्ट है, इसमें नामन्जूरी का सवाल ही नहीं उठता। अब मैं पहले जो मैंने दो कट मोशन्स दिये हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरा जो तीसरा कट-मोशन है उसके बारे में मुझे अभी बताया गया है कि वह डिमान्ड नंबर ११ पर है जो कि कमिश्नरों से संबंधित है और जब ११ नंबर पर विचार होगा, उस समय लिया जायगा। अतः मेरे तीसरे कटौती प्रस्ताव को मूव नहीं किया हुआ माना जाय।

अब मैं पहले वाले कट-मोशन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। यह जो कट-मोशन मैंने रखा है, वह महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख को जो अलाउन्सेज़ दिये जाते हैं उनके बारे में है, और जो महाराजप्रमुख का सेक्रेटरिएट है उस पर जो खर्चा होता है, उसके संबंध में है।

मैंने यह कट-मोशन इसलिये रखा है कि इस सदन द्वारा जो एस्टीमेट कमेटी बनी थी, उसने इस पर काफी विचार किया। मेरे कट मोशन का उद्देश्य यह है कि एस्टीमेट कमेटी ने जो रिपोर्ट इस संबन्ध में सदन में प्रस्तुत की है, उसके संबंध में सरकार के क्या विचार हैं, एस्टीमेट कमेटी की

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

रिकमन्डेशन (recommendations) को किस हद तक सरकार मन्जूर करने को तैयार है; उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कट-मोशन रखा है।

अब मैं इस कट-मोशन के समर्थन में कुछ शब्द सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख के जो पद हैं, उनके पीछे कॉन्स्टीट्युशनल सेंक्शन नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भारत का विधान लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने इन पदों के लिये अपने बजट में क्यों प्रबन्ध किया है? एस्टीमेट्स कमेटी की बैठक के अन्दर जब चीफ सेक्रेटरी महोदय को बुलाया गया और जब उनके सामने यह सवाल रखा गया तो वे भी हैरानी में पड़ गये, उन्होंने भी कोई वैधानिक मन्जूरी कमेटी के सामने नहीं रखी। इसलिये मजबूर होकर एस्टीमेटस् कमेटी को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख इन दोनों पदों के पीछे constitutional sanction विधान में नहीं है; इसलिये इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है, उसका बोझ राजस्थान सरकार पर नहीं पड़ना चाहिये। उन्होंने आगे चल कर यह भी कहा है कि जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ और राजस्थान बना, उस समय सिर्फ महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख इनको खुश करने के लिये पोलिटिकल accommodation के तौर पर इन allowances का प्रबन्ध किया गया था, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह पोलिटिकल accommodation के तौर पर ही किया गया है, तो इसका बोझ केन्द्रीय सरकार पर पड़ना चाहिये। राजस्थान सरकार को इस खर्चे के लिए कतई जिम्मेदार नहीं बनना चाहिये।

उपराजप्रमुख के बारे में मुझे यह कहना है कि कुछ उनको मिलता है, वह हम उनको राजप्रमुख के अलाउन्स में से दे सकते हैं, क्योंकि उपराजप्रमुख को तभी काम करना पड़ता है, जब कि राजप्रमुख बाहर चले जाते हैं। यह अक्सर देखा गया है कि साल के अन्दर चार महीने के लिए हमारे राजप्रमुख बाहर तशरीफ ले जाते हैं और उस वक्त उपराजप्रमुख को काम करना पड़ता है। ऐसी हालत में जब राजप्रमुख महोदय बाहर चले जाते हैं, उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये। जैसे पार्ट ए स्टेट के गवर्नरों को लीव सेलेरी मिलती है उसी तरह हमारे यहां भी मिलनी चाहिये। इस प्रकार जो बचत होगी, उसी में से उपराजप्रमुख को राजप्रमुख के स्थान पर काम करने के लिए अलाउन्स दिया जाय। इन्ही बातों को सामने रखते हुए एस्टीमेटस् कमेटी ने सिफारिश की है कि उपराजप्रमुख के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय कि राजप्रमुख की लीव सेलेरी देने से जो बचत होगी, उसी में से उपराजप्रमुख को allowance देने का प्रबन्ध किया जाय।

अब मैं महाराजप्रमुख के सेक्रेटरिएट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महाराजप्रमुख के सेक्रेटरिएट के लिए इस साल के बजट में करीब २०,४००) की व्यवस्था की गई है। महाराजप्रमुख के सेक्रेटरिएट का जहां तक राजस्थान सरकार से ताल्लुक है, वहां तक राजस्थान राज्य से सम्बन्धित कोई भी काम नहीं होता। इस प्रकार के सेक्रेटरिएट को एस्टेब्लिश करने के लिए न हमारे विधान में ही व्यवस्था है और न कवेनेन्ट में, और न इस संबन्ध में गवर्नमेंट ऑर्डर ही कहीं दिखाई देते हैं। तो फिर किस तरह से बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। अब मैं, एस्टीमेट कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है, वह सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूं:—

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

"In regard to the expenditure for the Secretariat of His Highness the Maharajpramukh for which an amount of R. 19,900/-has been provided in the current year's budget, certain facts in oral examination and by study of papers have come to our notice which cause a very great deal of surprise. We could not find any authority either in the Constitution or in the Covenant or in any written order establishing this Secretariat. It is astounding that the Secretary who has no work to do whatsoever, is placed in the grade of Rs. 1200-100-1500 and is in receipt of the maximum salary of 1500/- p. m. To add to this he is also paid a car allowance of Rs. 125/- p. m. We could not understand how this fact has so long escaped the watchful eye of the Finance Department. Therefore, so far as secretariat of the Maharajpramukh is concerned, we see no reason why any expenditure should be incurred by the Government of Rajasthan, and we recommend that this expenditure should be stopped forthwith."

तो मैं समझता हूं कि एस्टीमेट कमेटी ने जो युक्तियां पेश की हैं वे काफी वजनदार है। जब ऐसी चीजों की वैधानिक सेंक्शन (constitutional sanction) नहीं है तो राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं कि वह इस पर बेकार खर्च करे।

अब मैं दूसरे कट-मोशन के बारे में विचार व्यक्त करूंगा।

यह जो कट-मोशन है, इसका संबन्ध है—हमारे मिनिस्टर महोदयों पर जो खर्चा होता है उससे। मैंने जब पिछले साल के बजट को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे मंत्री महोदयों पर खर्चा जो हो रहा है, वह हर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ आंकड़े मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इस साल के बजट में माननीय मंत्री महोदयों के खर्चे के लिए ५,५७,००० रुपये रखे गये हैं। सन् १९५४-५५ में ४,६५,०००) थे, सन् ५३-५४ में ५,४८,८४१) थे और सन् १९५२-५३ में ४,११,९१८) थे। इससे मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री महोदयों के लिए जो खर्चा होता है, वह प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। यह बात सब लोगों को विदित है कि राजस्थान के बजट में इस साल काफी घाटा हुआ है। घाटा होने का कारण यह है कि १ अप्रेल सन् ५५ से कस्टम ड्युटीज की आमदनी भी सरकार को उपलब्ध नहीं होगी, इस तरह से सरकार को बड़ा भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा। जब यह हालत है तो हमें चाहिये कि अपने डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर पूरी इकॉनोमी करें। इकॉनोमी करके इस घाटे को पूरा किया जाना चाहिये, डिपार्टमेन्टल इकॉनॉमी हमें काफी करनी चाहिये। इस संबंध में अगर माननीय मंत्री महोदय गण उदाहरण कायम करें अपने खर्चे में कमी करके तो इसका असर दूसरे डिपार्टमेन्ट्स पर भी पड़ेगा। जब तक हम इकॉनोमी के साथ नहीं चलेंगे तो राजस्थान में होने वाले इस घाटे की पूर्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान की जनता कर के भार से आगे ही बहुत दबी हुई है। करों का और ज्यादा बोझ जनता पर नहीं डाला जा सकता। इसलिये डिपार्टमेन्टल इकोनोमी की बड़ी आवश्यकता है। डिपार्टमेन्टल इकॉनॉमी को इम्पिटस (impetus) देने के लिये सब से पहले माननीय मंत्री महोदयों को उदाहरण कायम करना चाहिये।

Page No.72

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

मन्त्री महोदयों के ऊपर जो खर्चा होता है, उस पर भी एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में काफी जांच-पड़ताल के बाद बहुत कुछ कहा गया है और कमेटी ने अपने सुझाव भी इस संबंध में रखे हैं। अब हमें यह देखना है कि कमेटी के इस सुझाव को सरकार किस हद तक स्वीकार करती है। इसमें जो सुझाव दिये गये हैं, उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले में मंत्री महोदयों की मोटरों के लिए दो-चार शब्द कहना चाहूंगा। अभी वित्त मंत्री महोदय जब उत्तर दे रहे थे तो उस दौरान में उन्होंने इस बारे में कुछ कहा, पर उससे मुझे संतोष नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश नहीं की। समझाना तो दूर रहा; उल्टे उन्होंने जो कुछ कहा उससे एक कन्फ्यूजन और पैदा हो गया। जब वे कार इस्तेमाल करते हैं तो कार एलाउन्स उनको दे दिया जावे। अगर यह कर दिया जाता है तो फिर कनफ्यूजन पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी और आलोचना-प्रत्यालोचना के लिए भी अवसर न मिलेगा। बड़े-बड़े दूसरे Part A States में भी यही प्रबन्ध है। वहां मिनिस्टर को कन्वेयेन्स अलाउन्स दे दिया जाता है। राजस्थान सरकार के लिए तो यह भी कह सकता हूं कि अगर कोई मन्त्री चाहे तो कार खरीदने के लिए सरकार उन्हें लोन्स भी एडवान्स कर सकती है। मंत्री अपनी कार खरीद ले और २५०) मासिक कार एलाउन्स का ले लें तो मैं समझता हूं कि इस खर्चे में काफी कमी हो सकती है।

दूसरी बात यह कहना चाहता था कि बजट में उनके टी० ए०, डी० ए० के जो आंकड़े दिये जाते हैं, उनके अलावा भी हर साल सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हाउस के सामने रक्खी जाती है और इसमें मिनिस्टरों के कार के पेट्रोल का खर्चा शामिल होता है। तो इस तरह से जो ओरिजिनल एस्टीमेट होता है, उसे हर साल सरकार एक्स्टेन्ड (extend) करती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक कमी हो सके, जरूर की जानी चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मिनिस्टरों के टी० ए०, डी० ए० आदि का खर्चा कम होता है तो और और डिपार्टमेन्ट वाले भी अपने-अपने खर्चे कम करने के लिए बाध्य होंगे और इस तरह से अगर हुआ तो काफी बचत हो सकती है।

एक बात इसी सम्बन्ध में खास तौर से और कहना चाहता हूं। हमारे मन्त्री महोदय जब राजस्थान में दौरा करने निकलते हैं रेल द्वारा, तो उनको चार फर्स्ट क्लास का किराया मिलता है। मैं समझता हूं कि आज के इस डेमोक्रेसी के जमाने में यह एक अच्छी चीज नहीं है। अगर लेना चाहें तो अधिक से अधिक डबल फर्स्ट क्लास फेयर ले लें। इसके अतरिक्त उनको कोई जरूरत भी नहीं है; पूरे कम्पार्टमेन्ट को वे काम में भी नहीं लेते। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह एक फायदे की व्यवस्था है और इसे अपनाना चाहिये और अन्त में मन्त्री महोदयों से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस मामले में वे जरूर सोचें-विचारें।

अब मैं टेलीफोन पर जो खर्चा होता है, उसका जिक्र करना चाहता हूं। एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे केसेज़ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है; जिनमें यह साफ-साफ साबित हो गया कि ये जो टेलीफोन किये जाते हैं, सरकारी काम के लिए कम किये जाते हैं और इसके बजाय व्यक्तिगत जरूरत और कई और कामों के लिए अधिक किये जाते हैं। इससे सरकार पर अनावश्यक खर्चे का बोझा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

पड़ता है। मैं समझता हूं कि टेलीफोन का इस्तेमाल अगर मन्त्री महोदय ज्यादा सावधानी से करें तो टेलीफोन का यह खर्चा भी काफी कम हो सकता है।

यह भी बता दूं कि स्वयं मन्त्रीगण जब व्यक्तिगत कामों में इन टेलीफोनों का प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत बुरा असर उनके आज्ञावर्ती नीचे के सारे स्टॉफ पर भी पड़ता है और नीचे के अफसर और दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ओर भी सरकार ध्यान दे और यह कोशिश करे कि इसमें जितनी कमी हो सकती है, उतनी कमी करें।

बस; मुझे अधिक और कुछ नहीं कहना है और इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष—चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्षजी, इस मांग पर मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं; जिसमें से मैं तीन ही पेश करना मुनासिब समझता हूं। मेरे कटौती के प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

1. "That the demand for Grant No. IX Major Head 25-General Administration-President, Heads of States, etc. be reduced by Rs. 10,000/- (to discuss the heavy expenditure on the Secretariat of His Highness the Maharajpramukh.)"

2. That the demand No. X Major Head 25-General Administration, Sub-Head C-Elections, be reduced by Rs. 100/- (to discuss the maintenance charges of Ballot Boxes.)"

3. "That the demand No. X Major Head 25-General Administration be reduced by Rs. 75,000/- (to discusss the expenditure on bye-election to House of the People and State Legislative Assembly when held simultaneously.)"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह बजट घाटे का है और इस घाटे को देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि कौन-कौन से खर्चे वाजिब हैं और कौन-कौन से गैर वाजिब हैं, जोकि पिछले बजट में चलते आ रहे थे और पिछले बजट की उस परिपाटी को देखकर हमने इसमें दर्ज कर दिया है।

जहां मैंने अपने प्रथम कटौती के प्रस्ताव में चर्चा की है, वहां महाराजप्रमुख कार्यालय का खर्चा लक्ष्य करके रखा गया है। उसका खर्चा है २० हजार। इसके बारे में हम देखें कि इसके पीछे आधार क्या है जिसकी वजह से २० हजार प्रतिवर्ष हम खर्च करने जा रहे हैं। इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना पड़ेगा कि इसका कोई आधार हमें नहीं मिलता, सिवाय इसके कि पिछले साल चूंकि

[श्री चांदमल मेहता]

यह २० हजार दर्ज था, इसलिये इस साल भी कर दिया। यह कोई ठीक आधार नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में भी उल्लेख है और इस रिपोर्ट के बारे में आप अभी एक माननीय सदस्य द्वारा सुन भी चुके हैं और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है, सर्व-सम्मति से लिखा गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं और इनमें एक हमारे चीफ व्हिप भी हैं। इसलिये मैं यही अर्ज करूंगा कि इस प्रकार खर्चे का भार लेना सरकार के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसके लिए फिर न कोई लिखित आज्ञा है, न भारतीय संविधान के अन्तर्गत इसके लिए कोई उल्लेख है और न कॉवेनेन्ट के अन्तर्गत ही वे इसके पाने के अधिकारी हो सकते हैं। इस तरह के खर्चे को सरकार को कम करना ही चाहिये।

इसके बाद दो और मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं, जिनके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से केवल इतना एक्सप्लेनेशन जानने के लिए रखा है। ७५ हजार की व्यवस्था की गई है चुनावों के लिए, पार्लियामेन्ट और राज्य विधान-सभा-दोनों के चुनावों के लिए। मैं नहीं समझ पाया कि इस रकम की व्यवस्था क्यों और किस लिए की गई है, जबकि हमारे यहां कोई चुनाव होना बाकी नहीं है। बजट बनाते समय पिछले वर्ष जो रखा है, उसकी इस वर्ष भी आवश्यकता है या नहीं, क्या इस बारे में आप नहीं सोच पाये ! इसलिए वैसा का वैसा ही रख दिया है या सम्भव है; इसलिए रख दिया हो कि पार्लियामेन्ट और असेम्बली की नई सीटें बढ़ाई गई हों, उनके चुनाव के लिए रखी गई हो। पर यह मानने में नहीं आ सकता क्योंकि इन सीटों के बढ़ाने का अभी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। या शायद यह सोचा गया हो कि ऐसी कोई पहले से योजना हो, किसी को त्याग-पत्र दिलाकर किसी और के लिए चुनाव लड़ना हो या आगे यह सोचा गया हो कि ईश्वर के घर से किसी के नाम आदेश पहुँच गया हो, इसलिए पहले से इसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह खर्चा जो है, इसको रखने का कारण केवल एक यही हो सकता है कि बजट बनाते वक्त यह ध्यान नहीं रखा गया कि किस खर्चे की व्यवस्था करनी है और किसकी नहीं करनी है। बस; जो पहले पहले था, उसकी नकल बिना सोचे-समझे कर ली गई हो।

एक रकम बेलट बॉक्स के मेन्टीनेन्स के सम्बन्ध में है। यह रकम किस आधार पर रखी गई है इसका भी पता नहीं लगता ! यह पिछले वर्ष भी थी और रिवाइज़्ड में भी रखी गई थी और इस वर्ष भी है। मैं मानता हूं कि बेलट बॉक्सेज़ की रिपेयर का काम हो सकता है, पर कोई आवश्यकता इसकी हो सकती है तो आम चुनाव के बाद ही हो सकती है। अब आम चुनाव हुए काफी अर्सा हो गया।

उसके बाद अगर कोई आवश्यकता हुई तो वह पिछले वर्ष ४, ००० रुपये का बजट प्रोविजन रखा उसमें पूरी हो जाना चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि ४००० हजार रुपये का नया प्रोविजन जो उन्होंने किया है इस वर्ष के लिए, वह किस बात के लिए किया है। तो जो दूसरे दो कटौती प्रस्ताव हैं ये मैंने माननीय मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहने के लिए रखे हैं। तो प्रथम कटौती प्रस्ताव को सरकार को मन्जूर करना पड़ेगा जो कि बगैर किसी आधार पर २०,००० रुपये की रकम

[श्री चांदमल मेहता]

रखी गई है, उसको माननीय मंत्री जी महसूस करेंगे और इस बजट में प्रोविजन न करने का आदेश देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, इस डिमान्ड के सम्बन्ध में कट मोशन्स के समय कुछ बातें रखी गई। उनमें से एक बात तो सेक्रेटरिएट में कामकाज के सम्बन्ध में जो देरी होती है, उसको दूर करने के बारे में थी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में से ज्यादातर साहबों को यह विदित होगा कि इसके लिए एक कमेटी सेट-अप की गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम स्वयं इसके लिये उत्सुक हैं कि जो देर होती है; वह देर नहीं होकर काम जल्दी से जल्दी होने लगे, और उसी खयाल से एक मैथड्स एण्ड आॅर्गेनाइजेशन ब्रान्च सेक्रेटेरिएट में काम करता है, उसी आधार पर जैसा कि केन्द्रीय सरकार में है और कुछ अन्य राज्यों के अन्दर है जो कि बराबर डिस्पोज़ल होता है, काम बराबर होता है, उसकी निगाह रखेगी और निगाह रखने के साथ-साथ काम-काज जल्दी होने लगेगा। इसके दो अंग थे—एक तो यह है कि सेक्रेटेरिएट के काम में जल्दी हो और उसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, यह भी था कि बहुत से कागज जिनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि सेक्रेटेरिएट तक आयें और नीचे ही डिस्पोज़ आॅफ हो जाएं, और ऐसे बहुत से कागज जो कि अब तक सेक्रेटरिएट तक आया करते थे और उससे बहुत-सा विलम्ब हो जाया करता था तो कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर, जिसको गवर्नमेंट स्वीकार कर चुकी है, बहुत से अधिकारों को हमने विकेन्द्रित किया है, अब नहीं आवेंगे। नीचे के अधिकारियों को इस बात का अख्त्यार दिया गया है कि बहुत से मामलों का निपटारा वे ही कर सकते हैं। कागज के ऊपर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उससे सेक्रेटेरियेट पर जो कागज का वजन रहता है, वह भी कम हो जायगा और साथ ही साथ लोग-बागों का निर्णय जल्दी हो सकेगा। उसके लिए हमने स्वयं ही एक्शन लिया है।

श्री स्वामीनाथन् की रिपोर्ट के आधार पर जो पी. यू. सी. और उसके हिसाब से स्टाफ के बारे में जिक्र किया गया है, माननीय उपाध्यक्षजी, अभी इन्हीं दिनों में उसके ऊपर डिटेल में विचार करना शुरू किया गया है। जो रि-आॅर्गेनाइज कर रहे हैं, वह इसी खयाल से किया जा रहा है कि हरेक के पास उतना काम दिया जाय कि जिसकी वजह से काम का डिस्पोज़ल जल्दी हो। हमारी निगाह में भी आया है कि कहीं काम ज्यादा है तो आदमी कम हैं और कहीं काम कम है तो आदमी ज्यादा हैं। उसका एडजस्टमेंट करके कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, सेट-अप पूरे काम में लगाकर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसके लिए पूरे प्रयत्नशील हैं और हम अपनी तरफ से वह कार्यवाही करेंगे कि जिससे उनको संतोष हो। दरअसल हम स्वयं भी काम के अन्दर होने वाली देरी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

एक जिक्र और किया गया है श्री भार्गव का—इस डिमान्ड के सिलसिले में। उसके पूरे डिटेल्स नहीं हैं, इसलिए उसकी चर्चा में मैं जाना पसन्द नहीं करूंगा, लेकिन माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस बात को मैं पूरी तरह से देखूंगा। जो आप कहते हैं, उसके बारे में विचार करूंगा कि वास्तव में वैसी बात तो नहीं है, जैसी कि उन्होंने कही है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तनख्वाह देरी से देने की बात कही गई, और आज एक प्रश्न के ऊपर देने के सिलसिले में दरअसल में यह सत्य सामने आया है और मैं कह दूं कि नहीं, देरी नहीं होती है तो माननीय उपाध्यक्षजी, उचित नहीं होगा। मैं यह भी कह सकता हूं कि जो देरी के कारण है, उन कारणों को दूर करने के लिए हम अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे, और उस प्रयत्न के लिए माननीय सदस्य को यह भी कहूंगा कि अभी तक जो आपने बात बताई है, उसके कुछ कारण हमारी समझ में आये हैं, उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और भविष्य में ऐसी चीज दूर हो सके उसके लिए कोई तरीका हो तो उस तरीके को अपनाने का प्रयत्न किया जायगा।

ओ० एस० डीज़० के सम्बन्ध में आपने कहा है कि बहुत से ओ० एस० डीज० लगा दिये हैं, खर्चा सरकार का बढ़ा दिया गया है। दरअसल में जो ओ० एस० डीज़० लगाये गये हैं, उनमें से कुछ सेक्रेटरिएट में रूल्स वगैरह के संबन्ध में लगाये गये हैं, और कुछ फाइनेन्स में बहुत से मामले रुके हुए थे या कुछ उनके अन्दर काम करना बाकी था जांच-पड़ताल का, उसके सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है। लेकिन हम उसे सेक्रेटरिएट का स्थायी अंग बनाना चाहते हों, ऐसी हमारी कल्पना नहीं है। ज्यों ही यह कार्य समाप्त हो जायगा, इस प्रकार की व्यवस्था को चालू रखने में सरकार की कोई नीति नहीं है और जल्दी से जल्दी उसमें कमी की जा सकती है। कमी करने का प्रयत्न किया जायेगा।

फिक्सेशन के मामले में ऐसे कई सारे फिक्सेशन सेक्रेटरिएट और दूसरे डिपार्टमेन्ट में पूरा का पूरा नहीं हो रहा है; इसके लिये उसके संबन्ध में शिकायतों का अवसर पैदा होता है। हम स्वयं ही प्रयत्नशील हैं कि इन्टिग्रेशन और फिक्सेशन के सारे प्रश्न अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स के हैं, उनके लिए जल्दी से जल्दी फाइनल तौर पर किया जाकर बाद में जो कुछ निर्णय हो, वह निर्णय हो जाय; एक प्रोब्लेम जो खड़ा हुआ है वह ठीक हो जाय। इसमें बहस होती रहती है, चर्चाएं होती रहती हैं, इसकी वजह से सेक्रेटरिएट के काम-काज पर असर पड़ता है। लोग-बाग इस विषय में चर्चाएं करते हुए मिलते हैं। उसकी फाइनेलिटी की आवश्यकता है, इसमें कोई इनकारी की बात नहीं है। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। महीना, दो महीना या तीन महीने के अन्दर सारी चीज को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और कर देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

(विपक्ष की ओर से "हियर, हियर")

एक बात जो आम तौर पर कह दी जाती है, वह है—महाराजप्रमुख के एक्सपेन्डीचर के बारे में और मिनिस्टर्स के कार, टेलीफोन के खर्चे के सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि यह बहुत पुरानी बात है जो कि बार बार दोहराई जाती है, लेकिन चूंकि दोहराई जाती रही हैं बार बार कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से तो मुझे भी अपना जवाब दोहराना पड़ेगा। उसमें कोई नई बात तो होगी नहीं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहाँ तक महाराजप्रमुख और उपराजप्रमुख के खर्चे का प्रश्न है, वह निर्णय भारत सरकार की ओर से एक समय में किया गया था और जो निर्णय उस समय में किये गये हैं, उन निर्णयों के बाद यह भी साथ में तय किया है कि यह खर्चा राजस्थान गवर्नमेन्ट को

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

देना पड़ेगा और प्रिवी-पर्सेज का खर्चा कुछ वर्ष के बाद भारत सरकार के जिम्मे होगा। वह सरदार पटेल के समय से चले आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि जहां तक राजस्थान गवर्नमेन्ट का प्रश्न है-केन्द्र के निर्णयों का एक तरह से रेस्पेक्ट करना और बराबर लागू करना हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। अगर उन निर्णयों में परिवर्तन करने का प्रश्न आ सकता है तो चाहे प्रिवी-पर्स के हों, चाहे महाराजप्रमुख के खर्चे के हों, वे निर्णय भारत सरकार के द्वारा; उस लेवल पर किये गये हैं। यह बात अलबत्ता है कि इन चीजों से सेन्क्टिटी नहीं रहती है कि आज एक निर्णय को बदलें और कल दूसरे निर्णय को बदलें। उससे सरकार की प्रतिष्ठा पर धक्का आता है। जो माननीय सदस्यों ने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट दी है-वह हमारे सामने है, उनकी भावनाएं हमारे सामने हैं, लेकिन जिन कारणों से इन खर्चों में कमी नहीं कर रहे हैं, वे कारण भी मैंने आपके सामने निवेदन किये हैं। महाराजप्रमुख के खर्चे का निर्णय सरदार पटेल ने किया था, स्टेट्स मिनिस्ट्री ने निर्णय किया था, उसको यहां नहीं रखें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। उन चीजों की रेस्पेक्ट करने के लिए ही इसके अन्दर रखे जाते हैं।

जहां तक मिनिस्टर्स के खर्चे का प्रश्न है—मैं समझता हूं, मैंने पिछले समय भी निवेदन किया था। बजट के फिगर्स दे देने पर ५ लाख या ४ लाख गिनाने की बात कहते हैं तो कभी हम भी सोचने लगते हैं कि एक-एक के पास कितना जाता है, हिसाब तो लगावें। ५ लाख रुपया मिनिस्टरों पर खर्च होता है; कुछ हजार तो, मैं आपके सामने पूरा हिसाब लगाता हूं। मैं समझता हूं कि जो मुकर्रर तनख्वाह है, एलाउन्स या कोई चीज, सेलेरी मिलती है, उसके सिवाय मोटरों के पेट्रोल का बिल जो ६० गैलन मिलता है, वह स्टेट गैरेज की तरफ से चुकाया जाता है, रिपेयर्स पर खर्चा होता है, मोटर में खराबी होती है दुर्भाग्य से, तो वह खर्चा वहां से चुकाया जाता है। अवश्य यह हो सकता है, जैसा कि अभी कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि मोटरें मिनिस्टर स्वयं खरीद लें। एक बार, माननीय उपाध्यक्ष जी, इस पर विचार किया गया और विचार करने पर यह बात मालूम हुई कि उनके वियर एन्ड टियर और डेप्रिसियेशन और कई बातों को केल्क्युलेट करते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि इस बात में शायद जिस एलाउन्स की कल्पना की जाती है, उस एलाउन्स में कार का रखना आसान नहीं होता है। यह आपने बताया कि लोन दे दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर हम जरूर विचार करेंगे, लेकिन निर्णय करने के बारे में जो कुछ निर्णय कर पायेंगे, मैं अभी आपसे कह तो दूँ कि निर्णय हो जायगा, यह आसान बात नहीं है। लेकिन हम खुद यह महसूस करते हैं कि जिस बात की बार-बार चर्चा होती है, ऐसा मालूम होता है कि ऐसा जबर्दस्त खर्चा किया जाता है, जिससे मिनिस्टरों को व्यक्तिगत लाभ पहुँचता हो, इस प्रकार का क्रिटिसिज़्म बन्द हो; तो अच्छा है। हमें यह अच्छा नहीं मालूम होता कि हम बार-बार यह सुनें कि कोई व्यक्तिगत लाभ होता हो, जिसके कि हिस्सेदार हम हों, तब तो कुछ समझा भी जाय। हम खुद चाहते हैं कि कम से कम ऐसा हल निकालें; जिससे हम बच सकें।

टेलीफोन की बात भी कही गई। यदि आप पता लगावें तो आपको मालूम होगा कि महीने में कई रुपये प्राइवेट कॉल्स के हम चुकाते रहते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यह आपकी व्यक्तिगत बात हो सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सबके टेलीफोन्स के ट्रन्क कॉल्स के लिये रजिस्टर मेन्टेन किये जाते हैं। जितने भी व्यक्तिगत कॉल्स होते हैं, उनके रुपये चुकाये जाते रहे हैं और चुकाये जाते हैं। यह केवल आश्वासन की बात नहीं है। यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि क्योंकि टेलीफोन लग गया है इसलिए उस पर हजारों रुपये खर्च करते रहें। एस्टीमेट्स कमेटी के एक उदाहरण को लेकर न मालूम कितने साल तक बहस चलेगी। मैं समझता हूं; इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये, तथ्य पर चलना चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—जरा, हवाई जहाजों के बारे भी स्पष्टीकरण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हवाई जहाज पर खर्चा रेल से कम पड़ता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—लेकिन जो व्यक्तिगत काम में लाते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह आप बता दें, तो कह दूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—वह आपकी जानकारी में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में मेरा खुद का जोधपुर आने-जाने का खर्चा है, जिसका बिल मैं चुका रहा हूं, बाकी आप फरमा दें। मैं आपकी तसल्ली से सुनूंगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं नाम तो लेना पसन्द नहीं करूंगा। एक माननीय सदस्य जो कोटा डिविजन के मन्त्री हैं—वे लाखेरी गये। रात को वापिस आये जयपुर और दूसरे रोज वापिस कोटा गये, ऐसी उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कोई आवश्यकता तो अवश्य होगी। या तो केबिनेट की मीटिंग होगी या और किसी जरूरी काम से आये होंगे। लाखेरी में उनका व्यक्तिगत कार्य क्या हो सकता है? इस प्रकार की कल्पना और आक्षेप बहुत अच्छे नहीं मालूम पड़ते हैं, जिसको कहने से हम यह समझें कि बहुत बड़े तथ्य का अन्वेषण किया हो।

श्री जवानसिंह—वे कौन से मन्त्री थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे उनके परम मित्र हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी उनसे बहुत मित्रता है।

इसके बाद माननीय सदस्य ने इलेक्शन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। इसके लिये जो खर्चा रखा गया है, उस पर आक्षेप किया गया। पहले से यह सूचना नहीं है कि अगले वर्ष में कोई सीट खाली होने वाली हो या परमात्मा के यहां से सूचना नहीं आई है कि जिसके आधार पर बाई इलेक्शन होने का ज्ञान अभी से हो गया हो। यह ज्ञान उस सीमा तक नहीं पहुँचा है कि पहले से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ही इसका पता लग जाय। खर्च का प्रोविजन पहले के एरियर्स चुकाने के सम्बन्ध में रखा गया है। किसी बाई-इलेक्शन की कल्पना से खर्चा रखा गया है, यह मानकर नहीं चला जा सकता। खर्चा पहले का है और उसको चुकाने के बारे में ही यह प्रोविजन रखा गया है। नया तैयार करके रखने की जरूरत नहीं पड़ी है।

श्री नाथूराम मिर्धा—बीच में बेलट बॉक्स आदि की रिपेयर्स का काम भी आता रहता है।

श्री चान्दमल मेहता—२०,००० रुपये महाराज प्रमुख के सेक्रेटरिएट के खर्चे के बारे में भी कुछ कह दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका समावेश पहले के प्रश्न में आ जाता है। एक-एक आदमी पर कितना खर्च होता है, एक-एक की चर्चा करना ठीक नहीं होगा। पहले जो आधार तय किया गया, उसी आधार पर खर्चा किया जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने कट मोशन रखे हैं, 'कुछ मजबूरी है', ऐसा कहकर वे कट मोशन को वापिस ले लेंगे। गलत खर्चा हो, ऐसी बात नहीं होगी। सेक्रेटरिएट में जल्दी से जल्दी काम हो, इसके लिये सरकार प्रयत्न करेगी! यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोग अपने कट मोशन्स वापिस ले लेंगे।

श्री चान्दमल मेहता—मैं मेरे कट मोशन्स वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की श्री चान्दमल को अनुमति है?

(अनुमति प्रदान की गई)

तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपने कट मोशन्स वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी यह जाहिर किया कि उनकी सरकार प्रयत्नशील है कि सिविल सेक्रेटरिएट में काम जल्दी से हुआ करेगा। सिविल सेक्रेटरिएट की मांग के सिलसिले में जो मैंने अपने प्रस्ताव पर निवेदन किया था, उस पर आश्वासन को मानकर निवेदन करता हूं कि मुझे कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय?

(अनुमति प्रदान की गई)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस तो ले लूंगा, लेकिन कुछ उत्तर के तौर पर कहना चाहूंगा। अभी मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा, उससे मुझे सन्तोष नहीं है। इसका कारण यह है कि आज से ५ साल पहले भारत सरकार ने जो वायदा किया था—वह अब तक चालू रखा जाय, यह मेरे समझ में नहीं आता। सन् ४६ में जो स्थिति थी, वह स्थिति आज सन् ५५ में नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज से ५ साल पहले यदि कोई गलत समझौता भी हो गया है, तो उस पर हम अब भी चलें, यह जरूरी नहीं है। इस मामले में उनको जनता से मदद मिलेगी और सदन में बैठने वालों से मदद मिलेगी क्योंकि अवैधानिक और गलत खर्चे को कम करने के लिये हर एक तैयार है। यदि मुख्य मन्त्री जी यह कहते कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के सामने मेमोरेन्डम पेश करेंगे, जिसमें यह कहेंगे कि आज हम यह खर्चा करने को तैयार नहीं हैं, तो उपयुक्त बात होती। यदि वे कहते कि हम कोशिश करेंगे तो कोई बात भी होती, लेकिन उन्होंने तो ट्रेडिश्नल जवाब दे दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ट्रेडिश्नल चर्चा थी।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जैसी चर्चा हर साल होती है, उसी तरह की चर्चा मान ली; यदि आप कोई कदम उठाते तो अच्छा होता।

दूसरी बात मिनिस्टरों के मोटर के बारे में कहूंगा क्योंकि पार्ट ए स्टेट्स के मिनिस्टरों के पास भी मोटरें नहीं हैं।

जब २५० रुपयों में वे अपनी मोटर का खर्च चला सकते हैं तो यहां के मिनिस्टर्स भी चला सकते हैं। मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे भी आदमी हैं, वे भी २५० रुपया महीने में अपनी मोटरों का खर्चा चला लेते हैं तो फिर मिनिस्टरों को भी चलाना चाहिये। बड़ी-बड़ी मोटरें हैं-जिनमें पेट्रोल का ज्यादा खर्चा होता है तो उनको रखने से क्या फायदा? उनको निकाल दीजिये, उनको निकाल कर अच्छी मोटरें खरीद लीजिये ताकि हर साल जो सदन में इस प्रकार की आलोचनाएं होती हैं उनसे बच सकें और सदन का भी व्यर्थ में इतना समय खर्च न हो। उस प्रणाली को जिससे कि कम खर्चा आये ठीक समझते हैं तो अपने यहां क्यों नहीं लागू करते?

तीसरी बात टेलीफोन्स के बारे में कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए टेलीफोन्स काम में लिये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं खुद पे करता हूं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—बड़ी खुशी की बात है, अपनी यह बात अपने सहयोगियों को भी सिखाइये।

श्री भोगीलाल पंड्या—सभी खुद देते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अब मैं अन्त में सदन से अपने दोनों कट मोशन्स वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या श्री अवनिकुमार मुकर्जी को उनके दो कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है—"कि अनुदान के लिये मांग संख्या ६, मेजर हैड २५, सामान्य प्रशासन उपशीर्षक, का, घा और जा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४०,०४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई)

स्वीकृति दी गई।

कतिपय माननीय सदस्य—समय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—स्पीकर साहब का खयाल है कि काम ज्यादा है, इसलिये समय बढ़ाया जावे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सदन का खयाल है कि इसी समय खत्म कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—कल को ८॥ बजे प्रातः तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२-३४ बजे, मंगलवार दिनांक २२ मार्च, १९५५ के ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक—२१ मार्च, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये)

उत्तर

संख्या	नाम	योग्यता	पद	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति का काल	जनसेवा आयोग से कन्फरमेशन न होने का कारण
१	२	३	४	५	६	७
	राजस्व मंडल					
१.	श्री ए. एच. थामस	बी. ए.	तहसीलदार	३-१-५३	प्रोविजनल	दिनांक ६-१-५३ से राजस्थान जनसेवा आयोग के विचाराधीन हैं।
२.	गंगाप्रसाद अग्रवाल	बी. ए., एल एल. बी.	स्थानापन्न पी. ए. टू कमिशनर	१०-६-५४	,,	नियुक्ति जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अधीन की गई है।
३.	श्री श्यामसुन्दरलाल	एम. ए., एल एल. बी.	स्थानापन्न तहसीलदार	१७-१-५५	,,	,,
	जेल विभाग					
४.	श्री वीरसिंह	बी. ए. होल्डर ऑफ डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल्स एण्ड करेक्शनल मेथड्स।	डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट	२६-७-५४	अस्थायी	स्थान को भरने के लिये जनसेवा आयोग के मार्फत विज्ञप्ति प्रकाशित करा दी गई है।

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
	शिक्षाविभाग.					
५.	सुश्री माधुरी	एम. ए.	लेक्चरार	२६-१०-५४	६ मास या जनसेवा आयोग द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के प्राप्त होने तक जो भी पहले हों।	अस्थायी नियुक्तियां हैं जनसेवा आयोग द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के आने पर इनकी सेवाएं खत्म कर दी जावेंगी।
६.	श्री महावीर राज	एम. एस सी.	”	२५-८-५४	”	”
७.	श्री पदमपाल	एम कॉम	”	१८-८-५४	”	”
८.	श्री किशनलाल	एम. ए,	”	१८-८-५४	”	”
९.	श्री कृष्णालाल	एम. एस सी.	”	३-९-५४	”	”
१०.	श्री गोवर्धनसिंह	एम. ए.	”	७-९-५४	”	”
११.	श्री सत्यदेव	एम. एस सी	”	२४-८-५४	”	”
१२.	श्री केदारनाथ	एम. कॉम,	”	२६-८-५४	”	”
१३.	श्री रतनचन्द	एम. एस सी.	”	११-१०-५४	”	”
१४.	श्री मोहनलाल	एम., कॉम,	”	२६-८-५४	”	”
१५.	श्री गिरिराजसिंह	एम. ए.	”	८-९-५४	”	”
१६.	श्री शीतलप्रसाद	एम. ए.	”	२१-१२-५४	”	”
१७.	श्री कृष्णमोहन	एम. ए.	”	१७-१०-५४	”	”
१८.	श्री सत्यनारायण	एम. कॉम.	”	२४-९-५४	”	”
१९.	श्री प्रेमनारायण	एम. ए.	”	१६-८-५४	”	”
	कृषिविभाग.					
२०.	श्री जे. डी. रैणदिव	बी. एस सी. (एग्रीकल्चर)	कॉटन सुपरवाइजर	१४-५-५१	१३-५-५५	जनसेवा आयोग में प्राप्त किया जा रहा है।

Page No.84

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
२१.	श्री एस. के. व्यास	बी. कॉम.	असिस्टेन्ट टू फूड कमिश्नर	१६-६-५१	अस्थायी	यह नियुक्ति अस्थायी; "ग्रो मोर फूड स्कीम" के अन्तर्गत है। जन सेवा आयोग में पुष्टिकरण कराने को प्रश्न विचाराधीन है।
	चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य विभाग :					
२२.	श्री मांगीलाल पुरोहित		एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर।	२२-१२-५१	"	जनसेवा आयोग को अनुमोदन के लिये लिखा गया था, जवाब प्राप्त हो चुका है और वह सरकार के विचाराधीन है।
	बिजली विभाग :					
२३.	श्री मिश्रीलाल	फोरमेन	स्थानापन्न सुपरिन्टेन्डेन्ट पावर हाउस, जयपुर।	नव० १९५१		जनसेवा आयोग को लिखा जा रहा है।

Page No.85

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १४० का उत्तर देखिए)

संख्या	नाम	योग्यता	तारीख प्रथम नियुक्ति	तनख्वाह यू. डी. सी. के पूर्व
१	२	३	४	५
१.	श्री वंशीलाल	नॉनमैट्रिक	४-८-२०	६६ रुपये
२.	श्री मिट्ठनलाल	,,	१४-५-२२	,, ,,
३.	श्री मदनमोहन	,,	१७-६-२६	,, ,,
४.	श्री निहालचन्द राय	,,	११-१-२७	,, ,,
५.	श्री वचर मोहम्मद	,,	२६-८-२७	,, ,,
६.	श्री गोपाल लाल	मैट्रिक	५-६-३३	,, ,,
७.	श्री रामानन्द	,,	७-१२-४४	,, ,,
८.	श्री तुलसीराम	नॉन मैट्रिक	[illegible]६	,, ,,
९.	श्री भूखमल	मैट्रिक	२४-४-४३	६६ रुपये
१०.	श्री नन्दकिशोर	,,	१६-६-४८	७५ ,,
११.	श्री जहूरउद्दीन	नॉन मैट्रिक	२-७-३३	६६ ,,
१२.	श्री कल्याणदास	,,	२-११-२६	५४ रुपये

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर)

संख्या	नाम जागीर	नाम जागीरदार	प्रथम किश्त में चुकाई जाने वाली रक
१.	२.	३.	४.
१.	पलायता	श्री अजीतसिंह जी	रु० ६,२६२-०-०
२.	सामोद	श्री संग्रामसिंह जी	रु० १६,०५६-०-०
३.	पाडली	श्री आनन्दसिंह जी	रु० ५,२४३-०-०
४.	नवलगढ़	श्री मदनसिंह जी	रु० ३६,३४६-०-०
५.	डूंडलोद	श्री हरनाथसिंह जी	रु० २२,७१६-०-०
६.	बिसाऊ	श्री रणवीरसिंह जी	रु० ५०,६४२-०-०
७.	रियावाड़ी	श्री गणपतसिंह जी	रु० ८,३०१-०-०
८.	पालनिवास	श्री अमरसिंह जी	रु० ४,२०२-०-०
६.	जेठास	[illegible] रणजीतसिंह जी	रु० १,७३०-०-०
१०	कुचामण	श्री हरिसिंह जी	रु० २२,४१५-०-०
११.	सीकर	श्री कल्याणसिंह जी	रु० १,३६,३१०-०-०
१२.	बास आनन्दपुर	श्री हिम्मतसिंह जी	रु० ३१,३५२-०-०
१३.	सरेरो	श्री मदनसिंह जी	रु० ७३५-०-०
४१.	मंडावा	श्री भीमसिंह जी	रु० १५,५३६-०-०
१५.	मंडावा	श्री जयसिंह जी	रु० १६.५५३-०-०
		योग	रु० ३,८१,६३३-०-०